खण्ड–12, अंक–6
बुधवार, 29 पौष, शक संवत् 1926
(19 जनवरी, 2005 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2005)

(खण्ड 12 में 7 अंक हैं)

पुस्तकालय उत्तरांचल विधान सभा
कुल सं० 756
देहरादून

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2005

मूल्य :–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
उत्तरकाशी में वरूणावत् पर्वत का मलबा गिरने से उत्पन्न स्थिति को नियम–311 में उठाये जाने का प्रयास ...	1–2
प्रश्नोत्तर	2–34
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	34
उत्तरांचल में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु दि0 22–12–2004 के समाचार–पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	34–35
जूनियर हाई स्कूल, भवाली, जनपद नैनीताल के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
जनपद चमोली के वि0ख0 के सांकरी नामक स्थान पर निगोल नदी पर झूलापुल की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35–36
विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत चपटाड़ी बचाण गांव में झूलापुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
रानीखेत को नगर पालिका बनाने व चुंगी को हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36–37
जनपद पौड़ी गढ़वाल के ऋषिकेश से गंगा भोगपुर, कौड़िया एवं चीला जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भैंसियाछाना के अन्तर्गत शेराघाट जीप दुर्घटना में मृतक परिवारों तथा घायलों को अपेक्षित सरकारी सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37–38
उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 (पुरः स्थापित)	38
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (पुरः स्थापित) ...	38–39
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)... ...	39–40
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	40–51
वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन, अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08,	

विषय	पृष्ठ संख्या
आबकारी, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18, सहकारिता, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–23, उद्योग, अनुदान संख्या–24, परिवहन, अनुदान संख्या–26, पर्यटन, अनुदान संख्या–27, वन, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य। (स्वीकृत) ...	52–71
उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 (पारित).	71–76
उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 (पारित) ...	76–112
उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 (पारित)	112–120
उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 (पारित)...	120–142
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 (पारित) ...	142–149
सत्रकाल के दौरान सदन से बाहर जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिये जाने के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न ...	150–151
सर्व श्री मदन कौशिक, श्री नारायण पाल, श्री बलबीर सिंह नेगी एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों पर चर्चा का स्थगन ...	151
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	15[illegible]
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकल्पधारी कार्मिकों / फार्मासिस्टों को उत्तरांचल के लिए स्वतः कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य... ...	152–153
उत्तरांचल लोक सेवा आयोग द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् भी नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जंतवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	153–154

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4. श्री अरविन्द पाण्डे
5. श्रीमती आशा देवी
6. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8. " काशी सिंह ऐरी
9. " किशोर उपाध्याय
10. " कैलाश शर्मा
11. " कौल दास
12. " गगन सिंह
13. " गणेश प्रसाद गोदियाल
14. " गोपाल सिंह
15. " गोबिन्द लाल
16. " गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17. " चन्द्रशेखर
18. " जोत सिंह
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. " नव प्रभात
25. " नारायण दत्त तिवारी
26. " नारायण पाल
27. " नारायण राम आर्य
28. " नारायण सिंह जंतवाल
29. काजी निजामुद्दीन
30. श्री प्रकाश पंत
31. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. डा0 प्रताप बिष्ट
33. श्री प्रदीप टम्टा
34. " प्रीतम सिंह
35. श्री प्रीतम सिंह पंवार
36. " प्रेमानन्द महाजन
37. " पुष्पेश त्रिपाठी
38. " फूल सिंह बिष्ट
39. " बलबीर सिंह नेगी
40. " बिजयपाल सिंह सजवाण
41. " बिशन सिंह चुफाल
42. " भगत सिंह कोश्यारी
43. " मदन कौशिक
44. " महेन्द्र भट्ट
45. " महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
46. " मातबर सिंह
47. " माल चन्द्र
48. चौ0 यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत सिंह
50. " रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
51. " राम प्रसाद टम्टा
52. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53. श्री शूरवीर सिंह
54. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55. श्री शहजाद
56. " साधू राम
57. " सुबोध उनियाल
58. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
60. " सुरेश चंद
61. डा0 हरक सिंह रावत
62. श्री हरबंस कपूर
63. " हरभजन सिंह चीमा
64. " हरीदास
65. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66. " हीरा सिंह बिष्ट
67. " हेमेश खर्कवाल
68. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक, 19 जनवरी, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत का मलबा गिरने से उत्पन्न स्थिति को नियम 311 में उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने नियम 311 के अन्तर्गत वरूणावत पर्वत के सम्बन्ध में सूचना दी है। 16 तारीख को फिर मलबा गिरने से भगदड़ मच गयी। वहां माघ का मेला चल रहा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 311 की महत्ता को समझें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज भी वहां पर दहशत व्याप्त है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 56 में सूचना देते तो मैं सुन लेता। नियम 311 के महत्व को आप समझें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसे नियम 56 में सुन लें। उत्तरकाशी की जनता का जन–जीवन खतरे में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 को परम्परा न बनाएं। नियम 311 को कार्य स्थगन का प्रतिस्थानी न बनाया जाये। (व्यवधान) यदि आप इसे नियम 56 में लाते तो मैं जरूर सुन लेता।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वैज्ञानिकों ने बताया है कि उत्तरांचल में 60 जगहों पर खतरा है। इसलिए इसे 311 में लगाया गया है। मान्यवर, इसमें सरकार से उत्तर तो आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सरकार जवाब देने से बच क्यों रही है?

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसे नियम 56 में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अगर इसे नियम 56 में दिया होता तो मैं सुन लेता। 311 को नियम 56 का प्रतिस्थानी न बनाया जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 4 बार से मैं इसे सदन में दे रहा हूँ, पर यह लिया ही नहीं जा रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इस पर केवल एक ही सदस्य बोलेगा। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जब आपकी ओर से यह निर्देश है कि नियम 56 में आप देंगे तो मैं सुनूंगा। 311 के महत्व को आप समझें। मान्यवर, नियम 56 भी काफी महत्वपूर्ण है। पहले नियम 311 में सूचना दी जाये और फिर उसे नियम 56 में सुना जाये, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे आज सुन तो रहा हूँ लेकिन, इसे परम्परा न बनाया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, थैंक यू।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

राज्य में अपेक्षित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति

**1. श्री प्रकाश पंत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अपेक्षित विद्युत आपूर्ति न होने का विज्ञापन विभाग द्वारा दिसम्बर, 2004 में प्रकाशित किया गया था?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

क्या अपेक्षित उत्पादन तथा आपूर्ति न हो पाने के कारणों का निदान कर लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ। उत्तरांचल की सभी नदियों का जल स्तर कम हो जाने से विद्युत माँग की आपूर्ति हो पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

शीतकाल में नदियों के जल स्तर की कमी हो जाने से विद्युत उत्पादन की कमी के दृष्टिगत माँग, विशेषकर पीक अवधि में, की पूर्ति करने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में 40 मेगावाट (लगभग 7 लाख यूनिट प्रतिदिन) का अतिरिक्त आवंटन हो गया है।

उक्त अतिरिक्त आवंटन से भी माँग की पूर्ति नहीं हो पाने के दृष्टिगत भारत सरकार से अतिरिक्त विद्युत आवंटन हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। परन्तु साथ–साथ उपभोक्ताओं के स्तर पर माँग को सुनियोजित कर माँग व पूर्ति का सामन्जस्य करने का प्रयास करना भी आवश्यकीय है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण के उपाय सभी उपभोक्ताओं के स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया और यह स्वीकार किया कि राज्य में विद्युत की आपूर्ति मांग के अनुरूप हो पाना संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्य में कितनी विद्युत आपूर्ति की मांग है और उसके अनुरूप कितने की आपूर्ति की जा रही है, पहले आप इसका उत्तर दे दें?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, 14 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है और हमारे पास 5 मिलियन यूनिट है और अतिरिक्त 40 मिलियन यूनिट की मांग भारत सरकार से की गई है। इस तरह 12 मिलियन यूनिट सब को मिलाकर हो रहा है और यह शीतकाल में समस्या आती है और अब अप्रैल से यह स्वाभाविक रूप से सही हो जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि कुल जल विद्युत परियोजनायें कितनी हैं और उन परियोजनाओं का उत्पादन लक्ष्य क्या था और उसके सापेक्ष कुल कितना उत्पादन हो रहा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह प्रतिशत टिहरी बांध, धौली गंगा तथा मनेरी भाली परियोजना के बनने से, संभवतः टिहरी परियोजना 5 अक्टूबर तक, धौली गंगा मार्च तक जिसमें 460 मेगावाट और मनेरी भाली फेस–II 340 मेगावाट देंगे। इसके बाद हमारे पास बिजली सरप्लस हो जायेगी, अभी हमारा कुल 5 मिलियन यूनिट का उत्पादन है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि कितनी परियोजनायें राज्य में हैं और उनका उत्पादन का लक्ष्य क्या था और वर्तमान में लक्ष्य के सापेक्ष वे कितना उत्पादन कर रही हैं? आपने तो उत्तर ही घुमा दिया, पता नहीं कहां टिहरी बांध के बारे में आप बता रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक हजार मेगावाट हमारा लक्ष्य है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मंत्री जी ने यूनिट में कन्वर्ट कर बताया। मेरा प्रश्न था कि जल विद्युत परियोजनायें कहां पर स्थापित की गई हैं और उनका लक्ष्य कितना रखा गया था और उसके सापेक्ष कितना उत्पादन हो रहा है? अभी आपने उत्तर भी दिया कि मांग के अनुरूप आपूर्ति कर पाना संभव नहीं है, मान्यवर, इसको आप भी जानते हैं, आप भी पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं और यह योजनायें पर्वतीय क्षेत्रों में ही स्थापित हैं। अगर ग्लेशियर आधारित योजनाओं को छोड़ दें तो जो जलधारा से जुड़ी हैं, वे तो काम करनी चाहिएं। तो मेरा प्रश्न है कि कुल कितनी परियोजनायें हैं और उनका लक्ष्य क्या था और उनका अद्यतन उत्पादन क्या है, यह बता दें?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जल विद्युत निगम के जो आंकड़े हैं, उनका लक्ष्य है और व्यय के अनुरूप 60 प्रतिशत का उत्पादन हो रहा है, उसी के अन्तर्गत होना चाहिए, 80 लाख यूनिट और 50 लाख यूनिट हो रहा है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ और उत्तर क्या आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य परियोजनाओं के नाम जानना चाह रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इनका लक्ष्य कितना रखा गया था और कितना उत्पादन इनके द्वारा हो रहा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, परियोजनाओं के नाम मैं बता रही हूँ। छिब्रो, खुर्दी, धौली, कलौली, छिरकिला, कुलागाड़, धारचुली, रेतीगाड़, कोटाबाग, सप्तेश्वर, धौरी, तालेश्वर, सोनप्रयाग।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सिर्फ नाम बता रही हैं। इनका लक्ष्य और उत्पादन भी साथ में बता दें तो अच्छा होगा क्योंकि मैं इतनी परियोजनाओं के नाम एक साथ याद नहीं रख सकता।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कनचोटी की क्षमता 20 मेगावाट, छिरकिला की क्षमता 15 मेगावाट, कुलगाड़ की क्षमता 12 मेगावाट है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 20 मेगावाट, 15 मेगावाट है। तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि यह 2 मेगावाट और 1.5 मेगावाट होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसमें 20 मेगावाट और 15 मेगावाट ही लिखा हुआ है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इससे पहले कि सरकार की किरकिरी हो, माननीय मंत्री जी विभाग से स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लें। मान्यवर, जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनका प्रतिदिन का उत्पादन यूनिट में आता है। मान्यवर, जल विद्युत निगम का जो मुख्यालय होता है, उसमें प्रतिदिन का रिकार्ड, कितनी बिजली पैदा हुई, यह जानकारी रहती है। मान्यवर, यदि किसी कारण से प्रतिदिन के आंकड़े वहां पर न हों तो एक हफ्ते में कितनी बिजली पैदा हुई, इसके आंकड़े तो अवश्य रहते हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में भी जल विद्युत परियोजना है इसलिए मेरी स्पष्ट जानकारी में है कि यह जो आंकड़े माननीय मंत्री जी बता रही हैं, यह 20 मेगावाट के स्थान पर 2 मेगावाट तथा 15 मेगावाट के स्थान पर 1.5 मेगावाट होगा। आप सही आंकड़े जल विद्युत मुख्यालय से प्राप्त कर सकती हैं। वहां पर प्रति दिन कितनी बिजली पैदा हुई, इसका रिकार्ड अवश्य होगा। यदि वहां पर रिकार्ड नहीं है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़े हैं, वह 20 मेगावाट और 15 मेगावाट ही हैं। मैंने इसे कन्फर्म कर लिया है। विभाग ने मुझे यह जानकारी उपलब्ध करायी है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, इसका मतलब माननीय मंत्री जी लिखे हुए आंकड़े बता रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्नों के जवाब विभागों द्वारा ही बनाये जाते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे पा रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं ईल्ड नहीं कर रही हूँ। आप कृपया मुझे बीच में डिस्टर्ब न करें। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य पहले मेरी बात को सुन लें, बीच में टोका–टाकी न करें। इससे उत्तर देने में डिस्टर्ब होता है। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग से आंकड़े मांगे जाते हैं, तभी उसकी सूचना सदन में दी जाती है, जो आँकड़े विभाग द्वारा मुझे दिये गये हैं, मैं वही बोल रही हूँ। क्योंकि माननीय ऐरी जी ने कहा कि यह योजना मेरे क्षेत्र में है और मुझे इसकी जानकारी है। इसलिए हो सकता है कि विभाग द्वारा सूचना ठीक न दी गई हो, मैं इसे कन्फर्म करा लूँगी। सदन के अंदर माननीय सदस्य की सूचना पर विश्वास करना चाहिए। जो मुझे लिखित सूचना विभाग से मिली है, वही मैं यहाँ पर आपके सम्मुख रख रही हूँ। यह योजना 20 मेगावाट की है, हो सकता है कि योजना 20 मेगावाट की है और उत्पादन केवल 2.00 मेगावाट हो रहा हो।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। माननीय सदस्य ऐरी जी ने जो आंकड़े दिये हैं और माननीय मंत्री महोदया जो आंकड़े दे रही हैं, उसमें भिन्नता है। मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है, उसमें लिखा है कि उत्तरांचल की सभी नदियों का जल स्तर कम हो जाने के कारण विद्युत माँग की आपूर्ति हो पाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, ऐसा तो नहीं है कि सभी नदियों का जल स्तर कम हो जाता है। मैं आपका ध्यान काली नदी पर जो तालेश्वर परियोजना है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उस परियोजना में कितना उत्पादन हो रहा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जल स्तर तो सभी नदियों का कम या ज्यादा हो जाता है। यदि वर्षा होगी तो जल स्तर कम हो जायेगा। ग्लेशियर के कम पिघलने के कारण भी नदियों के जल स्तर में कमी आ जाती है। वर्तमान में तो सभी नदियों का जल स्तर कम हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, काली नदी तो ग्लेशियर पर निर्भर नहीं है फिर उसका जल स्तर कैसे कम हो गया?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, फिर से कह रही हूँ कि जो नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं, उनका भी जल स्तर घटा। इस बार वर्षा अधिक नहीं हुई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पिछली बार सदन में सोबला परियोजना का जिक्र हुआ था। उस समय माननीय नेता सदन भी यहां पर उपस्थित थे। यह पूर्ण जानकारी न होने के कारण स्थगित हुआ था। आपका हमें संरक्षण प्राप्त हुआ था। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज भी वह परियोजना प्रारम्भ नहीं हुई है। सरकार के माध्यम से जो उत्तर आया और आश्वासन समिति के माध्यम से जो प्रतिवेदन रखा गया, उस प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्ष 2003 में यह परियोजना पूरी कर ली गई है। जिस कारण इसे आश्वासन से निकाल दिया गया। मान्यवर, जून 2003 में उत्पादन प्रारम्भ करने की बात कही गई थी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सोबला परियोजना का पुनरोद्धार प्रस्तावित है, बादल फटने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई थी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह क्षतिग्रस्त कब हुई, 2003 से पहले या बाद में?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इत्तेफाक से इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह भ्रम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है।

जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, वह मिनी परियोजना हैं या माइक्रो परियोजना हैं, इनसे प्रतिदिन कितना उत्पादन हो रहा है। इसकी अद्यतन जानकारी इस सदन को बता दें। मान्यवर, किस परियोजना में कितनी बिजली उत्पादित हो रही है, इसका आंकड़ा भी सरकारी विभागों से प्राप्त कर सदन को अवगत करायें? मान्यवर, पानी घटता है, यह मैं भी जानता हूँ। ग्लेशियर न पिघलने के कारण तथा वर्षा कम होने के कारण भी नदियों का जल स्तर कम हो जाता है। पानी कम होने से बिजली का उत्पादन कम होगा, यह कोई जरूरी नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अभी तो आपने मेगावाट पूछा। मोटी जानकारी दे दूँ, यदि विस्तृत जानकारी चाहिए जो कि सदन को अधिकार है, वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। लेकिन आज मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार छिब्रो में प्रतिदिन 18 मेगावाट, खोदरी में 120 मेगावाट, ढ़ालीपुर में 51 मेगावाट। स्टोर कैपैसिटी आपने पूछी तो ढकरानी में 135 मेगावाट,चीला 140 मेगावाट, रामगंगा 180 मेगावाट, खटीमा में 33, तिलोथ 90, पथरी 22, मौहम्मदपुर 9 मेगावाट है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपका प्रतिदिन विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, 60 प्रतिशत से अधिक कहीं नहीं हो रहा है, कहीं–कहीं कम भी हो रहा है। कितना उत्पादन हो रहा है, इसकी डिटेल मेरे पास लिखी हुई है। इसके अनुसार 59.83 मेगावाट छिब्रो, खेदरी का 48.80, ढ़ालीपुर 21.50, चीला में 14 मेगावाट है। मान्यवर, ढकरानी में 29.20, चिला में 14700, रामगंगा में 29.00 मेगावाट, खटीमा में 114080 मेगावाट इत्यादि बहुत से आँकड़े मेरे पास हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह रिपोर्ट कब तक की है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, 30 नवम्बर, 2004 की है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बात तो यहाँ पर सर्वविदित हो गयी है कि विद्युत संकट है और ग्लेशियर न पिघलने से पानी की कमी हो गई है। लेकिन माँग की पूर्ति का सामंजस्य बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश में कितने घण्टे बिजली की कटौती हो रही है। एक प्रश्न तो यह है कि जाड़े के दिनों में जल स्तर हमेशा घटेगा और जल स्तर घटने की स्थिति तो हमेशा रहेगी। मान्यवर, उत्तरांचल को निर्विवाद रूप से विद्युत आपूर्ति होती रहे, इसके लिए क्या सरकार ने कोई ठोस योजना बनायी है, यदि बनायी है तो उसका प्रारूप क्या है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेंटीनेंस के कारणों से भी कभी–कभी बिजली बंद होती है। तकनीकी खराबी के कारण भी बिजली बाधित रहती है। मान्यवर, बिजली आपूर्ति में ये सब कठिनाईयाँ तो हैं ही। मान्यवर, हमारी सरकार ने 24 घंटे तक भी बिजली की आपूर्ति की

है, हां, यह अवश्य है कि कभी–कभी दो से छः घंटे तक भी कटौती होती है। मान्यवर, हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायं, इसके लिए हमारी सरकार केन्द्र सरकार से भी वार्ता कर रही है और मुझे आशा है कि भविष्य में हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और विद्युत की आपूर्ति चौबीसों घंटे रहेगी।

मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां आगामी मार्च तक पूरी हो जाने की सम्भावना है, मार्च तक हम विद्युत के मामले में स्वावलम्बी हो जायेंगे। अभी तो हमें खरीदनी पड़ रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त, तारांकित प्रश्न

बेसिक शिक्षा विभाग देहरादून में सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से रिक्त पदों पर तैनाती आदेश एक वर्ष पूर्व किये जाने के सम्बन्ध में

*1. श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अपर सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 238/XXIV(3)/2004, बेसिक शिक्षा अनुभाग देहरादून, दिनांक 01 दिसम्बर, 2004 के क्रम संख्या 105 तथा शासनादेश संख्या 288/XXIV(3)/2004–01/2004–टीसी, बेसिक शिक्षा अनुभाग देहरादून, दिनांक 03 दिसम्बर, 2004 के क्र0सं0 1, 2, 4, 9, 14 के स्थानान्तरण विभिन्न जनपदों से देहरादून में 30 जून, 2005 को सेवानिवृत्ति/पदोन्नति से होने वाले रिक्त स्थानों में जो भी उपलब्ध हों, पर किये गये हैं?

क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा एक वर्ष पूर्व ही 2005 में स्थानान्तरण नीति बना ली गई है?

यदि हाँ, तो नियम विरुद्ध स्थानान्तरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

बेसिक शिक्षा अनुभाग के शासनादेश संख्या–238/XXIV(3)/2004, दिनांक 01–12–2004 के क्रम संख्या 105 तथा बेसिक शिक्षा अनुभाग के शासनादेश संख्या 289/XXIV(3)/2004–01/2004–टीसी, दिनांक 03–12–2004 के क्र0सं0 1, 2, 4, 9, 14 के स्थानान्तरण विभिन्न जनपदों से देहरादून के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किये गये हैं कि जनपद देहरादून हेतु उक्त स्थानान्तरण तभी प्रभावी होंगे, जब दिनांक 30–06–2005 में होने वाली सेवानिवृत्ति अथवा पदोन्नति से जनपद देहरादून में रिक्त पद उपलब्ध हों। अतः उक्त स्थानान्तरण अभी प्रभावी नहीं हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व या सत्र के बाद सरकार स्थानान्तरण नीति तय करती है। मान्यवर, जो पद 2005 में रिक्त होंगे, उनके स्थानों पर भी माननीय मंत्री जी ने स्थानान्तरण कर दिये हैं। मान्यवर, इससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 2005 की स्थानान्तरण नीति अभी घोषित नहीं हुई है और देहरादून जैसे जनपद में विशेष रूप से देहरादून के शहर के आस–पास जो विद्यालय स्थित हैं, उनमें हमेशा यह प्रयास रहता है कि वहाँ पर तैनाती हो, तो जो स्थान रिक्त किये गये हैं, उन स्थानों पर स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया है कि उक्त स्थानान्तरण अभी प्रभावी नहीं हैं, यह केवल प्रपोज किये हैं। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, अध्यापकों की कठिनाईयों को देखते हुये यह स्वीकार किया गया कि इनका स्थानान्तरण होना है, लेकिन स्थान रिक्त नहीं हैं। वार्षिक प्रबन्ध में विचार किया जायेगा, यह उनके लिए हुआ था, 30 जून में सेवानिवृत्ति के बाद या प्रमोशन के बाद अगर स्थान रिक्त होते हैं तो इनको कन्सीडर किया जायेगा। यह इसमें है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह स्थानान्तरण पदोन्नति वाले पदों पर किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं में आयेगा। चूँकि यह स्थानान्तरण हुये हैं, तब इनकी शिकायत हुई है, तो इस सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक को पत्र गया कि जनपद हरिद्वार में आप द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किए गये हैं। मेरे द्वारा इससे पूर्व भी आपको निर्देशित किया गया था कि प्राथमिक व जूनियर स्तर पर जो पदोन्नति के पद हैं, इन पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी दशा में स्थानान्तरण न किये जाएं। इससे पूर्व भी राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा इस प्रकार के जो स्थानान्तरण किये गये थे, वे निरस्त कर दिये गये। उक्त पत्र में मेरे द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के जो स्थानान्तरण किये गये हैं, उन्हें निरस्त कर दें।

मान्यवर, हमारे द्वारा पहले भी निर्देशित कर दिया गया था, इन्हें निरस्त कर दें। मान्यवर, क्या पदोन्नत स्थानान्तरण किये गये, क्या उनको पूरी तरह प्रदेश के अन्दर तत्काल आदेश करेंगे, उनको भी निरस्त कर दिया जाय?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह सही है पदोन्नति के पद हैं, उन पर स्थानान्तरण नहीं होते हैं। हमारी कठिनाई है कि यह बहुत बड़ा विभाग है, इसमें लगभग एक लाख कर्मचारी हैं। हमारे सभी

साथी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनका बराबर दबाव बना रहता हैं। मेरे पास आँकड़े हैं। वर्ष 1995 में देहरादून में 18 स्थानान्तरण किये गये थे। 1996 में 12, 1997 में 14, 1998 में 5, 1999 में 22, 2000 में 72 और 2001 में 107 स्थानान्तरण किये गये। स्थानान्तरण की यह प्रक्रिया निरन्तर है। मान्यवर, प्रधानाध्यापक अगर एक जनपद से दूसरे जनपद में जाता है तो नीति यह है कि वह उस जनपद में कर्मचारी संख्या के सबसे आखिर में आयेगा, इसी तरह सहायक अध्यापक अन्य सभी पदोन्नति क्रम में सबसे नीचे आयेंगे। उनकी सीनियरिटी सबसे बाद में आयेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो पदोन्नति वाले पद हैं, उन पर स्थानान्तरण हुए हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के पैरा–4 में स्पष्ट है कि "प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक/अध्यापिका, जूनियर हाई स्कूल तथा प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका जूनियर हाई स्कूल से अन्तर्जनपदीय/अन्तर्निकाय स्थानान्तरण न किये जाय, यह पदोन्नति के पद हैं।" मान्यवर, शिक्षा अधिनियम भी यह कहता है, फिर भी स्थानान्तरण किये गये। क्या आप इन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की घोषणा करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, यह प्रक्रिया चल रही है, आपके समय में भी स्थानान्तरण होते रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने यह स्वीकार किया। जो यह स्थानान्तरण सूची है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि 01–4–2004 को स्थानान्तरण किये गये, यह स्थानान्तरण प्रभावी 2005 से होंगे। यह स्थानान्तरण सूची सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मान्यवर, यह आश्चर्यजनक तथ्य है, इसमें 105 शिक्षकों के स्थानान्तरण हुए। मान्यवर, इसमें अपर सचिव के हस्ताक्षर 07–12–2004 को हैं और जबकि निदेशक ने हस्ताक्षर दिनांक 02–12–2004 को किये हैं। यह कैसे आदेश हैं कि शासन बाद में हस्ताक्षर कर रहा है और निदेशक पहले हस्ताक्षर कर रहा है। यह तो अजीब स्थिति है। मैं इसे माननीय अध्यक्ष जी, आपको उपलब्ध करा रहा हूँ।

मान्यवर, यह आपके विभाग में क्या हो रहा है? दूसरा मान्यवर, आपने कहा कि स्थानान्तरण प्रभावी होंगे, 2005 से स्थान रिक्त होने पर। मान्यवर, 105 की सूची निकाली गयी है। इसमें लिखा है कि स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित विद्यालय में पद रिक्त होने पर ही उक्त स्थानान्तरण प्रभावी होंगे। इसमें 2 खण्ड हैं। खण्ड–2 में लिखा है कि क्रमांक–105 में उल्लिखित जनपद देहरादून हेतु स्थानान्तरण तभी प्रभावी होगा जब दिनांक 30 जून, 2005 में होने वाली सेवानिवृत्ति अथवा पदोन्नति से जनपद देहरादून में रिक्त पद उपलब्ध हो जाय। इस सूची में जिन लोगों के नाम

हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। यह सूची मैं आपके पास भिजवा दूँगा। मान्यवर, 104 क्रम तक के लिए यह प्रस्तर प्रभावी नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करवाएंगे और इस सूची को निरस्त करवाएंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, निदेशक के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते हैं और उसके बाद ही यह स्वीकार होता है। विशेष परिस्थितियों में जिनके ट्रांसफर किये गये, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। श्रीमती कादम्बरी देवी जो पिछले 10 साल से दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हैं और 2 वर्ष से उनका डा0 सूरी के पास देहरादून में इलाज चल रहा है। इसी कारण इनका स्थानान्तरण स्वीकार किया गया है। ठीक इसी तरह . . . . . .

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जब पद रिक्त ही नहीं है और यह माननीय मंत्री जी जान रहे हैं तो फिर स्थानान्तरण क्यों किये गये? दूसरा जो मैंने वैधता को चुनौती दी। एक को यह निर्गत हुआ, 7 को सचिव ने हस्ताक्षर किये।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह तारीख 01–12 नहीं 07–12 है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों का हम पर बहुत अधिक दबाव होता है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह तो हम पर आरोप है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कभी–कभी हम पर इतना दबाव पड़ जाता है और कहा जाता है कि यदि पद रिक्त नहीं है तो वार्षिक प्रबन्ध के लिए आप लिख दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या स्थानान्तरण करते समय कोई अनियमितता हुई है, अगर हुई है तो कितनी हुई है और उन अनियमितताओं को दूर करने के लिए........? यह हंसने की बात नहीं है। मैं सदन में इस बात को कहना चाहता

हूँ कि स्थानान्तरण आज व्यवसाय हो गया है और इसे व्यवसाय नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके वास्तविक हकदार को ही यह हक मिलना चाहिए, जो दूर दराज के हैं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपका प्रश्न क्या है?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसमें विसंगति नहीं होनी चाहिए। यह मेरी पीड़ा नहीं है जो हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी पीड़ा है। मान्यवर, स्थानान्तरण को व्यवसाय नही बनाना चाहिए। इसमें सही व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए जो दूर दराज के कर्मचारी हैं, उन्हें शहरी क्षेत्रों में और जो शहरी क्षेत्रों में हैं, उन्हें दूर दराज भेजना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप प्रश्न करें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार द्वारा उसमें जो विसंगति हुई हैं, उनको सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है? जैसा माननीय मंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों की बात कही तो हमारी तो सुनी ही नहीं जाती है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय पंत जी ने उठाया था, उसका उत्तर पहले आ जाय तो ठीक रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जो आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के परिवार के एक सदस्य का ट्रांसफर मैंने एक हफ्ते पहले किया है, तो क्या वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह ट्रांसफर भी व्यवसाय के लिए कराया था?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरे परिवार का कोई भी आदमी शिक्षा विभाग में काम नहीं करता है, यह गलत आरोप है।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है तो मैं सदन में इस बात को भी कहना चाहूँगा, इसे माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जब मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से

बात करना चाहता था और बी0एस0ए0 अपने कार्यालय में थे, मैंने अपने पी0आर0ओ0 को भेजा था तो बताया गया कि बी0एस0ए0 आयुक्त के कार्यालय में गये हैं जबकि वह अपने कार्यालय में बैठे थे। तो इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया जाता है और मंत्री जी भी गुमराह कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी से कि जिस कर्मचारी ने यह कहा कि बी0एस0ए0 अपने कार्यालय में नहीं हैं, मैं उसका नाम जानना चाहूंगा, उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में विशेषाधिकार की सूचना भी मान्यवर, आपके पास है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बार–2 मुझे फोन किया कि मेरे परिवार के हैं, इनका ट्रांसफर कर दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरा तो पूरा उत्तरांचल परिवार है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, अगर आपके परिवार का नहीं था तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से क्या बात करना चाहते थे?

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है।

(व्यवधान)

चूंकि यह प्रश्नकाल है और इसमें प्वाइंटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। मान्यवर, मैंने एक प्वाइंटेड प्रश्न पूछा था। मैंने, स्थानान्तरण की जो सूची जारी की है, उसकी वैधता को चुनौती दी है। मैंने जिन कारणों को देते हुए यह चुनौती दी है, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा कर कार्यवाही करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सचिव की स्वीकृति के बाद ही निदेशक के पास इसे भेजा गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने इसकी वैधता को चुनौती दी है। मान्यवर, निदेशक के यहां से जो दस्तखत हुए हैं, वह 2 दिसम्बर, 2004 को हुए हैं। जबकि अपर सचिव के माध्यम से जो दस्तखत किए गए हैं, वह 7 दिसम्बर, 2004 को हुए हैं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जितना पूछा जा रहा है, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दें। माननीय सदस्य ने जो चुनौती दी है, क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? आपने कहा कि हम दबाव में काम कर रहे हैं। दबाव में तो आपकी पूरी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी दबाव में काम कर रहे हैं। यह आदेश कैसे हो गया? चाहे आपकी सरकार हो, चाहे हम सरकार में बैठे हों, यह अलग बात है लेकिन यह जो एक तंत्र है, यह कैसे फेल हो रहा है। इसकी एक मिसाल अभी माननीय सदस्य ने आपके सामने रखी है। माननीय सदस्य ने इसकी वैधता को चुनौती दी है। क्या माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर रहे हैं? यह प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। चाहे इनकी सिफारिश से हुआ हो या किसी और की सिफारिश से हुआ हो। यह अवैध काम क्यों हुआ है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए? यदि इस तरह से आदेश होंगे तो आपके सभी अधिकारी इस तरह से आदेश करने लगेंगे। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, परिस्थितियों को देखते हुए अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की कठिनाई को देखते हुए वार्षिक प्रबन्ध में विचार करके यह स्वीकार किया कि यह स्थानान्तरण जून तक हो जाने चाहिएं और जून में रिक्त स्थान होने पर यह नियुक्तियां प्रभावी होंगी। मान्यवर, जो अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं बता दूं कि गीतांजली कण्डारी, सहायक अध्यापिका का स्थानान्तरण जस्सोवाला से बंजारावाला करने के लिए माननीय कण्डारी जी ने कहा था। मान्यवर, हमें इसी तरह से कन्सीडर करना पड़ता है, सभी लोगों की भावनाओं की कद्र करनी पड़ती है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह कण्डारी और भण्डारी का झगड़ा नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी तीन पुत्र वधु हैं। एक पुत्र वधु श्रीनगर में तथा दो ऋषिकेश में हैं बेसिक शिक्षा में। क्या वे किसी भी विभाग में नौकरी नहीं कर सकती हैं? मान लीजिए मैंने यदि गीतांजलि कण्डारी के बारे लिख दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। (भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे जिसके कारण घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, सरकार सदन को गुमराह कर रही है इसलिए मैं अपने सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूँ। (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राइमरी से माध्यमिक विद्यालय स्तर तक एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा अनुमन्य पाठ्यक्रम लागू करना

*1. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के समस्त विद्यालयों, प्राइमरी से माध्यमिक स्तर तक में एकरूपता लाने के लिये एन0सी0ई0आर0टी0 तथा सी0बी0एस0ई0 द्वारा अनुमन्य पाठ्यक्रम को लागू करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

शैक्षिक सत्र 2005–06 से।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभी तक सरकार पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पाई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आने वाले सत्र से एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू कर दिया जायेगा, क्या पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य में शैक्षिक सत्र 2005–2006 से सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में माननीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, शिक्षकों आदि के साथ दिनांक 16–17 नवम्बर, 2004 को हुए विचार–विमर्श के बाद शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2005–2006 से उत्तरांचल राज्य के बेसिक शिक्षा में कक्षा 01 से कक्षा 8 तक तथा माध्यमिक शिक्षा में कक्षा–9 में एन0सी0ई0आर0टी0, सी0बी0एस0ई0 का पाठ्यक्रम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी! अभी मैं पिछले महीने एन0सी0ई0आर0टी0 की मीटिंग में गया था और इसके चेयरमैन साहब से मेरी बात भी हुई। मैंने उनसे उत्तरांचल राज्य में एन0सी0ई0आर0टी0 एवं सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू किये जाने के बारे में वार्ता की और कहा कि हम इसे लागू करने जा रहे हैं। पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकें यहाँ भी उपलब्ध हैं और जो ऑथराइज्ड प्रकाशक हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त

कॉपीराइट सी0डी0 भी आपको उपलब्ध करा देंगे जिससे आप इन्हें अपने राज्य में छपवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने अब 28 तारीख को गवर्नमेंट प्रेस और यहाँ के ऑथराइज्ड प्रकाशकों की एक बैठक बुलाई है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं। क्या ऐसे विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें शैक्षणिक सत्र 2003–2004 की जो हैं, क्या वे पुस्तकें राजकीय मुद्रणालय से क्रय करायी जायेंगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार ने जो फैसला लिया है, वह बहुत उत्साहवर्धक भी है, लेकिन क्या प्राइमरी के अध्यापकों को ये शिक्षा देने के लिए कोई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गयी है? क्योंकि मान्यवर, आप जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं होती है और अर्हता रखने वाले अध्यापकों की भी कमी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसमें हिन्दी माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी। इस पाठ्यक्रम को लागू करने में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, संरचना, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि का विशेष ध्यान रखा गया है। डाइट के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, वर्ष 2005–2006 में अब समय ही क्या रहा है। प्रशिक्षण के लिए कोई इन्स्टीट्यूट तय कर दिया गया है या नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, डाइट के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो भी आवश्यक ट्रेनिंग होगी, वह दी जायेगी। एन0सी0ई0आर0टी0 को निर्देशित कर दिया गया है कि विद्यालय खोलने की शुरूआत करें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें किस क्लास से शुरु होंगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हम पाठ्यक्रम 09वीं कक्षा से शुरु करेंगे तथा कक्षा 01 से 08 तक अब पाठ्यक्रम एन0सी0ई0आर0टी0 का होगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, जिसने कक्षा 07 में एन0सी0ई0आर0टी0 के विषय नहीं पढ़े होंगे। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो यू0पी0 बोर्ड का विद्यार्थी होता है, वह काफी प्रतिभाशाली होता है। वह एन0सी0ई0आर0टी0 का कोर्स सहजता के साथ पढ़ लेगा। मान्यवर, आज भी यू0पी0 बोर्ड को एन0सी0ई0आर0टी0, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड की तुलना में कठिन माना जाता है।

मान्यवर, देहरादून के स्कूलों में सी0बी0एस0ई0 अंग्रेजी में है, हिन्दी में आ जायेगा तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह जो सी0बी0एस0ई0 और एन0सी0ई0आर0टी0 की पुस्तकें लागू होने जा रही हैं, क्या वे सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थानों में होने जा रही हैं और क्या इन पुस्तकों में हमारे प्रदेश का इतिहास, यहाँ की संस्कृति आदि वस्तुओं का समावेश भी है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों का पाठ्यक्रम पहले ही तैयार किया है और उसमें स्थानीय स्थल, प्रदेश का इतिहास, भौगोलिक स्थिति आदि का समावेश इन पुस्तकों में पहले ही किया जा चुका है। मान्यवर, यह सभी विद्यालयों में हैं। यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम को हम एन0सी0ई0आर0टी0 के माध्यम से सी0बी0एस0ई0 के पाठ्यक्रम को लागू कराने में पूरी तरह से सक्षम हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कक्षा सात की पुस्तक में उत्तरांचल की जनजातियों के बारे में है। तो इसमें जौनसारी जनजाति के शारीरिक गठन के बारे में है और उसमें लिखा था कि उनकी मूँछें तीखी होती हैं, पर मैंने किसी की भी मूँछें तीखी नहीं देखी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि आज के युग में कम्प्यूटर शिक्षा का मुख्य अंग बन चुका है और सरकार द्वारा विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू भी की गई है और कम्प्यूटर भिजवाये गये हैं, लेकिन देखने को यह आता है कि स्कूलों में जो कम्प्यूटर हैं, जिन कमरों में कम्प्यूटर रखे हैं, उनमें न तो कुण्डा है, न ताला है, न चौकीदार है। ऐसी बहुमूल्य सम्पत्ति को सुरक्षित करने के लिए क्या सरकार इन विद्यालयों में एक नये कक्ष बनवाये जाने पर विचार करेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर है, मा0 सदस्य दूसरे प्रश्न में लायें तो जवाब दे देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, राज्य में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा व्यवस्था की जा रही है और उधर सरकार ने निर्णय लिया है कि गुणात्मक सुधार के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की तो राज्य के अन्दर दोहरी शिक्षा हो जायेगी, तो क्या इसमें एकरूपता बनाने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान अलग नहीं है, सब एक ही पाठ्यक्रम है।

देहरादून के प्रसिद्ध बासमती चावल के संरक्षण हेतु नीति

*2. श्री हरबंस कपूर–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून के प्रसिद्ध बासमती चावल के संरक्षण हेतु सरकार की कोई नीति है?

यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री [श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)]–

जी हाँ।

बासमती को बढ़ावा देने हेतु जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल को बासमती निर्यात ज़ोन घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत बासमती क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता की वृद्धि हेतु तकनीकी प्रदर्शन, साहित्य वितरण, कृषि यंत्र वितरण, मृदा परीक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्य किये जा रहे हैं।

देहरादून जनपद बासमती चावल के लिये देश विदेश में प्रसिद्ध है। बासमती चावल के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौ0वि0वि0 के वैज्ञानिकों द्वारा देहरादून की प्रसिद्ध बासमती धान के नमूने एकत्रित कर उसके जीन द्रव्य के संरक्षण की कार्यवाही तथा विभिन्न गुणों के सम्बन्ध में शोध कार्य किया जा रहा है।

देहरादून बासमती को भारत सरकार के उपक्रम कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा भौगोलिक रूप में पैटेंट कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक बासमती उत्पादक जनपदों में एक कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के उपक्रम एपीडा को भेजा जा रहा है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि बासमती के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं और योजनाओं का उल्लेख किया है। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि देहरादून की बासमती चावल क्षेत्र विशेष का जो अपने आप में मशहूर है, उसकी गुणवत्ता, उसकी खुशबू उसका स्वाद अपना अलग है। लेकिन पूरा क्षेत्र, प्राधिकरण की गल्तियों और गलत नीतियों के कारण उसका व्यवसायीकरण हुआ है। मान्यवर, यह भूमि है, उसे प्राधिकरण अधिग्रहण करने जा रहा हैं, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बासमती चावल के लिए उपयुक्त क्षेत्र है, उसे अधिग्रहण से बचाने के लिए कोई नीति बनायी है, क्या उसे सुरक्षित रखेंगे?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि देहरादून में माजरा, शैवलाकला, पित्थुवाला, ब्राह्मणवाला, सेवला खुर्द, मगनानी और दुधली खादर में बासमती उगायी जाती रही है, इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो क्षेत्रफल देहरादून का है वह 286.20 हे0 उत्पादन क्षमता का है, उसमें 8497.50 कुन्तल होती है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो क्षेत्र बासमती के लिए विशेष स्थान रखता है उसे एम0डी0डी0ए0 द्वारा अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, उससे निश्चित रूप से जो देहरादून की बासमती का स्थान है उसमें कहीं न कहीं कमी आयेगी। इसे बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जितना क्षेत्र यह है, इसमें सारे लोगों की अपनी प्राइवेट जमीन है। ज्यादातर में आवासीय मकान बन चुके हैं, जितना क्षेत्र बाकी है, उसमें विभाग द्वारा सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कितने क्षेत्र में आवासीय मकान बने हैं और कितने क्षेत्र में कृषि की जा रही है?

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रंवाई क्षेत्र में जो लाल चावल होता है, वह अपनी अलग पहचान रखता है। काफी लोगों को इसकी जानकारी होगी। वर्तमान समय में आज लाल चावल 28 रुपये किलो बिक रहा है। मान्यवर, चावल की यह प्रजाति अब लुप्त होने की कगार पर है। अगर यह चावल हाथ से ओखली में कूट कर बनाया जाये और फिर इसे पकाया जाये, मान्यवर, यहां पर यह चावल पक रहा हो तो मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा में इसकी खुशबू जायेगी। तो क्या मान्यवर, सरकार लाल चावल को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बनाने जा रही है?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, क्या माननीय मालचन्द्र जी हमको कभी इस चावल का स्वाद चखाएंगे?

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा होगी तो सभी माननीय सदस्यों को 1–1 किलो लाल चावल के पैकेट दिये जाएंगे। (हंसी)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि मैं लक्ष्य तो नहीं बता पाऊँगा। इसलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ। कितने क्षेत्र में 10 वर्षों में बासमती का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? बासमती का जो एरिया है, उसका अधिग्रहण करने से एम0डी0डी0ए0 या अन्य जो भी संस्था हो उसे रोका जाये। मान्यवर, जब हम कनाडा गये थे तो वहां पर एक चावल के बोरे पर लिखा था देहरादूनी चावल। मान्यवर, यह इतना फेमस चावल है। जब उससे पूछा कि इस पर देहरादूनी चावल क्यों लिखा है तो उसने कहा कि इसका यही नाम है। मान्यवर, आज बासमती का जो एरिया है उसका अधिग्रहण करने की बात चल रही है। क्या सरकार इस क्षेत्र को, बासमती कमांड एरिया को अधिग्रहण करने से रोकेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि लोगों की अपनी नाप लैण्ड है। सरकार सर्वेक्षण का कार्य शुरू करवा रही है और हमारी नीति भी है कि जो देहरादून का बासमती का इतिहास रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सर्वेक्षण किस का हो रहा है अधिग्रहण का या कृषि भूमि का?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। (व्यवधान)

पहले इसका सर्वे करना होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यह एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, लोगों की अपनी प्राइवेट नाप लैंड है, कहीं पर लोगों ने इस पर मकान भी बनाये हैं और कुछ जमीन बिक भी चुकी है, सरकार पहले इसका सर्वे करवा रही है, उसके बाद ही यह सब देखा जा सकेगा।

(व्यवधान)

वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

*3. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में अनेक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षक वर्षों से शहरी एवं सुगम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कार्यरत हैं?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि वहीं अनेक शिक्षक वर्षों से दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कार्यरत हैं?

क्या सरकार ऐसे शिक्षकों को शहरी सुगम तथा दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में सेवा करने का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई सु–स्पष्ट नीति जारी करेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि शहरी और सुगम स्थानों में मानक से अधिक अध्यापक नियुक्त हैं और यह भी कहा था कि दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक हैं। तो वार्षिक योजना के समय इन बातों का ध्यान रखा गया और कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण विगत दो वर्षों में किये गये और कितने अध्यापकों ने दुर्गम एवं अतिदुर्गम स्थानों के विद्यालयों में ज्वाइनिंग दी और कितने अध्यापकों को दुर्गम से मैदानी सुगम या शहरी विद्यालयों में स्थानान्तरण किया गया है? यह माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जिनका दुर्गम या अति दुर्गम में दीर्घ ठहराव हो जाता है, उनका स्थानान्तरण सुगम में करने के लिए आवेदन–पत्र देने पर ही किया जाता है। राज्य में 60 प्रतिशत दुर्गम, अतिदुर्गम एवं पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो उनके स्थानान्तरण आवेदन–पत्र देने तथा दीर्घ ठहराव होने पर ही किया जाता है। इसके लिए एक शासनादेश 330/24–2–2004 दिनांक 24 मई, 2004 के माध्यम से एक स्थानान्तरण नीति का प्रौसिजर तैयार किया है। उसके बाद हमारी जो नीति बनी है, उसमें इन बातों का समावेश किया गया है कि जिनका इन दुर्गम क्षेत्रों में दीर्घ ठहराव है और जो आवेदन देंगे उनके स्थानान्तरण

पर ही विचार किया जा सकेगा। जहां तक 2004 में किये गये स्थानान्तरणों की बात है तो इसमें निदेशालय स्तर पर दुर्गम से सुगम में 10 प्रवक्ता और गढ़वाल मंडल में दुर्गम से दुर्गम में 56 प्रवक्ता, 71 एल0टी0 तथा सुगम से सुगम में 12 प्रवक्ता, 9 एल0टी0 और दुर्गम से सुगम में 27 प्रवक्ता, 22 एल0टी0 एवं सुगम से दुर्गम में 20 प्रवक्ता और 12 एल0टी0, इसी प्रकार से कुमाऊँ मंडल में दुर्गम से दुर्गम में 39 प्रवक्ता, 35 एल0टी0 तथा सुगम से सुगम में 18 प्रवक्ता, 5 एल0टी0 दुर्गम से सुगम में 31 प्रवक्ता, 53 एल0टी0 तथा सुगम से दुर्गम में 18 प्रवक्ता और 16 एल0टी0 का स्थानान्तरण किया गया है। यदि आप इसकी डिटेल मांगे या चाहें तो मैं जनपदवार सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल का भी बता दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसकी इक्जैक्ट फीगर तो मेरे पास नहीं है, यदि आप चाहेंगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि दुर्गम क्षेत्र के अध्यापकों के आवेदन लिए। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल में कुल मिलाकर कितने ऐसे आवेदन आपको प्राप्त हुए और इनमें से आपने कितनों के स्थानान्तरण किए तथा इनमें से कितने ऐसे अध्यापकों ने आवेदन किया है जिन्हें 5 वर्ष से अधिक दुर्गम क्षेत्र में हो गया है? क्या इन सभी के स्थानान्तरण कर दिए हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है। एक लाख आवेदन मिले हैं, सभी के नाम बता पाना संभव नहीं है। माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी ने जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानान्तरण सूची मांगी थी, वह मेरे पास उपलब्ध है, मैं बता रहा हूँ। मान्यवर, हरिद्वार जिले में सुगम में 12, दुर्गम में 19, अति दुर्गम में 17, कुल 48, रुद्रप्रयाग में सुगम में 44, दुर्गम में 25, अतिदुर्गम में 13 कुल 82, चम्पावत में सुगम में 03, दुर्गम में 41, अतिदुर्गम में 06 कुल 50, बागेश्वर में सुगम में 02, दुर्गम में 75, अतिदुर्गम में 08 कुल 85 स्थानान्तरण किये गए हैं। मान्यवर, मेरे पास सभी 13 जनपदों की सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें यह सूची उपलब्ध करा सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या –(3) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश के पर्वतीय कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों के समर्थन मूल्य की नीति

*4. श्री किशोर उपाध्याय--

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मैदानी कृषकों की भांति पर्वतीय कृषको द्वारा उत्पादित फसलों हेतु सरकार समर्थन मूल्य सम्बन्धी नीति बनाने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू माई)--

जी नहीं।

फसलों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में भवनहीन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का ब्योरा एवं भवन उपलब्ध कराने पर विचार

1. श्री किशोर उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवनहीन तथा कितने जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं?

क्या सरकार भवनहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध कराये जाने पर कोई विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

प्रदेश के 51 प्राथमिक, 22 उच्च प्राथमिक, 82 हाई स्कूल तथा 01 इण्टर कॉलेज भवनहीन और 880 प्राथमिक, 97 उच्च प्राथमिक, 57 हाई स्कूल तथा 213 इण्टर कॉलेज जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

दि0 24-02-2004 को जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल का उच्चीकरण

2. डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 24-02-2004 को जनपद चमोली के भ्रमण पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के अनुरूप चमोली के

जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल स्तर पर एवं हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति उच्चीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चमोली अन्तर्गत विकासखण्ड घाट के प्राथमिक विद्यालय बांसवाड़ा के क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण

3. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के प्राथमिक विद्यालय बाँसवाडा का भवन क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सहायक शिक्षा अधिकारी घाट द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बाद भी उक्त विद्यालय को सर्व शिक्षा के अन्तर्गत नहीं लिया गया है?

क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धन आवंटन कराये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय बाँसवाडा को पुनर्निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लिया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

चम्पावत में ग्राम घुवालखेड़ा–शारदा चुंगी पूर्णागिरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण की अद्यतन स्थिति

4. श्री प्रकाश पन्त–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जिला चम्पावत में ग्राम घुवालखेड़ा–शारदा चुंगी पूर्णागिरी सम्पर्क मार्ग के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है?

क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किए जाने के पूर्व ही उसका लोकार्पण किया गया?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

जिला चम्पावत में टनकपुर रोड से घुवालखेड़ा सम्पर्क मार्ग जो 800 मीटर स्वीकृत है, को उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा बनाया जा रहा है, जिस पर 200 (दो सौ) मीटर सीमेंट कंक्रीट का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 600 मीटर पर कार्य प्रगति पर है।

जी नहीं। मार्ग का निर्माण शुरू होने पर शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकासखण्ड कर्ण प्रयाग जनपद चमोली के राजकीय हाईस्कूल सिलिगी के उच्चीकरण पर विचार

5. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करें कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्ण प्रयाग के राजकीय हाईस्कूल सिलिगी के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के उच्चीकरण किये जाने हेतु विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्ण प्रयाग कन्या जूनियर हाईस्कूल मकुण्डा के उच्चीकरण पर विचार

6. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्ण प्रयाग के कन्या जूनियर हाईस्कूल मकुण्डा के उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के उच्चीकरण पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु रखे गये अध्यापकों को विनियमित करने पर विचार

7. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के कुल कितने हाईस्कूल एवम् इण्टर कॉलेजों में वर्ष 1989 में व्यवसायिक शिक्षा को प्रारम्भ करने के लिये केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत कितने अध्यापकों को नियुक्त किया गया था?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि कुछ राज्यों ने प्रवक्ता पद पर कार्यरत उक्त अध्यापकों को विनियमित किया है?

यदि हाँ, तो क्या उत्तरांचल सरकार भी उक्त श्रेणी के अध्यापकों को विनियमित करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 1989 में व्यवसायिक शिक्षा को प्रारम्भ करने के लिए 27 इण्टर कॉलेजों में 90 अतिथि विषय विशेषज्ञों को दैनिक मानदेय के आधार पर रखा गया था। तद्‌नुसार इसमें उत्तरांचल का कोई हाईस्कूल सम्मिलित नहीं था।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

विनियमितीकरण विहित प्रक्रिया द्वारा चयनित/नियुक्त अध्यापकों अथवा कार्मिकों का किया जाता है न कि मानदेय के आधार पर कार्य करने वाले अतिथि विशेषज्ञों का।

उत्तरांचल में संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति

8. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं?

क्या सरकार इन पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापकों के 130 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट में स्थित जूनियर हाईस्कूल भैसोली का उच्चीकरण

9. श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के विकासखण्ड द्वाराहाट स्थित जू०हा० भैसोली के 10 कि०मी० दूरी तक कोई हाईस्कूल नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जू०हा० भैसोली का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण करने पर विचार करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जू०हा०, भैसोली, विकास खण्ड द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा के 10 कि०मी० की परिधि में रा०उ०मा०वि०–द्वारसों संचालित है।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन है।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत तथा मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत रा०उ०मा० विद्यालय देवरी का उच्चीकरण

10. श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में खटीमा विकासखण्ड के अन्तर्गत रा०उ०मा० विद्यालय देवरी के उच्चीकरण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड खटीमा हाई स्कूल नगला तराई तथा सितारगंज स्थित जू०हा० स्कूल बलखेड़ा के उच्चीकरण की योजना

11. श्री गोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के विकासखण्ड खटीमा स्थित जूनियर हाईस्कूल, नगला तराई तथा विकासखण्ड सितारगंज स्थित जूनियर हाईस्कूल बलखेड़ा के उच्चीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मियों की पदोन्नति नीति

12. श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मंडल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी शिक्षणेत्तर कर्मियों की पदोन्नति की कोई नीति बनाई गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमावली/नीति मण्डलानुसार नहीं बनाई जाती है, बल्कि पूरे प्रदेश में एक ही लागू है।

शिक्षकों के सम्बद्धीकरण को समाप्त करने के निर्देश

13. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षकों के सम्बद्धीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के सम्बन्ध में अब तक किन–किन अधिकारियों को कब–कब निर्देशित किया गया है?

क्या यह सत्य है कि अनेकों निर्देशों के बावजूद आज भी अनेक शिक्षक इच्छित स्थानों पर सम्बद्धीकरण पर बने हुए हैं?

यदि हाँ, तो सम्बद्धीकरण पर बने शिक्षकों का जनपदवार विवरण क्या है और इन शिक्षकों को सम्बद्धीकरण पर बनाये रखने के प्रति कौन–कौन अधिकारी दोषी हैं?

क्या सरकार दोषी अधिकारियों के प्रति कठोर कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

शिक्षकों के सम्बद्धीकरण को समाप्त करने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी/नैनीताल, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, पौड़ी/नैनीताल, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/नैनीताल, जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरांचल को दिनांक 26–02–2003, 09–04–2003

एवं 20–08–2003 तथा अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक पौड़ी/देहरादून को दिनांक 01–12–2004 तथा अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, उत्तरांचल को दिनांक 01–12–2004 एवं दिनांक 06–01–2005 द्वारा निर्देशित किया गया।

शिक्षक इच्छित स्थानों पर सम्बद्ध नहीं हैं अपितु नवीन विद्यालयों के संचालन/शिक्षकों के चिकित्सावकाश पर होने तथा शिक्षकों की अन्यत्र प्रोन्नति होने के कारण विद्यालय संचालन हेतु शिक्षकों को सम्बद्ध किया गया है।

सम्बद्ध शिक्षकों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :–

जनपद	शिक्षक
1. अल्मोड़ा	14
2. नैनीताल	16
3. पिथौरागढ़	05
4. ऊधमसिंह नगर	04
5. चम्पावत	01
6. बागेश्वर	—
7. पौड़ी	23
8. चमोली	03
9. देहरादून	—
10. उत्तरकाशी	09
11. टिहरी	27
12. हरिद्वार	—
13. रूद्रप्रयाग	—
योग –	102

सम्बद्धीकरण हेतु कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

नवीन विद्यालयों के संचालन/शिक्षकों के चिकित्सावकाश पर होने/शिक्षकों की अन्यत्र पदोन्नति होने के कारण विद्यालयों के संचालन हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में शिक्षकों को सम्बद्ध किया गया है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट इण्टर कॉलेज में मृतक प्रवक्ता के आश्रित को सेवायोजन

14. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट इण्टर कॉलेज जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्टूबर, 2001 को श्री जीवन चन्द्र जोशी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई थी?

यदि हाँ, तो क्या मृतक के आश्रित को सेवायोजन प्रदान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति का प्राविधान न होने के कारण।

उत्तरांचल के बेसिक शिक्षाविभाग में प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों का देहरादून में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का ब्योरा

15. श्री हरबंश कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा में उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों से प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक/अध्यापिका, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जूनियर हाई स्कूल के अन्तार्जनपदीय स्थानान्तरण जनपद देहरादून में हुए हैं?

यदि हाँ, तो किन–किन जनपदों से कितने स्थानान्तरण हुए हैं?

क्या इन स्थानान्तरित अध्यापकों से पूर्व नियुक्त जनपद के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हो चुकी है?

यदि नहीं, तो क्या इन स्थानान्तरित अध्यापकों को पदावनत किया जायेगा तथा देहरादून जनपद के वरिष्ठ अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालयों से उक्त पदों पर पदोन्नति कब तक की जायेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	प्रा0 वि0		उच्च प्रा 0वि0	
		प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0
1.	चमोली	02	14	00	05
2.	रुद्रप्रयाग	01	03	00	03
3.	टिहरी	13	22	00	12
4.	उत्तरकाशी	02	14	00	01
5.	पौड़ी	12	16	00	31
6.	हरिद्वार	00	01	00	00
7.	अल्मोड़ा	01	01	00	01
8.	नैनीताल	00	03	00	04
9.	ऊधमसिंह नगर	00	05	00	00
10.	पिथौरागढ़	00	01	00	00
11.	चम्पावत	00	00	00	01
	योग–	31	80	00	58

जनपद के सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति हुई है।

प्रश्न नहीं उठता। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां की गयी हैं एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया गतिमान है।

पर्वतीय क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा के लिए निर्धारित धनराशि को बढ़ाने की मांग

16. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु 20 (बीस) हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त धनराशि में आगणन के अनुसार बढ़ोत्तरी किये जाने पर विचार करेगी?

क्या उन विद्यालयों में आगणन के अनुसार धन स्वीकृत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पेयजल संयोजन हेतु प्रति विद्यालय रु0 20 हजार का मानक तय है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 नारायण सिंह जंतवाल, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्री कैलाश शर्मा, श्री मालचन्द्र, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री नारायण पाल तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री कैलाश शर्मा, डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी, डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री माल चन्द्र, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

उत्तरांचल में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु दि0 22–12–2004 समाचार–पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश मे राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय द्वारा दिनांक 22–12–2004 को समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है जिसमें केवल उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल में स्थापित विश्व विद्यालय/संस्था से आयुर्वेदिक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। प्रकाशित विज्ञापन के मानकों के तहत उत्तरांचल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के मूल निवासी जो अन्य प्रदेशों से आयुर्वेदिक उपाधि प्राप्त हैं तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् उ0प्र0 (सहित उत्तरांचल) से पंजीकृत हैं, वह उक्त पद हेतु आवेदन करने से वंचित हो गये हैं जिससे कि उत्तरांचल मूल के योग्य अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में तत्काल संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि उत्तरांचल मूल के आयुर्वेदिक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें।

यह एक अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रकाशन में संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही की जाय।

जूनियर हाईस्कूल भवाली जनपद नैनीताल के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में शिक्षा से जुड़े अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न को लाना चाहता हूँ।

जूनियर हाईस्कूल भवाली–नैनीताल बन्द होने के कगार पर है। विद्यालय में काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। यह जूनियर हाईस्कूल भवाली का एक मात्र जूनियर हाईस्कूल है। इस विद्यालय की स्थापना 1970 में हुई। तब से इसका संचालन नगरपालिका भवाली द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में नगर पालिका परिषद् भवाली आर्थिक बदहाली के कारण विद्यालय का संचालन करने में सक्षम नहीं है। विद्यालय में पठन–पाठन सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए इस विद्यालय को बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित करना एक मात्र विकल्प है।

अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि विद्यार्थियों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रभावकारी कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

जनपद चमोली के वि0ख0 के सांकरी नामक स्थान पर निगोल नदी पर झूला पुल की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के सांकरी नामक स्थान पर निगोल नदी पर झूला पुल की मांग को लेकर चल रहे आन्दोलन की ओर दिलाना चाहता हूँ। महोदय, उक्त झूला पुल से जहां दर्जनों गांव जिनमें प्रमुख रूप से सांकरी, सेम देवीखेत, पाइली, काण्डेय प्रमुख ग्राम सभाएं हैं, को आवागमन का लाभ पहुँचेगा वहीं निगोल नदी के पार काश्तकारों की भूमि पर जाने का भी मार्ग बनेगा। ऐसे आवश्यक पुल के लिए स्थानीय जनता विगत कई दिनों से विभाग को

लिख रही है। परन्तु किसी भी कार्यवाही के न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा वह आन्दोलित है।

अतः महोदय इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत चपटाड़ी बचाण गांव में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माल चन्द्र-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत चपटाड़ी बचाण गांव में जहां विगत वर्षों से लगातार बरसात में रखड़ी खड्ड पर झूला पुल न होने से क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं। जिनके मध्य लोग बह गये हैं और क्षेत्र के तमाम मवेशी समय-समय पर प्रभावित होते रहते हैं, आने-जाने का यहाँ पर एक ही रास्ता है। जो विकट रूप ले चुका है। शाम होने के बाद लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते, पूर्व में भी मेरे द्वारा उपरोक्त पुल के लिए निवेदन किया गया है जो कि आश्वासन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था। लेकिन झूला पुल का निर्माण नहीं हुआ है। उपरोक्त क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।

रानीखेत को नगर पालिका बनाने व चुंगी को हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, रानीखेत नगर पालिका जनपद अल्मोड़ा की जनता रानीखेत शहरी क्षेत्र को नगरपालिका बनाने की माँग 1977 से निरन्तर करती आ रही है। रानीखेत को नगरपालिका बनाने व चुंगी हटाने के लिए जन संघर्ष मोर्चा द्वारा विगत दिनों 28 दिनों तक आंदोलन चलाया गया। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी ने 1998 में रानीखेत नगर पालिका के लिए एक पत्र संख्या 530/इक्कीस/32/97-98 दिनांक 27 जून 1998 को उत्तर प्रदेश नगर विकास सचिव को प्रबल संस्तुति के साथ पत्र प्रेषित किया।

1999 में रक्षा राज्य मंत्री माननीय एस0बी0एम0 सॉंगू ने लोक सभा में कहा कि सरकार रानीखेत को नगर पालिका बनाने को तैयार है लेकिन छावनी अधिनियम की धारा 1924 की उपधारा 4 के उपबन्धों के अनुसार छावनी का कोई हिस्सा सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही छावनी क्षेत्र में अपवर्तित किया जा सकता है।

परन्तु तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की राय प्राप्त नहीं हुई थी। अतः इस मामले पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर निर्भर करेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा 1988 में अम्बाला छावनी व रुड़की छावनी मेरठ फेज को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। लेकिन रानीखेत को नगर पालिका नहीं बनाया गया।

18-02-2004 को एक शिष्टमण्डल माननीय मुख्यमंत्री से मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचिव नगर विकास से पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा था तथा पूरा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजने की बात कही थी।

रानीखेत नगर पालिका न बनने से क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ऋषिकेश से गंगा भोगपुर, कौडिया एवं बीला जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल के ऋषिकेश से गंगाभोगपुर, कौडिया, डांडा मण्डल बीला जाने वाले मार्ग में पड़ने वाली विन्दवासिनी नदी की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। इस नदी पर पुल के अभाव में बरसात के समय क्षेत्र की जनता का अन्य हिस्सों से सम्पर्क कट जाता है, जबकि इन लोगों को विद्यालय, अस्पताल, बाजार की अन्य जरूरी चीजों से बरसात के समय वंचित रहना पड़ता है। बच्चे दो-तीन महीने तक विद्यालय नहीं जा सकते तथा वह मेला बरसात में ही होता है। नीलकण्ठ जाने वाले यात्री भी पुल के अभाव में नहीं जा पाते हैं तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बीच नदी पर पुल का निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करती हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के वि0 ख0 भैंसियाछाना के अन्तर्गत सेराघाट जीप दुर्घटना में मृतक परिवारों तथा घायलों को अपेक्षित सरकारी सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश शर्मा-

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा में 14-11-04 के दिन शाम के लगभग 5 बजे भैंसियाछाना विकास खण्ड में शेराघाट से 2 कि0मी0 की दूरी पर सड़क की दीवार टूटी

होने के कारण एक जीप अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गयी। जीप के अनियंत्रित होने से वहाँ पर खड़े काफी लोग भी जीप की चपेट में आकर जीप के साथ ही खाई में गिर गये। इस दुर्घटना से 19 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई तथा 7 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस दुर्घटना के बाद सरकार की ओर से अब तक केवल मृतकों के परिवार वालों को पाँच–पाँच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। सरकार द्वारा अभी तक अपेक्षित की सहायता नहीं दिये जाने से क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कराने की माँग करता हूँ।

उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 जनवरी, 2005 की बैठक में दिनांक 19 जनवरी, 2005 से दिनांक 20 जनवरी, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

जनवरी, 2005—

19 बुधवार — उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण (पन्द्रह मिनट)।

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

20 गुरूवार — (1) श्री गगन सिंह रजवार द्वारा नियम—103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :—

"यह सदन सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली लुप्त प्राय वनराजि आदिम जनजाति के संरक्षण संवर्धन एवं उत्थान की व्यवस्था करें।"

(2) श्री अजय भट्ट द्वारा नियम—103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु व्यापक जनहित में पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाय।"

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिस की सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से काजी निजामुद्दीन, श्री हरीदास, श्री तसलीम अहमद, श्री हरबंस कपूर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा श्री प्रकाश पंत की सूचना को नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। तथा आज नियम 311 के अन्तर्गत उत्तरकाशी जिले के वरूणावत पर्वत का ट्रीटमेंट कार्य के सम्बन्ध में श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट आदि की जो सूचना मिली है, उसे मैं नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी 311 की सूचना को नियम 56 में सुनने की अनुमति दी है। मान्यवर, यह वरूणावत पर्वत का मामला है। उत्तरांचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और भारत ही नहीं विश्व में यह एक कौतूहल का केन्द्र रहा। जब लगभग एक महीने से डेढ़ हजार मीटर ऊँचाई से लगातार निर्विवाद रूप से पत्थर गिरते रहे और धुआं का लावा आता रहा। लोगों में त्राहि–त्राहि मच गई, कई लोगों ने भूत प्रेत की आशंकाएं जतायी। मान्यवर, हम लोग भी वहां पर गये थे और देख कर लगता था कि यह वास्तव में आश्चर्य जनक चीज हो रही है, इससे गंगोत्री राजमार्ग पट गया था, मान्यवर, इस समय बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। लोगों को टेंटों में बसाया गया, लोग घर छोड़कर चले गये। मान्यवर, 24 सितम्बर, 2003 को यह घटना घटित हुई।

मान्यवर, आज लगभग सवा साल से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, पर लोग आज भी वहाँ परेशान हैं और सरकार द्वारा उनको पुनःस्थापित नहीं किया गया है और ठंड के कारण तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जिनके नाम सुरेशी देवी, राम चन्द्र, राम किशन हैं बाकी लोग वहाँ के अस्पताल में आज भी भर्ती हैं। उस समय 116 परिवार प्रभावित हुये थे। मान्यवर, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने देहरादून आगमन पर ढाई सौ करोड़ रुपया वरूणावत पर्वत के ट्रीटमेन्ट के लिए दिया

और उसकी पहली किस्त यहाँ पर आ भी गई है, लेकिन आज धन की जो बन्दरबांट यहाँ पर की जा रही है और जिस तरह से ट्रीटमेन्ट के नाम पर लूट–खसोट का वातावरण वहाँ पर है ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया है। मान्यवर, अच्छा होता कि वहाँ पर किसी अच्छे ट्रीटमेन्ट करने वाली कम्पनी को बुलाया जाता। मान्यवर, कार्य अभी मई माह में प्रारम्भ हुआ, इसके लिए टेण्डर जाना चाहिए था। क्योंकि आपदा प्रबन्धन का काम करने की बहुत कुशलता हमारे पास नहीं है, धीरे–धीरे कुशलता बढ़ रही है। मान्यवर, इसके लिए श्रींग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को ठेका दिया, पहले यह कम्पनी राजकुमार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से बनी थी और जब यह ब्लैक लिस्टेड हो गई तो यह श्रींग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से खुल गई। मान्यवर, जो कम्पनी ब्लैक लिस्टेड हो गई थी उन लोगों को पनपने के लिए हमने लगभग ढाई करोड़ रुपयों के इन्स्ट्रूमेण्ट खरीदने को दे दिये और उसके बाद खरीदने में समय लगाया और उसके बाद आज भी उनके पास अभी तक पूरे इन्स्ट्रूमेण्ट नहीं है। मान्यवर, इस कम्पनी ने सिर्फ मिट्‌टी को बाहर डालने का काम किया। 25 करोड़ की धनराशि में से 10 करोड़ की धनराशि से मिट्‌टी को उठाकर दूसरी तरफ डालने का काम किया गया है। मान्यवर, रामलीला ग्राउण्ड के किनारे–किनारे 2 मीटर ऊँची दीवार करीब 200 मीटर लम्बी बनाई गई। मान्यवर, डेढ़ हजार की ऊँचाई से पत्थर आयेगा तो क्या वह 2 मीटर ऊँची दीवार उस पत्थर को रोक पायेगी। यह ट्रीटमेन्ट प्लांट में नहीं था कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन यह कम्पनी विशेष को फायदा देने के लिए दिया जा रहा है। मान्यवर, इसकी पोल तब खुली जब 16 तारीख को पुनः एक बड़ा पत्थर नीचे आ गया और नीचे माघ मेला चल रहा था तभी अचानक से धुँआ उठा और रामलीला ग्राउण्ड में भगदड़ मच गई और लोगों में अफरा–तफरी हो गई, पर ईश्वर की कृपा रही, पेड़ों से टकराकर उसकी दिशा बदल गयी, नहीं तो बहुत बड़ी मात्रा में जनहानि हो जाती।

मान्यवर, क्योंकि वहाँ पर 3–4 हजार आदमी मेला देखने के लिए एकत्र हुए थे। यह एक बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही है, आखिर 8 महीने से काम बन्द था, ठीक माघ मेले पर क्यों प्रारम्भ किया गया यह तो लोगों को दिखाने के लिए किया गया है कि ट्रीटमेन्ट कार्य चल रहा है। आखिर किसने ऐसा काम किया उस पर "लाइबिलिटी" फिक्स होनी चाहिए एवं मुकदमा भी होना चाहिए जिस अधिकारी, कर्मचारी ने इसे प्रारम्भ किया। मान्यवर, इसका सारा काम शासन स्तर पर देहरादून से होता रहा है। जिलाधिकारी वहाँ पर हैं, उनका कहना है मुझे 4 महीने से पता है। मुझे पैसा दिलाया जा रहा है जिस–जिस को मुझसे देने को कहते हैं, मैं उसको देता हूँ। शासन स्तर पर (कॉन्टेक्ट) अनुबन्ध हुआ है।

मान्यवर, यह छोटा–मोटा काम नहीं है। वहाँ की जनता ने जब प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री वहाँ पहुँचे थे तो उनको घेरा, तो उन्होंने कहा कि यह तो वैज्ञानिक जानें इससे हमारा कोई लेना–देना नहीं है। उत्तरकाशी को बफर जोन बनाने की साजिश चल रही है, ताकि पूरा शहर ही समाप्त हो जाय। उत्तरकाशी को बफर जोन क्यों बनाया जा रहा है? जो मिट्‌टी फेंकी जानी थी उसे सुरक्षित जगह फेंका जाना चाहिए

था। मिट्टी को डम्पिंग करने के लिए पहले 100 पेड़ काटे गये अब 3 हजार पाँच सौ पेड़ काटे जा रहे हैं। माइडाडा के पास खेतला के ऊपर मिट्टी को "डम्प" किया जा रहा है। मान्यवर, जब वर्षा होगी तो तेखला और गंगोत्री बस्ती के क्षेत्र तबाह हो जायेंगे, वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जायेगी। मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण मामला और कोई नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मामला तात्कालिक है। अतः शेष कार्यवाही को रोककर नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है, इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई हो ही नहीं सकता है।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने इस सूचना को ग्राह्यता पर सुना है।

श्री अध्यक्ष–

आपने ही तो कहा था कि एक ही सदस्य बोलेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है बोल लीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, निश्चित रूप से आपने सदाशयता बरती और आप सदाशयी व्यक्ति हैं आपमें सदाशयता झलकती हैं। आपने हमारी सूचना को नियम 56 में सुना। मान्यवर, यह परम्परा भी है कि जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही हो तब ये प्रस्ताव चर्चा के लिए नहीं लाया जाता है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सदाशयता को देखते हुए कि इस पर ऐतिहासिक रूप से प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। श्रीमन्, यह एक निहायत ही गम्भीर विषय है, यह लोक महत्व का विषय है और तात्कालिक है। यह दो दिन पहले की घटना है। मान्यवर, 16 जनवरी को वहाँ पर पुनः भूस्खलन हुआ इसलिए यह तात्कालिक लोक महत्व का विषय है और वहाँ पर जनता में खलबली मची हुई है तो यह अविलम्बनीय है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अविलम्बनीय इसलिए है कि यदि इस पर चर्चा न कराई गयी तो इससे जनता में आक्रोश बढ़ेगा, विक्षोभ की भावना पैदा होगी। 250 करोड़ जो केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबन्धन के लिए दिये थे जैसा मुझसे पूर्व वक्ता माननीय भट्ट जी ने कहा और सिद्ध भी किया कि इस धनराशि का दुरूपयोग हुआ है। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। सरकार ने 250 करोड़ रुपये का दुरूपयोग किया है। इस पर सरकार को श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए कि कहां, क्या कार्य हुए, किसके माध्यम से कार्य हुए, यह जानकारी आनी चाहिए? सत्ता पक्ष के लोग भी शायद इस पर बोलना चाहें। मान्यवर, वहां पर जो ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसको भी खतरा है। इसके महत्व को स्वीकारते हुए आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, यह सही है कि वरूणावत पर्वत की जो भयावह स्थिति थी, उससे पूरा उत्तरांचल प्रभावित हुआ। उसके उपचार कार्य हेतु 250 करोड़ रुपये का पैकेज भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसके अन्तर्गत वरूणावत पर्वत के उपचार कार्य के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को समस्त तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु अधिकृत किया गया है तथा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कंसल्टेन्सी हेतु नामित किया गया है। टी0एस0डी0सी0 द्वारा ट्रीटमेंट कार्य हेतु तैयार की गई ड्राइंग डिजाइन आदि पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से तकनीकी परामर्श लिया गया है। वरूणावत पर्वत का उपचार कार्य भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित तकनीकी एवं मानकों के अनुसार सम्पन्न किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रभावित व्यक्तियों के लिये राहत कार्य, पुनर्वास तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण कार्य भी इसी पैकेज के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में भूस्खलन के ट्रीटमेंट के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया एवं उक्त द्वारा जीयोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया को ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए अधिकृत किया गया। जी0एस0आई0 द्वारा भारत सरकार की टास्क फोर्स को अवगत कराया गया कि वरूणावत पर्वत के ऊपर जो पोसिट्स हैं वे क्रिटिकल स्टेट आफ इक्यूलिब्रियम में हैं, जिसके कारण भूस्खलन प्रारम्भ हुआ है।

जी0एस0आई0 का मत था कि वर्षा एवं अन्य भौगोलिक कारणों से यह प्रक्रिया एग्रीवेट हो सकती है। जी0एस0आई0 द्वारा एक्टिव तथा पोटेन्टियल लैण्डस्लाइड जोन्स चिन्हित करके टी0एस0डी0सी0 को विवरण उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके आधार पर उपचार की योजना बनायी गयी है। टी0एस0डी0सी0 द्वारा उपचार के कार्य को विभिन्न चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण में क्राउन का उपचार किया जायेगा, द्वितीय चरण में क्यूट चैनल्स उपचारित होंगी तथा गुली स्टेबिलाईजेशन कार्य किया जायेगा। इसमें पूर्व से निर्मित प्लेटफार्म हेतु केबिल एंकरिंग सपोर्ट प्रदान की

जायेगी। इसके अन्तर्गत दो प्लेटफार्म बनाये जायेंगे, रिटेनिंग दीवारें बनायी जायेंगी, ग्राउटिंग, एन्करिंग तथा ड्रैनेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। उक्त प्लान पर टी0एस0डी0सी0 के दिशा-निर्देशों में श्रींग कम्पनी वर्तमान में ट्रीटमेंट कार्य कर रही है।

इस प्रकरण में ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, मस्जिद मौहल्ला एवं उद्यान कॉलोनी से मलबा सफाई का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। बढ़ेती से मनेरा होते हुये तेखला उत्तरकाशी तक 9.50 किलोमीटर मोटर मार्ग वैकल्पिक के निर्माण कार्य हेतु 39.08 करोड़ के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वरूणावत पर्वत भूस्खलन से प्रभावितों में राहत कार्यों एवं पुनर्निर्माण कार्यों तथा विस्थापन कार्यों हेतु भारत सरकार से अग्रिम रूप में 50 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, अभी 250 करोड नहीं मिला है। जिसमें से वरूणावत पर्वत के ट्रीटमेंट कार्य हेतु 18.12 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है, जिसमें से 3.50 करोड़ की धनराशि अवशेष है एवं शेष धनराशि 14.72 करोड व्यय हो चुकी है।

दिनांक 15-01-2004 को निदेशक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग देहरादून डा0 पी0सी0 नवानी, टी0एच0डी0सी0 के महाप्रबन्धक श्री एल0के0 बंसल एवं अन्य अधिकारी श्रींग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री एस0 जैन तथा अध्यक्ष आपदा राज्य आपदा राहत समिति श्री विजय पाल सिंह सजवाण तथा क्षेत्र के प्रभावित लोगों द्वारा भी गहन अध्ययन किया गया तथा तय किया गया कि कार्य को गति हेतु वरूणावत शीर्ष भाग पर प्लेट से थोड़ा नीचे एक लोहे का जाला बनाया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में जब कार्य प्रारम्भ होगा तब मलबा हटाते समय आबादी में न जा कर बस अड्डे में सी0सी0 ब्लॉक एरिया के पीछे गिराया जा सके। जाला बनाने हेतु यह निर्धारित किया गया कि सभी कार्य दिनांक 21-01-2004 से माघ मेला समाप्ति के पश्चात् किये जायें। किन्तु उक्त कार्य शुरू करने के प्रारम्भिक तैयारी के रूप में डोजर को प्लेटफार्म से थोड़ा नीचे उतार दिया जाए, ताकि डोजर उतारने से एक कच्चा मार्ग तैयार हो जाए। जिस पर से मेला समाप्ति के बाद बड़ी मशीन आर0ओ0सी0 को उतारा जा सके तथा टी0एच0डी0सी0 एवं जी0एस0आई0 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डोजर उतारने पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यदि कोई पत्थर आते भी हैं तो वे ऊपर ही रूक जायेंगे। उक्त निर्देश के अनुपालन में जब दिनांक 16-01-2005 को डोजर नीचे उतारा गया तो लूज मिट्टी में फंसे कुछ पत्थर बस अड्डे सी0सी0 ब्लॉक में गिरे, जिससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

मान्यवर, दो बिन्दु इसमें आपने और उठाये एक तो यह कि कम्पनी ब्लैक लिस्टेड है, जो सूचना मेरे पास है उसके अनुसार यह काली सूची में नहीं है, यह इससे पहले मनेरी भाली योजना में भी काम कर चुकी है। अगर आपके पास कोई ऐसी सूचनायें हैं तो आप हमें बता दें। क्योंकि कई बार कंपनियां नाम बदलकर भी काम करती हैं लेकिन जो मेरे पास सूचना है, उसमें यह ब्लैक लिस्ट में नहीं है यह कम्पनी पहले भी मनेरी भाली और सिंचाई विभाग में काम कर चुकी है। यदि आपके पास ऐसी

जानकारी है तो हमें दे दें तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। दूसरी आपने जो बफर जोन की बात कही है, तो यह बफर जोन को जो जी0एस0आई0 के वैज्ञानिक हैं वे इसका परीक्षण करते हैं और तब उन्होंने कहा कि इसे बफर जोन घोषित करें तो किया गया। इसके अतिरिक्त भी वैज्ञानिकों या एक्सपर्ट्स के द्वारा जो–जो राय ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है उन्हीं के अनुसार कार्य होता है, यह भारत सरकार के वैज्ञानिक हैं।

एक बात आपने और कही कि पेड़ काटे गये, वह सही है और सामान्य ज्ञान के अनुसार यही है कि पेड़ कटने से भूस्खलन होता है। यह सब जो हमारे कन्सलटेंट हैं भारत सरकार के संस्थानों के अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी और भारत सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारियों और तकनीकी जानकारों की राय पर व्यवस्था होती है और जहां तक कार्य करने वाली संस्था की बात है तो वह भी इन्हीं एक्सपर्ट्स की बातों पर काम करती है और टी0एच0डी0सी0 की संस्थायें हैं ये उन्हीं के दिशा निर्देश पर कार्य कर रही है और आपने ग्लोबल टेण्डर की भी बात कही है।

मान्यवर, मेरी जितनी जानकारी और समझ तथा ग्लोबल टेण्डर की जो कहानी है, उसको जानने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत में एक से एक अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के वैज्ञानिक हैं। चाहे टी0एच0डी0सी0 से और चाहे भारत के भू–वैज्ञानिक हों, सभी अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के वैज्ञानिक हैं और विदेश जाते रहते हैं। मान्यवर, मैंने राम कुमार वर्मा जी की एक किताब पढ़ी थी जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया गया है, उसमें लिखा है कि मनुष्य की सामर्थ्य और सीमा प्रकृति बना देती है। मान्यवर, भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। अगर इसके बाद भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जान–माल की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है और हम इसे निभा रहे हैं। मान्यवर, उत्तरकाशी में वरूणावत से भीषण त्रासदी हुई। इससे पहले भी उत्तरकाशी में दैवीय आपदा आ चुकी है, वहां के लोग इससे पीड़ित हैं। सरकार उनके प्रति चिन्तित हैं, तथा आपकी चिन्ता से अपने को सम्बद्ध करती है। सरकार उन लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी तथा उनको पूरी सुरक्षा तथा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कुछ बातें स्पष्ट कर दें, क्या श्रींग कम्पनी को मशीन खरीदने के लिए एडवांस में पैसा दिया गया? दूसरा, पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या योजना बनायी गयी है? तीसरा, 2500 करोड़ रुपये में से कितना रुपया हमें मिल गया है, क्या इसके लिए सरकार कोई श्वेत–पत्र जारी करेगी?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, श्वेत–पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी सूचनाएं यहां पर हैं। 50 करोड़ रुपया हमें मिला है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, श्वेत–पत्र में यह जानकारी आ जाएगी कि वहां पर कौन–कौन से काम हुए हैं। मान्यवर, इसका फिजिकल वैरीफिकेशन होना आवश्यक है, सरकार तो वहां पर जा नहीं रही है। फिजिकल वैरीफिकेशन के लिए सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाकर वहां पर भेजी जाय।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। हमारे सचिव भी जा रहे हैं और भू–वैज्ञानिक भी इसको देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य श्री प्रकाश पंत व श्री अजय भट्ट तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, आज इस सदन में जो भी मामले सामने आए हैं, वह सब दैवीय आपदा से सम्बन्धित हैं, किन्तु मैं जो प्रकरण उठा रहा हूँ, वह दैवीय आपदा नहीं, सरकारी आपदा का है। मान्यवर, यह प्रकरण जनपद हरिद्वार का है। जनपद हरिद्वार में गंगा नदी से जो गंग नहर निकलती है, इसका निर्माण 1845 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में कोटले ने कराया था। जिस प्रकार भागीरथ ने गंगा को नीचे उतारने का महान काम किया था, उसी तरह का काम कोटले ने गंग नहर बनाकर किया था। इस काम के बाद कोटले को इंग्लैण्ड भेज कर उन पर मुकदमा चलाया गया था कि आपने शाही खजाने का दुरूपयोग किया है। मान्यवर, इस गंग नहर से जो अब नहरियां, राजबाहे और माइनर निकलती हैं, उनसे दसियों हजार एकड़ भूमि सिंचित होती है।

माननीय अध्यक्ष जी, राजबाहे और माइनरीज पर उत्तर प्रदेश की मिल्कियत है। उत्तर प्रदेश इनकी सफाई नहीं करता। वह अपना धन यहाँ की नहरों की सफाई में नहीं लगाना चाहता क्योंकि इससे उत्तरांचल के किसान लाभान्वित होंगे। क्योंकि अब यह राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं रहा। और उत्तरांचल की सरकार इसकी सफाई इसलिए नहीं करती क्योंकि इसकी मिल्कियत तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। किसान दो राज्यों की आपसी लड़ाई में फंस गया है।

कुछ नहरें और माइनरीज ऐसी भी हैं जो मुजफ्फरनगर के किसान को पानी पहुँचाती हैं। मुजफ्फरनगर के टेल तक पानी पहुँचाने के लिए कभी इतना पानी छोड़ दिया जाता है कि वह पानी यहाँ के किसानों के खेतों को तबाह कर देता है। मतलब कि पानी आऊट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, वाटर एण्ड फायर आर

वैस्ट स्लेवंज इफ दे आर अण्डर कंट्रोल एण्ड दे आर वर्स्ट एनीमीज इफ आऊट ऑफ कंट्रोल। मान्यवर, स्थिति बड़ी विस्फोटक है। खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा चुका है तथा उनकी जिलाधिकारी और एस०डी०एम० और सिंचाई विभाग से बात भी हुई, अधिकारियों द्वारा कहा गया कि हमारे पास कोई मद नहीं है। इन नहरों की सफाई के लिए शासन ने हाथ जोड़ लिये। मान्यवर, विधायक निधि की धनराशि से कुछ माइनर सफाई का काम किया गया किन्तु जब पीछे ही से पानी नहीं मिल रहा है तो यह व्यर्थ है। मान्यवर, नहरें आदि पर हक तो उत्तर प्रदेश का है किन्तु उत्तरांचल सरकार वाटर टैक्स वसूल कर रही है, यहाँ के किसानों से। यदि कभी कोई किसान अपनी ट्रॉली ट्रैक्टर से नहरों की सफाई भी करता है तो गढ़वाल मण्डल विकास निगम के लोग पहुँच जाते हैं लाओ, यह खनन का मामला है, आपको इसकी रायल्टी देनी पड़ेगी यानी कि फ्री में हम सफाई भी नहीं कर सकते। हरिद्वार जनपद पूरे हिन्दुस्तान की प्यास बुझाता है। मान्यवर, एक कहावत है–पानी बिन मीन प्यासी, मुझे सुन–सुन आये हँसी। मान्यवर, यह तो सरकार द्वारा की गई सरकारी आपदा है। कृपया इस पर चर्चा स्वीकार करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो बातें कही गई, बिल्कुल सही हैं। किसानों को वास्तव में इससे कठिनाई उठानी पड़ रही है। उत्तरांचल राज्य के गठन के पूर्व हरिद्वार जनपद की सिंचाई योजनाएं 223 कि०मी० की 36 नहरें हैं जिससे 18 हजार हे० भूमि की सिंचाई होती है। मान्यवर, भारत सरकार के आदेश संख्या एस०ओ० 992 ई, दिनांक 07–11–2000 के द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया था कि पुनर्गठन अधिनियम में प्राविधानित गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक अथवा कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रमुख अभियंता, उ०प्र०, सिंचाई तथा मुख्य अभियंता, उत्तरांचल के अधीन चल रही योजनायें उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगी। फलतः जनपद हरिद्वार की सिंचाई योजनायें अभी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के ही प्रबन्धाधीन हैं। गंगा मैनेजमेन्ट बोर्ड के गठन का प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। मान्यवर, जिसके सम्बन्ध में दोनों प्रदेशों की अभी सहमति नहीं बन पायी है। इस बीच जनपद हरिद्वार की सिंचाई योजनायें एवं अतिरिक्त परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण उत्तरांचल को किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से भी समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा जिसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है।

प्रश्नगत सिंचाई प्रणालियों की सफाई की स्थिति उचित न होने तथा स्थानीय कृषकों को सिंचाई का उचित लाभ प्राप्त न हो पाने की स्थिति से उत्तर प्रदेश शासन को भी समय–समय पर अवगत कराया जाता रहा है जिसके फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित सिंचाई खण्डों के द्वारा इस वर्ष रु0 27 लाख व्यय करते हुए 24 नहरों की सफाई कराई गयी है, यद्यपि सफाई पर्याप्त न होना ज्ञात हुआ है। दूसरी ओर यद्यपि प्रश्नगत सिंचाई प्रणालियां उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन

होने के कारण उत्तरांचल शासन की ओर से इन पर धनराशि व्यय किये जाने में तकनीकी कठिनाईयां हैं, तथापि क्षेत्रीय किसानों के हित में काजी निजामुद्दीन माननीय विधायक मंगलौर क्षेत्र के द्वारा विधायक निधि से रुपये 1.92 लाख तथा माननीय क्षेत्रीय सांसद के द्वारा सांसद निधि से रु0 3.09 लाख कुल रु0 5.01 लाख जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तरांचल के सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग करते हुए 8 नहरों की 32 कि0मी0 लम्बी नहर की सफाई का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें से 10 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सफाई कर दी गई है। इस कार्य को पूर्ण करने में कुल रु0 7.89 लाख व्यय होने का अनुमान है। अवशेष चार नहरों में फिलहाल कोई सफाई कार्य नहीं हुआ है। यह भी अवगत कराना है कि दि0 07–01–2005 को हरिद्वार में ही उत्तरांचल के माननीय वन एवं नगर विकास मंत्री जी जो कि जनपद हरिद्वार के प्रभारी मंत्री भी हैं, की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही शीघ्र करने तथा सिंचाई नहरों की सफाई पर्याप्त रूप में करने का अनुरोध किया गया है, जिसका अनुश्रवण किया जा रहा है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि कम से कम उन नहरों का हस्तान्तरण शीघ्र करना चाहें जिनका हेड और टेल उत्तरांचल में है। आज पानी की समस्या के कारण किसानों की खेती ठीक से नहीं हो पा रही है। गेहूँ बोने के बाद अभी तक उसमें पानी नहीं आया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसी नहरों पर अतिशीघ्र कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु सरकार द्वारा अठूरवाला एवं जौलीग्रांट में भूमि के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव हुआ है। मान्यवर, सरकार द्वारा अठूरवाला में 54.4 एकड़ तथा जौलीग्रांट में 78.66 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी है। मान्यवर, इसमें अठूरवाला में 18 परिवार पूर्ण रूप से तथा 56 परिवार आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, जौलीग्रांट में 50 परिवार पूर्ण रूप से तथा 106 परिवार आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, जो अठूरवाला ग्राम के परिवार हैं, ये वे परिवार हैं जो पूर्व में टिहरी बांध से विस्थापित परिवार हैं।

मान्यवर, अठूरवाला के परिवारों को दोबारा विस्थापित होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उनके लिए यह दुर्भाग्य की बात है। यह सभी लोग जौलीग्रांट के विस्तार का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी भावनाएं भी हैं, विकास की दृष्टि से बना उत्तरांचल राज्य जौलीग्रांट का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्यटन का भी विकास होगा। मान्यवर, सरकार द्वारा उस भूमि का रेट 95 हजार रुपया निर्धारित किया गया है, जबकि वास्तव में सर्किल रेट 3 लाख रुपया और बाजार का रेट 15–20 लाख रुपया प्रति बीघा है। इन लोगों की मांग है कि या तो हमारी जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उसके बदले हमें दूसरी भूमि दी जाये और अगर सरकार किसी कारण से भूमि उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो उस क्षेत्र में जो मार्केट रेट है, वह मुआवजे के रूप में दिया जाए और इन्हीं न्यायोचित मांगों को लेकर पिछले एक माह से वहाँ पर धरना चल रहा है और सरकार के सिर पर कोई जूँ तक नहीं रेंग रही है और इसके साथ ही साथ पिछले 6–7 दिन से वहाँ आमरण अनशन भी शुरु हो गया। स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है और यह प्रश्न तात्कालिक है, अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है इसलिए मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुये चर्चा की मांग करना चाहता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 56 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, जैसा अभी माननीय कपूर जी ने कहा कि वहाँ पर 4 लोग 12 जनवरी से आमरण अनशन पर थे। मान्यवर, श्री राजेन्द्र बेरवाल, श्री शिव प्रसाद बेरवाल, श्री मदन सिंह, सुमन जोशी ये चार लोग थे जिनको पुलिस उठाकर ले गई और वहाँ पर पुनः क्रमिक अनशन पर बैठ गये हैं और इस कारण स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मांग पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक गांव ऐसा है जो दोबारा विस्थापित हो रहा है, 20 वर्षों के बाद। मान्यवर, 20 वर्ष पहले कुछ नहीं था, वहाँ पर और आज उनकी मेहनत से खेती भी होने लगी और आज उन्हें पुनः विस्थापित होना पड़ रहा है। भूमि के वे उस एवज में भूमि चाहते हैं। मान्यवर, गांव का मतलब गाय, भैंस, किचन गार्डन, खेती भी होती है, लेकिन सरकार द्वारा उनको भूमि देने का प्रस्ताव 200 मीटर का है।

मान्यवर, यह बहुत ही दुःखदायी स्थिति है, वह दो सौ मीटर भूमि में क्या करेंगे, मान्यवर, यह खेती लायक भी नहीं है। वह गाय भी पालेंगे तो कहां उसे रखेंगे? हमारे यहाँ तो हर घर में गाय रहती है। मान्यवर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको भूमि के बदले भूमि दी जाये, उन्होंने 20 वर्षों बाद इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। वहीं सामने हिमालयन इन्स्टीट्यूट है, वह लोग वहाँ नौकरी करते हैं और इनकी गायें, भैंसें भी हैं, जिसका दूध वे हॉस्पिटल में ले जाकर बेचते हैं जिससे कि वह अपनी रोजी–रोटी चलाते हैं। अगर उन्हें कहीं और घर दिया तो उनकी रोजी–रोटी भी नहीं चल पायेगी, क्योंकि वह

इतना दूर हो जायेगा कि उनका सारा पैसा आने–जाने में ही लग जायेगा। मेरा अनुरोध है कि सर्किल रेट 3 लाख का है, बाजार रेट 15–20 लाख का, उन्हें 95 हजार का आफर किया जा रहा है, इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मान्यवर, उन्हें दोबारा विस्थापित किया जा रहा है। यह लोक महत्व का प्रश्न है, सरकार को इस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बल देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमन्, चूँकि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है। इस पर कल रात माननीय सदस्य द्वारा सूचना दी गई कि उन आन्दोलनकारियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। मान्यवर, उन्हें कल रात अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वह अनशन किस विषय को लेकर कर रहे हैं विषय यह नहीं है, राज्य के अन्दर विकास नहीं हो रहा है, वह चाहते हैं कि जौलीग्रान्ट में वायु सेवा प्रारम्भ हो। मान्यवर, जौलीग्रान्ट के विस्तार के लिए 232.664 एकड़ भूमि दर्शायी गई है। मान्यवर, जितने परिवारों को विस्थापित होना है, उनका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है। मैं वहाँ भ्रमण पर गया तो उन्होंने बताया कि जिस जगह हवाई पट्टी के लिए हमें विस्थापित किया जा रहा है, उस भूमि पर बेर की कटीली झाड़ियाँ थीं, उनका कटान करके हमने यहाँ उपजाऊ भूमि बनायी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उनके एक–एक व्यक्ति को नौकरी दी जाय। यह निश्चित रूप से चिन्ता का विषय है, पिकप संस्था से पर्यटन के विकास के लिए ऋण लिया गया, व्यवसाय के उद्देश्य से ऋण लिया गया। वहाँ कृषि उपयोग की भूमि दर्शा कर सरकार मुआवजा कम करना चाहती है। मान्यवर, मुआवजा ज्यादा किया जाय। मैं इस पर तत्काल चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि विकास की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से जौलीग्रान्ट के विस्तारीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। मान्यवर, उस समय वहाँ पर उन्हें विस्थापित किया गया था। सम्भवतः तब इसका विचार न किया गया होगा। लेकिन आज यदि हमें जौलीग्रांट को राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हवाई अड्डे को विकसित करना है तो इसका विस्तार करना होगा। मान्यवर, समय की कमी के कारण अधिकांश लोग प्लेन में आना ही पसन्द करते हैं। यदि हमें उत्तरांचल को पर्यटन प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो जौलीग्रांट हवाई पट्टी को विकसित एवं विस्तारित करना होगा। वहां पर जो निर्वासित हो रहे हैं, वे कल और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। यह भी सही है कि उन्हें इसके विकास पर आपत्ति नहीं है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपने एक बुजुर्ग को अनशन पर क्यों बैठा दिया। जो मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है, वे उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनसे

लगातार बात हो रही है। जिन्होंने मुआवजे की राशि अभी नहीं ली है वे उसे अपर्याप्त बता रहे हैं। दिनांक 12-01-2005 से चार व्यक्तियों द्वारा आमरण अनशन भी प्रारम्भ कर दिया गया था। इन लोगों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाये, हर प्रभावित परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाये, प्रति विस्थापित परिवार को रुपये 5 लाख का विस्थापन भत्ता दिया जाये, मकानों के मूल्यांकन में मूल्य ह्रास डिप्रीसियेशन न काटा जाये। मान्यवर, उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा अनशनकारियों से वार्ता की गई है। वार्तानुसार जिलाधिकारी देहरादून द्वारा भूमि विस्थापितों को उनकी मांगों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इन मांगों के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के फलस्वरूप अध्याप्त की जाने वाली भूमि का नियमानुसार मुआवजा स्वीकृत किया जा चुका है तथा अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उसे प्राप्त भी कर लिया गया है। आंदोलनकारियों के साथ, उनकी अन्य मांगों के सम्बन्ध में वार्ता जारी है।

यह भी अवगत कराना है कि चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप 17/18-01-2005 की रात्रि को इन अनशनकारियों को डोईवाला स्थित स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा दिया गया है एवं इन्हें उचित आहार एवं उपचार प्रदान किया गया। इन सब की स्थिति ठीक है। फिलहाल कोई व्यक्ति अनशन पर नहीं है, किन्तु धरना जारी है। मान्यवर, जौलीग्राण्ट की जमीन जब ली गयी थी तब 6.3155 हैक्टेयर भूमि टी0एच0डी0सी0 के नाम अभिलेखों में दर्ज थी तथा टी0एच0डी0सी0 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार उनके नाम का प्रतिकर रुपये एक अरब 115 करोड़ 92 लाख 615 को दिनांक 10-01-2005 को अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड ऋषिकेश के पक्ष में भुगतान कर दिया गया है। तो जहां यह प्रश्न उठता है कि वे विस्थापित हो गये। बाजार मूल्य भी बढ़े हैं। इस दृष्टि से मैंने उल्लेख किया यह जमीन भी टी0एच0डी0सी0 को धन देकर ली गयी थी। जिन्होंने मुआवजा ले लिया वे इससे संतुष्ट हैं। जो संतुष्ट नहीं हैं उनका निवारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी लगातार बात हो रही है। जिला प्रशासन आंदोलनकारियों के लगातार सम्पर्क में हैं। यदि आपका सहयोग रहा तो इसका समाधान भी जरूर निकलेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरबंस कपूर जी, माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, माननीय प्रकाश पंत जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन, अनुदान संख्या–05, निर्वाचन, अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान संख्या–08, आबकारी, अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल, अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनायें, अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार, अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान संख्या–18, सहकारिता, अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास, अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या–23, उद्योग, अनुदान संख्या–24, परिवहन, अनुदान संख्या–26, पर्यटन, अनुदान संख्या–27, वन, अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य, 03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत रु0 111000 हजार (ग्यारह करोड़ दस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत रु0 111000 हजार (ग्यारह करोड़ दस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 3289 हजार (बत्तीस लाख नवासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 3289 हजार (बत्तीस लाख नवासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 7800 हजार (अठहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 7800 हजार (अठहत्तर लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 61256 हजार (छः करोड़ बारह लाख छप्पन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिन 6 अनुपूरक मांगों के लिए माननीय मंत्री जी सदन में प्रस्ताव ला रही हैं, तो उनको लाने की क्या आवश्यकता थी उसे भी सदन में बता दें?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह बाद में कर लेंगे, जब पारित करने के लिए सब आ जायं तो कर लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पारण तो हम करवा रहे हैं, लेकिन किसमें कितना बढ़ा रहे हैं, 6 नई अनुपूरक डिमांड इसमें हैं, तो इसे सदन के सामने बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब अनुपूरक लाया जाता है तो वह वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से लाया जाता है, जब पूर्व में यह अनुमान नहीं होता कि कितना खर्च आयेगा यह पहले से अनुमान

नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए खर्च की दृष्टि से यह लाया गया है।

मान्यवर, यह पुस्तिका सभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गयी है, इसमें डिटेल दी गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पुस्तिका का सवाल नहीं है। लेकिन इन अनुदान मांगों को सदन में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य भी इस बात से अवगत हैं कि आर्थिक वित्तीय प्रबन्धन को देखते हुए बजट निर्मित किया जाता है। चूँकि प्लान की मदें स्वीकृत नहीं थीं। जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनको रोकना न पड़ जाए, इसके लिए अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश में भी लाये जाते रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसको मदवार बता दें। इसमें लिखा है कि अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वे कारण कौन से हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वित्तीय प्रबन्धन तथा विकास की दृष्टि से सप्लीमेन्ट्री बजट आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरांचल और भारत सरकार में भी आर्थिक नियोजन और मैनेजमेंट के लिए सप्लीमेंट्री बजट आते रहे हैं। मान्यवर, यह जो पुस्तिका आपको उपलब्ध करायी गयी है, इसमें सारे खर्चों के बारे में दिया गया है। मान्यवर, अगर सप्लीमेंट्री बजट नहीं आएगा तो विकास के बहुत सारे काम रुक जाएंगे। जब किसी कार्य के लिए पूर्व में स्वीकृत बजट से अधिक खर्च होता है तो प्लानिंग में बढ़ोत्तरी करके अनुपूरक बजट में मांगा जाता है। मार्च में जब पूरा बजट आता है तो उसमें इसको एडजस्ट कर लिया जाता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बजट प्लान का है या नॉन प्लान का?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्लान और नॉन प्लान दोनों के बारे में बातें आ गयी हैं। आर्थिक प्रबन्धन के लिए अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार में आता रहा है। चूँकि बिना सदन की मंजूरी के वह पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है। पैसा खर्च करने के लिए सदन की मंजूरी आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एव सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 61256 हजार (छः करोड बारह लाख छप्पन हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत रु0 561348 हजार (छप्पन करोड़ तेरह लाख अड़तालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्रम संख्या–10 में उल्लिखित है कि मुम्बई में उत्तरांचल निवास बनाने हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने के लिए ....।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश निवास बम्बई में बना हुआ है जब हमारा बंटवारा हुआ तो हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं रहा। बम्बई देश की आर्थिक नगरी है। वहाँ जब हम लोग प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं तो होटल इत्यादि पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इसलिए उत्तरांचल निवास के लिए बम्बई में भूमि खरीद ली गई है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, बड़ा ही संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है बजट आज पास हो रहा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, निर्माण भी कराना होगा। निर्माण के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सम्पत्ति विभाग को धन की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो लखनऊ में उत्तरांचल भवन हेतु धनराशि निर्गत की गई है, भूमि खरीद ली गई है या उत्तर प्रदेश से वार्ता चल रही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है। लखनऊ से तो हमने बातचीत की, दिन भर आवश्यकता पड़ती है।

श्री अजय भट्ट–

भूमि क्रय के लिए रेट इत्यादि मँगाये गये हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लखनऊ में जो एरिया डेवलप हो रहा है उसी में जमीन माँगेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत रु0– 561348 हजार (छप्पन करोड़ तेरह लाख अड़तालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

* आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08, वित्त, आबकारी के अन्तर्गत रु0 3400 हजार (चौंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत रु0 3400 हजार (चौंतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 66885 हजार (छः करोड़ अड़सठ लाख पचासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0–66885 हजार (छः करोड़ अड़सठ लाख पचासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0–525825 हजार (बावन करोड़ अटठावन लाख पच्चीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें क्रम संख्या 7 और 17 दून विश्वविद्यालय के लिए 5 करोड़ रुपये और तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ की डिमाण्ड की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तकनीकी विश्वविद्यालय का विधेयक आ रहा है इसके लिए आप अग्रिम डिमाण्ड कर रहे हैं, इसका औचित्य क्या है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तकनीकी विश्वविद्यालय आप कृपा करके पारित कर देंगे इसके लिए आर्थिक प्राविधान करना ही होगा।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, यदि आप मतदान से पूर्व इसकी जानकारी लेते तो बेहतर होता।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सप्लीमेंट्री बजट है और विधेयक प्रस्तुत हो चुका है।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य, पिथौरागढ़ से यह आशा करता हूँ कि उनको प्रसन्न होना चाहिए कि विश्वविद्यालय का विधेयक और साथ में प्राविधिक अनुदान एक साथ रखी जा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें आप सहयोग दें, वैसे आप हमेशा सहयोग देते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, 05 करोड़ की डिमांड की है, अभी तक इसका विधेयक हमारे सम्मुख नहीं आया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सदन का जो कार्यवृत्त तैयार किया गया है, वह आपकी जानकारी में है। आप भी दून विश्वविद्यालय चाहते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अभी विधेयक टेबल पर नहीं आया है और पांच करोड़ रु0 मांगा जा रहा है, यह कोई छोटी धनराशि नहीं है। (व्यवधान) जबकि मान्यवर, बिल 36 घंटे पहले टेबल पर होना चाहिए था। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, प्राविधान करके ले रहे हैं, यह विश्वविद्यालय घोषित हो चुका है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुझे सरकार की घोषणाओं पर आपत्ति नहीं है। सरकार सदन के बाहर विधान परिषद् की घोषणा कर चुकी है। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय की घोषणा सरकार बाहर पहले ही कर चुकी है। (व्यवधान) मान्यवर, निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है, इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। सरकार ने 5 करोड़ की डिमांड कर दी, बिल हमारे पास नहीं है, सदन कल तक चलना है। इसके बाद चलेगा या नहीं मुझे जानकारी नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ राज्य का चहुँमुखी विकास हो, इसी उद्‌देश्य से हमने इस विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय के लिए हमने केदारपुरम में भूमि ली है और इसकी कीमत भी देनी है, 17 एकड़ जमीन है, इसका शिलान्यास भी हो चुका है।

मान्यवर, देहरादून में जहाँ इतने पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पर उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसके लिए पहला ड्राफ्ट मेरे पास आया तो मैंने कहा कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों का अध्ययन कर लिया जाए फिर इस ड्राफ्ट की बात करें, पहले बजट में आया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अनुदान संख्या–11 में प्रत्येक जनपद में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना और कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफकारों/मोटर गाड़ियों के क्रय में 1 करोड़ 60 लाख की आवश्यकता की बात है। तो मेरा निवेदन है कि कई विभागों में ऐसे वाहन होते हैं जो बेकार पड़े होते हैं और एक विभाग में कई गाड़ियां होती हैं। तो उत्तरांचल की जनता के हित में समीक्षा करें कि किस विभाग में कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां फालतू हैं, इनको एडजेस्ट करें कि कम से कम वाहन लेने पड़े और उत्तरांचल का पैसा उत्तरांचल के विकास में लगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, यह सुझाव सर्वविदित मान्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह राज्य शैशवावस्था में है। आपने कहा कम से कम गाड़ियां लेनी पड़े तो इसके लिए जो भी सम्भव हो सकता है और इसके लिए प्राक्कलन समिति देखती है और लोक लेखा समिति में भी विचार किया जाता है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है उसका मैं आदर करता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने कहा कि अच्छा सुझाव हैं मैं चाहूँगा कि सभी विभागों की समीक्षा की जाए, किस विभाग में कितनी गाड़ियां हैं और उनकी आवश्यकता कितनी है, जिस विभाग में ज्यादा गाड़ियां हैं और जिसमें गाड़ी कम हैं उनको दे दें, नई गाड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि सरकार अगर समीक्षा करे, फिर हमको सदन में बतायें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 525825 हजार (बावन करोड़ अटठावन लाख पच्चीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रुपया 95581 हजार (नौ करोड़ पचपन लाख इक्यासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम पर्वतीय क्षेत्र का ध्यान रखा और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ उपकेंद्रों पर फार्मासिस्ट की तैनाती की व्यवस्था की, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही यह सुझाव भी देते हैं कि कम से कम एक उपकेन्द्र में जितने भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं उनमें एक–एक फार्मासिस्ट की तैनाती की बात का भी संज्ञान लें कि आने वाले बजट सत्र में इसका प्राविधान हो।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र का चयन किया है। ऐसे दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे दूरस्थ स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं पर

ए०एन०एम० उपकेन्द्र पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जा रही है जिस स्थान का चयन किया है वह लगभग साढ़े चार सौ हैं। उस तरह से हमने पी०ए०सी० और एडिशनल पी०ए०सी० पर महिला चिकित्सक नहीं थी कि जिससे कि माताओं और बहनों को असुविधा होती थी। इसके लिए तो महत्वपूर्ण विषय रखे हैं और शेष इससे लाभ भी मिलेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने सातवें नं० में उल्लेख किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूर असेवित क्षेत्रों में स्थापित उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट के 50 पदों के सृजन हेतु लिखा है, इसमें स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश से अवमुक्त होकर आये हैं क्या उनको भी इसमें समायोजित करने का प्राविधान है? दूसरा इसी क्रम के 9 नं० में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों हेतु नेशनल इन्श्योरेंस तथा ओरियंटल इन्श्योरेंस की आवश्यकता है। क्या इसमें अभी तक कुछ हुआ भी है या खाली डिमाण्ड आ रही है, अगर पहले कुछ हुये हैं तो कितने हुये हैं? इसकी थोड़ी जानकारी सदन को दे दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जहाँ तक उ०प्र० के फार्मासिस्टों का सवाल है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनको कैडर के अन्दर लिया जाये और वह यहाँ पर समायोजित नहीं किये जा सकते हैं। वे यहाँ नहीं लिये जा सकते हैं। दूसरा जो इन्श्योरेंस के बारे में इसमें काम शुरू हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 95581 हजार (नौ करोड़ पचपन लाख इक्यासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 1450504 हजार (एक सौ पैंतालीस करोड़ पांच लाख चार हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें जो पांचवें नम्बर पर है उसमें यह है कि नगरों के समेकित विकास के अन्तर्गत सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना हेतु रु0 5 करोड़ की धनराशि की

आवश्यकता है। मान्यवर, इसे कौन–कौन से शहरों में स्थापित करना चाह रहे हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमारे सामने इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं वे आदेश दो स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं एक तो वे कहते हैं इसमें बाइग्रेडिबिक और नान बाइग्रेडिबिक है। इसमें कूड़े को इकट्ठा किया जाय उसको दोबारा जमीन में न डाला जाय। वर्तमान में हम कूड़े को कूड़ेदान तक ले जाते हैं यह देखा जाता है कि उस कूड़ेदान के बाहर कूड़ा पड़ा रहता है।

मान्यवर, जब दो किस्म का कूड़ा मिल जाता है तो उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। जनसहयोग के द्वारा इसे करने का निर्णय लिया गया है। मौहल्ला स्वच्छता समिति इसके लिए गठित की गई है। मौहल्ला स्वच्छता समिति के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए विज्ञापन पट लगाये जाएंगे। प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। एक अधिनियम लागू किया गया है जिसमें दीवारों पर पोस्टर लगाने व लिखने पर बैन है। मौहल्ला स्वच्छता समिति को घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए हमारे निदेशालय के माध्यम से एक वाहन का डिजाइन तैयार किया गया है। इसमें दोनों प्रकार के वेस्ट को ले जाने की व्यवस्था है। घरों का कूड़ा सेग्रीगेटेड होता है जो कूड़ा इकट्ठा किया जायेगा उसे एक बिन में डाल दिया जायेगा। मान्यवर, यह मौहल्ला स्वच्छता समिति का संक्षिप्त कार्यक्रम है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या इसमें अधिक धनराशि की मांग नहीं की गई है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 7 नगरों में एक साथ करने के लिए 21 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इतना व्यय भार हम एक साल में वहन नहीं कर सकते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यदि 10 करोड़ का बजट हो और 2 करोड़ की अचानक आवश्यकता बढ़ जाये यह बात तो समझ में आती है, लेकिन 2 करोड़ का बजट हो और 10 करोड़ की अनुपूरक की मांग की जाये मान्यवर, यह तो उचित नहीं है। इस हेड में 146 करोड़ की अनुदान मांग लायी गयी है। जो मुख्य बजट था उसकी राशि कितनी थी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह तो देखकर ही बताया जा सकता है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, इसका जवाब तो आना चाहिए।

* डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, जो 90 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है तो जो पेयजल के बिल लगातार मिल रहे हैं उसके लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? नगर परिषद् और नगर पालिका के जो बिल पावर कारपोरेशन को देय है। उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत हैं यह जो मामला है यह पेयजल विभाग और नगर विकास विभाग में गम्भीर स्थिति धारण कर चुका है। कई प्रस्ताव इसमें बनाये गये हैं। विद्युत नियामक आयोग ने उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है इसलिए एक विभाग के लिए इसमें व्यवस्था की जा रही है। नगर विकास विभाग के स्ट्रीट लाईट के जो बिल हैं उसके लिए शीघ्र ही कोई व्यवस्था की जायेगी। मैं जानकारी दे दूँ कि 296.13 करोड़ का बजट इसके लिए था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 1450504 हजार (एक सौ पैंतालीस करोड़ पांच लाख चार हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत 80644 हजार (आठ करोड़ छः लाख चवालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसके क्रम संख्या–13 में मांग की गई कि बाल दिवस समारोह के लिए 50 हजार की जरूरत है, बाल दिवस तो 14 नवम्बर को होता है, मार्च या अप्रैल में आप बजट लायेंगे, तो क्या अग्रिम में ही इसके लिए पैसा लिया जा रहा है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आप बाल दिवस से मतलब 14 नवम्बर ही लगा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बाल दिवस तो 14 नवम्बर को ही होता है या आपने तिथि परिवर्तित कर दी है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बाल दिवस 14 नवम्बर ही नहीं इंस्टीट्यूशन में और दिन भी मनाया जाता है। यह होता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बाल दिवस समारोह तो अब 14 नवम्बर 2005 में आयेगा तब तक तो आप बजट और अनुपूरक ला चुके होंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो पिछला खर्च हुआ है, उसकी भी तो प्रतिपूर्ति करनी होती है, यह प्रॉविजन भी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसकी मांग संख्या 17 में लिखा है कि "अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु चार छात्रावासों के निर्माण हेतु एक करोड़ की धनराशि की आवश्यकता है तो मान्यवर, यह स्थान कौन–कौन से होंगे? मेरा नेता सदन से विनम्र निवेदन है कि यह कहां पर होंगे इसका पूरा डिटेल इस पुस्तिका में होना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक ....।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, माननीय सदस्य को शासन का बहुत अनुभव है। कई बार ऐसा करना उचित भी होता है कि जो स्थान है उसका चयन बाद में भी होता है। लेकिन एक नीति के अन्तर्गत धनराशि प्राविधानित की जाती है और आप लोगों के सहयोग से स्वीकृत होने के बाद स्थान का चयन कर लिया जायेगा और धनराशि दे दी जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह 4 छात्रावास कहां पर बन रहे हैं, इसका उल्लेख होना चाहिए क्योंकि इससे हम भी दुविधा में रहेंगे और सरकार असमंजस में रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, न तो दुविधा रहेगी न असमंजस रहेगा, 4 जगह तो यह छात्रावास बनेंगे ही और जहां–जहां इनकी जरूरत होगी वहां पर भी बनेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ, पारित तो यह हो ही रहा है तो थोड़ा शंका है (व्यवधान)

मान्यवर, नियमों में कहां पर क्या बोलना है यह हमें भी आता है। मान्यवर, इसमें लिखा है कि जनपद टिहरी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर तथा चमोली के जिला समाज कल्याण अधिकारियों हेतु वाहन के क्रय हेतु धन की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या इनके पास पहले से वाहन नहीं हैं? यदि इनके पास पहले से वाहन थे और वह खराब हो गए हैं तो क्या उनकी नीलामी कर दी गयी है? यदि नीलामी कर दी गयी है तो उससे कितना धन प्राप्त हुआ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो नियम है कि नया वाहन खरीदने के बाद पुराने वाहन को नीलाम किया जाता है। सभी के पास पहले से वाहन हैं। जब नई गाड़ियां खरीद ली जाएंगी तो पुरानी गाड़ियों की नीलामी कर दी जाएगी। नयी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे का प्राविधान पहले कर लिया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इनके पास पहले से वाहन थे या नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नये कार्यालय खुले हैं, नया इस्टेब्लिसमेंट है। हो सकता है कि पहले वाहन न हों।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सबके पास पहले से वाहन हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15 कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत रु0 80644 हजार (आठ करोड़ छः लाख चवालीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 4837 हजार (अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 4837 हजार (अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 455615 हजार (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

* श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें क्रम संख्या–10 में 36.25 करोड़ रुपये की बात कही गयी है, यह कौन सा पैसा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह 36.25 करोड़ रुपया आकस्मिकता निधि से निकाला गया था, यह वापस करना है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या किसानों के पैसे का भुगतान कर दिया गया है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसानों का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 455615 हजार (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार) रुपये की अनुपूरक मांग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 82182 हजार (आठ करोड़ इक्कीस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसके क्रम संख्या–2 में लिखा है कि जड़ी–बूटी योजना हेतु रु0 750000 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। इसके बाद क्रम संख्या 6 में लिखा है "भेषज विकास एवं जड़ी–बूटी योजना हेतु रु0 125000 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।" मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जड़ी–बूटी के लिए पैसे की मांग दो बार अलग–अलग क्यों की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, भेषज संघ और जड़ी–बूटी योजना दोनों अलग–अलग चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 82182 हजार (आठ करोड़ इक्कीस लाख बयासी हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 390001 हजार (उन्तालीस करोड़ एक हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 390001 हजार (उन्तालीस करोड़ एक हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 में स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 157196 हजार (पन्द्रह करोड़ इकहत्तर लाख छियानबे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 157196 हजार (पन्द्रह करोड़ इकहत्तर लाख छियानबे हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 538501 हजार (तिरपन करोड़ पचासी लाख एक हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण के अन्तर्गत रु0 538501 (तिरपन करोड़ पचासी लाख एक हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 42206 हजार (चार करोड़ बाईस लाख छः हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 42206 हजार (चार करोड़ बाइस लाख छः हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 42500 हजार

(चार करोड़ पच्चीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 42500 हजार (चार करोड़ पच्चीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वीकृति तो मांग रहे हैं, परन्तु इसकी गुणवत्ता आई0एस0बी0टी0 की तरह न हो।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 42500 हजार (चार करोड़ पच्चीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 172000 हजार (सत्रह करोड़ बीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ये कितनी योजनाएं हैं तथा इन पर कितना खर्चा आयेगा, बताने का कष्ट करें?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, 338 योजनाएं हैं और इन पर बहुत खर्चा आयेगा। पिछले वर्ष हमने 18 करोड़ रु0 लिए थे।

श्री मातबर सिंह–

कृपया योजनाओं का विवरण देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया उनको अलग से योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी जाय।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

ठीक है, सत्र समाप्ति के बाद उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 172000 हजार (सत्रह करोड़ बीस लाख) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 100000 हजार (दस करोड़) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए स्वीकार किया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसमें दो मदों के लिए डिमांड की गयी है। मान्यवर, इस मद में पहले भी पांच करोड़ की स्वीकृति दी गयी थी। मान्यवर, जेड़ोफ से जमीन की दृदा मृदा ऊसर होती होगी, क्या इसका वैज्ञानिक परीक्षण करा दिया गया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, बांस बोर्ड की स्थापना की गयी है तथा जेड़ोफ का मृदा परीक्षण करा दिया गया है, यह मृदा का संरक्षण करता है, यह भूमि को ऊसर नहीं करता है। मान्यवर, एक वर्ष पहले मैंने इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया था और एक परियोजना प्रस्तुत की थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उस समय मुझ से कहा था कि "मुझे खुशी होगी जब ये योजना धरातल पर दिखाई दे"।

मान्यवर, जनपद कालसी में 330 है0 पर लगभग 130 परिवार की सहायता से प्लांटेशन कराया जा रहा है। मान्यवर, पहाड़ों में एक हजार से ऊपर हरे वृक्षों का पातन नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, वहाँ पर कोई भी हरियाली नहीं दिखाई देती, आज कई ऐसी प्रजातियां आई जिस प्रजाति से हमको आमदनी हो सके तो हमने सबसे पहले बांस का चयन किया। मान्यवर, बांस प्रजातियों के रोपण से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, इसके अलावा

अन्य प्रजातियों का भी चयन किया है जो कि थुलेर, सिबकथार्न, त्रिफला, च्यूरा हैं और इसके साथ ही साथ तेज पात, दाल चीनी का भी चयन किया। यह योजना रोजगार प्रदान करेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि वन भूमि में बांस का रोपण करेंगे तो ग्रामीणवासियों को रोजगार कैसे मिलेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक निजी भूमि का प्रश्न है तो यदि कोई कृषक चाहे तो वह इस बांस की परियोजना में सम्मिलित हो सकता है, तो उसको लाना होगा। मान्यवर, उसके अलावा कोई भूमि है तो हमने वन पंचायतों से कहा है कि उसको भी चिन्हित करें, इसके अलावा जहाँ भी उनको भूमि उचित लगे वह चयन कर सकते हैं। यह जी0ओ0 जारी कर चुके हैं। मान्यवर, हमारे पास कृषि भूमि पहले से ही सीमित है और 65 प्रतिशत वन हमारे पास हैं। मान्यवर, अगर प्लांटेशन हो सके तो हमें भूमि संरक्षण में सहायता मिलेगी।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसका लाभ किसको मिलेगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ग्रामीणों को मिलेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वन भूमि में रिजर्व फॉरेस्ट भी है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी हां।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में जो रतन जोत है क्या उत्तरांचल ने पहले इसमें ईल्ड ले ली है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमने रतन जोत से तेल निकाला और उस तेल को आई0आई0पी0 से परीक्षण भी कराया। उत्तर प्रदेश या अन्य को बीज वन विभाग अपने यहाँ प्रयोग कर, फिर देगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, निजी नर्सरियों से रतन जोत की पौध सरकार खरीदेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पौध को हम बाहर से लेते हैं तो एक या डेढ़ रुपये पौध पर तीन साढ़े तीन रुपया खर्च हो जाता है। हमारी प्राथमिकता यह होगी कि वन पंचायत उसे उगाये। निजी पौधशालाओं से लेने में आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 100000 हजार (दस करोड़) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 14128 हजार (एक करोड़ इक्तालीस लाख अट्ठाईस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रु0 14128 हजार (एक करोड़ इक्तालीस लाख अट्ठाईस हजार) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक 2005 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जाय।

(प्रतियाँ वितरित की गई)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जो हमारा 20 प्वाईंट प्रोग्राम है, यह सरकारी रिपोर्ट है। इसमें उत्तरांचल को पहला स्थान मिला है। गुजरात को दूसरा, हिमांचल को तीसरा, आन्ध्र प्रदेश को चौथा, नागालैण्ड पाँचवा, उत्तर प्रदेश 6, दिल्ली, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु को सातवां, राजस्थान को 11, हरियाणा को 12, गोवा 13, जम्मू को, मध्य प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को 14, चण्डीगढ़ को 17, बिहार को 18वाँ स्थान मिला है।

मान्यवर, इसी प्रकार बिहार 18वें नम्बर पर है, पंजाब 20वें नम्बर पर है, पांडिचेरी 22वें नम्बर पर है। इसके बाद मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश का नाम है। मान्यवर, मैं इस कार्य के लिए आप सभी को, सभी के यहां 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं बिना किसी दल में भेद किये हुए आप सभी को बधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि उत्तरांचल इसी तरह भविष्य में भी अपने कार्यों को जारी रखेगा। मैं इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों आदि सभी को बधाई देता हूँ कि उत्तरांचल को आज देश में पहला स्थान मिला है। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विभिन्न मदों पर धनराशि इस माननीय सदन के द्वारा स्वीकृत की जाती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि विभिन्न विभागों को जो धनराशि दी गयी है उसकी मॉनीटरिंग होनी चाहिए, इसके लिए समयबद्धता होनी चाहिए और साथ ही साथ मितव्ययता भी होनी चाहिए। हमारा उत्तरांचल गरीब राज्य है। जितना बजट हम विभिन्न विभागों को देते हैं उसका सही उपयोग हो जो कार्य हों वह धरातल पर दिखाई दें। धरातल पर जब हम विकास कार्यों को देखते हैं तो हमें कोई भी उपलब्धि नजर नहीं आती है। जनता क्या, हम जन प्रतिनिधि भी विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें आ चुकी हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो बजट पारित किया गया है सरकार उसकी निगरानी करें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की एक सब कमेटी बना दी है, वह देखेगी कि जो बजट आवंटित हुआ है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, अनुसूची प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या वर्ष 2005)

31 मार्च, 2005 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम

1– यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2004–2005 के लिये रु० 4971148000 का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रुपये 4971148000 (चार सौ सत्तानब्बे करोड़ ग्यारह लाख अड़तालीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
03	मंत्रि परिषद्	राजस्व	111000	0	111000
		पूंजी	0	0	0
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	3289	1450	4739
		पूंजी	0	0	0
05—	निर्वाचन	राजस्व	7800	0	7800
		पूंजी	0	0	0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	51256	0	51256
		पूंजी	10000	0	10000
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	509786	1500	511286
		पूंजी	51582	0	51582
08—	आबकारी	राजस्व	3400	0	3400
		पूंजी	0	0	0
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	6284	0	6284
		पूंजी	60601	0	60601
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	469949	0	469949
		पूंजी	53876	0	53876
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	43581	0	43581
		पूंजी	52000	0	52000
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1450504	0	1450504
		पूंजी	0	0	0
15—	कल्याण योजनायें	राजस्व	24604	0	24604
		पूंजी	56040	0	56040
16—	श्रम और रोजगार	राजस्व	4837	0	4837
		पूंजी	0	0	0
17—	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	83316	0	83316
		पूंजी	372299	0	372299
18—	सहकारिता	राजस्व	12182	0	12182
		पूंजी	70000	0	70000
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	1	0	1
		पूंजी	399000	0	399000
20—	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	11007	0	11007
		पूंजी	146189	0	146189
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	0	1500	1500
		पूंजी	538501	0	538501
23—	उद्योग	राजस्व	32206	0	32206
		पूंजी	10000	0	10000
24—	परिवहन	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	42500	0	42500
26—	पर्यटन	राजस्व	28000	0	28000
		पूंजी	144000	0	144000
27—	वन	राजस्व	100000	0	100000
		पूंजी	0	0	0
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	3225	0	3225
		पूंजी	10903	0	10903
	योग—		4966698	[illegible]	4971148

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2004–2005 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि गत सत्र में जो आश्वासन हमारी सरकार ने दिया था कि हम तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक लायेंगे, उसे पेश करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हमारे उत्तरांचल में 31 संस्थान तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित हैं एवं सभी 3 विश्वविद्यालय हमारे गढ़वाल, कुमाऊँ और पंतनगर विश्वविद्यालय और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज डी०आई०टी०, देहरादून एवं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की जो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। आज के तकनीकी युग में एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए और प्रबन्धन के लिए यह महसूस किया गया कि एक तकनीकी विश्वविद्यालय बने, इसकी आवश्यकता प्रारम्भ से ही महसूस की जा रही थी। मान्यवर, राज्य के विद्यार्थियों को भूमंडलीकरण के इस दौर में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा जगत के उत्कृष्ट सेवा के पाठ्यक्रम तैयार किये जाय और उन्हें तकनीकी संस्थाओं में संचालित किया जायेगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा मात्र का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने से समन्वित प्रयास सम्भव हो पायेगा। उस उद्देश्य में यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा, साथ ही समस्त प्राविधिक और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय और निष्पक्ष तरीके से हो सके, इसमें भी यह विश्वविद्यालय अपना योगदान देगा।

मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय एवं वैश्वीकरण के दौर में उत्तरांचल राज्य के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारा राज्य तकनीकी श्रेणी के उत्कृष्ट और विशुद्ध श्रेणी के संस्थानों को संचालित कराये, इसके लिए विशुद्ध श्रेणी का विश्वविद्यालय बनाना जरूरी हो गया है। बदलते परिवेश में समय की यह मांग है कि तकनीकी शिक्षा जगत को हर प्रकार से तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की सम्बद्धता, पाठ्यक्रमों के संवर्द्धन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारत सरकार की देश व विदेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क तथा समुचित तारतम्य बनाये रखने के लिए उत्तरांचल राज्य का अपना विश्वविद्यालय होना ही चाहिए।

मान्यवर, अभी उत्तरांचल में हमारे पास 2 हजार 71 छात्र–छात्रायें तकनीकी शिक्षा में हैं जिनमें से बी0टेक0, बी0ई0, बी0 फार्मा में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता से हमने 5 और इंजीनियरिंग कॉलेजों को एन0ओ0सी0 दे दी है और एन0ओ0सी0 उन्हीं को दी गई है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों को पूरा करते हैं, जिनके पास अपनी जमीन है, या जो मानक हैं, उनको पूरा करते हैं। इसके अलावा 2 एम0बी0ए0 और 3 होटल मैनेजमेंट कॉलेजों को भी एन0ओ0सी0 दी गई है। मान्यवर, हमारा निश्चित उद्देश्य यह है कि रोजगार के क्षेत्र में छात्र तभी सफल हो सकेगा, जब उसके पास तकनीकी शिक्षा का ज्ञान हो। इसके अतिरिक्त हमने ए0आई0ई0ई0ई0 के माध्यम से इंट्रेन्स परीक्षा करवाई, जिसे सी.बी. एस0सी0 के माध्यम से किया जाता है। हम अभी इसे वहीं से कन्ने कर रहे हैं क्योंकि इसमें गुणवत्ता है और यह राष्ट्रीय स्तर का है। श्रीमन्, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी राजकीय वि0वि0 हैं, उनकी सीटें पहले की काउंसिलिंग में फुल हो गई हैं और यह पहली बार हुआ और इसके अतिरिक्त जो निजी कॉलेज थे, दूसरी काउंसिलिंग में वह भी फुल हो गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आज सीटें खाली हैं। मान्यवर, पूर्व में भी हमने प्राविधिक शिक्षा परिषद् का गठन किया और उसके आधार पर मेरिट से एडमीशन किये। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर फीस और एडमीशन के लिए एक समिति बनाई गई जो कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई गई और उसी के अनुसार यह प्रक्रियायें की गई। हम चाहते हैं कि जो टेलेंट हमारे पास है, हम उसका उपयोग कर सकें। मान्यवर, एक और बात आती थी कैपेटेशन फीस तो आज इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है, यह भी इस कमेटी के माध्यम से हमारी उपलब्धि है।

इन सारी चीजों को और गति देने के लिए तकनीकी क्षेत्र में सुदृढ़ होने के लिए तकनीकी क्षेत्र को और अच्छा रूप प्रदान करने के लिए इस विधेयक को सदन में पेश किया गया है। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इस क्रांतिकारी कदम में हमारा साथ देते हुए उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय, विधेयक, 2005 को पारित कराने की कृपा करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए केवल परम्परा निभाने और औपचारिकता के लिए नहीं कहा है। मैं समझता हूँ कि यह हमारे प्रदेश का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें हल्के में और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में कई विसंगतियां हो सकती हैं। मान्यवर, प्रदेश में उत्कृष्ट और आधुनिकतम शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी नींव हम सोच समझ कर रखें। मान्यवर, विधेयक में कहा गया है कि देहरादून में उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि देहरादून के बजाय इसको टिहरी और उत्तरकाशी के बीच बादशाही थौल जहां के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी घोषणा की है, वहां पर स्थापित किया जाय। मान्यवर, विधेयक में उल्लिखित है "कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों। प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।" मान्यवर, प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने की बात लिखी है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार की जो मंशा है, उसमें कुछ न कुछ खोट अवश्य है। इसलिए कुलाधिपति द्वारा ही प्रथम कुलपति की नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, कुलपति की शक्तियों और कर्तव्य का जो उल्लेख किया गया है "कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।"

मान्यवर, इसमें एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत परिणाम प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था इस विधेयक में की जानी चाहिए। मान्यवर, इसमें परीक्षा नियंत्रक के बारे में उल्लिखित है --"यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।" मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि कुलपति अपने किसी चहेते को ही इसमें नियुक्त कर सकता है। इसमें यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कम से कम कुलाधिपति उसकी

नियुक्ति करें। मान्यवर, कार्य परिषद् के गठन की उपधारा (झ) और (ट) में उल्लिखित है –"राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति, राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो ख्यातिप्राप्त प्रौद्योगिकी विदों।

मान्यवर, दो उपबन्धों का उल्लेख किया गया है, उनकी योग्यता क्या होगी, उसका उल्लेख नहीं है, उनकी योग्यता भी तय होनी चाहिए। मान्यवर, लेखा और लेखा परीक्षा अधिभार के सम्बन्ध में उपधारा में दो उल्लिखित है कि विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को जिसकी उपेक्षा या आचरण के कारण उपधारा 1 में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन हुआ है। एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे। मान्यवर, इसमें नियत समय का उल्लेख नहीं किया गया है, समय का उल्लेख होना चाहिए। मान्यवर, इसमें बहुत से बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श होना चाहिए तथा विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जायेगा। इसके बारे में विचार–विमर्श होना चाहिए। इसको टिहरी उत्तरकाशी के बादशाही थौल में स्थापित किया जाए, मैं इस संशोधन पर बल देता हूँ और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय श्री प्रीतम सिंह पवार जी द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। और इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का जो विधेयक सम्मानित सदन के सम्मुख रहा है। वास्तव में आज तकनीकी विश्वविद्यालय की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है लेकिन माननीय सदस्यों की भी यही इच्छा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि इस पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श हो सके। संक्षेप में मैं कुछ तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूँ, यह आवश्यक भी है इसकी गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, इसके लिए हमको विचार करना चाहिए कि कहीं तकनीकी बेरोजगारों की फौज न खड़ी कर दे। इस विधेयक के अन्दर यह प्राविधानित होना चाहिए कि हम यहाँ के नौजवानों को अच्छी तकनीकी सुविधा उपलब्ध करायें। सर्वप्रथम माननीय श्री पंवार जी द्वारा यह कहा गया कि इसकी स्थापना अन्यत्र करनी चाहिए, अधिकांश माननीय सदस्यों की भी यही इच्छा है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए और समिति यह निर्णय ले कि यह स्थापित हो। मान्यवर, इसकी धारा–6 खण्ड में यह लिखा गया है कि किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे महाविद्यालयों का मार्गदर्शन और उनके कार्य पर नियंत्रण रखना परन्तु प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पंतनगर के जी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक

विश्वविद्यालय, पंतनगर से सम्बद्ध एवं नियंत्रणाधीन होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षिक कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वहन किये जायेंगे।

मान्यवर, इसके अन्तर्गत जो परीक्षाएं ली जायेंगी, उन पर नियंत्रण तकनीकी विश्वविद्यालय का होना चाहिए। आज अनेक विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, इस पर नियंत्रण लगाने का कार्य विद्यालय करे तो अच्छा होगा।

मान्यवर, खण्ड "ख" में कहा गया है कि किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य पर नियंत्रण रखना परन्तु प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पंतनगर से सम्बद्ध एवं नियंत्रणाधीन होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वहन किये जायेंगे।

मान्यवर, इसमें कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या वह कुलपति भी तकनीकी शिक्षा में विख्यात होगा। मान्यवर, अन्य पदाधिकारियों को निश्चित रूप से तकनीकी क्षेत्र में भिज्ञ होना चाहिए। धारा-9 जिसमें चार सदस्यों का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, यदि कहीं पर मतदान की स्थिति आयेगी तो वह संभव नहीं हो पायेगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें कम से कम संख्या विषम रखी जाय। मान्यवर, धारा 10 की उपधारा 7 में ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गई हो। मान्यवर, धारा 11 में लिखा गया कि कुलपति कार्य परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के आचार्यों में से वरिष्ठतम आचार्य को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है। मान्यवर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए था। इसमें वित्त अधिकारी की योग्यता का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, वित्त अधिकारी वित्त नियंत्रक का कार्य कर रहा है, इसमें योग्यता का उल्लेख होना चाहिए था। मान्यवर, धारा 14 के उप खण्ड-2 में परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी। मान्यवर, इसकी योग्यता क्या होगी, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति वित्त नियंत्रक हो जायेगा तो इसमें कैसे सुधार आयेगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, धारा-27 में विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के आयोजन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित करेगा।

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुरूप हो। मान्यवर, इसमें अनेक त्रुटियां हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि जब वे नगर निगम एवं नगर पंचायत का बिल लायेंगे तो उसको प्रवर समिति को सौंपेंगे और उस पर समिति में चर्चा होगी। मैं चाहता हूँ इसे भी प्रवर समिति को सौंपा जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे भाषा का ध्यान रखें। इसमें लिखा है "विधान सभा के आगामी विधान सभा सत्र में रखा जायेगा"। और मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इसमें लिखा है, कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा परन्तु प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। मैं चाहता हूँ जब तक इसमें कुलपति चयन प्रक्रिया से नहीं आ जाता, तब तक इसका कार्यकाल निर्धारित किया जाय।

मान्यवर, हम जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नियुक्ति कर रहे हैं, उसमें बाध ा न पड़े। मान्यवर, उनको लम्बे समय तक कार्यकाल देंगे तो यह उचित नहीं है। मान्यवर, आपने जो समन्वय कार्य परिषद् बनाई है, इसमें पन्तनगर कृषि वि0वि0 के कुलपति को सदस्य के रूप में रखा है, पर मेरा सुझाव है कि उसमें डीन टेक्नोलॉजी को रखें। मान्यवर, वित्त समिति में एक स्तर के दो अधिकारियों को रखा गया है जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव वित्त को नॉमिनी रखे जाने का अधिकार है जबकि प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा को नॉमिनी रखने का अधिकार नहीं है, यह विसंगति है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए माननीय सदस्यों को एक–एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक मिनट में सुझाव दे दें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, अध्याय 2 की धारा 4 की उपधारा 2 में है कि "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यमान महाविद्यालयों से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा।" पर जो विद्यालय खुले हैं, इसका औचित्य क्या है? मान्यवर, धारा–6–घ–1 में जिन्होंने किसी के बाद "सम्बद्ध और पाठ्यक्रम के आगे तकनीकी पाठ्यक्रम जुड़ जाये" तो अच्छा होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, निवेदन है कि एक सुनने वाला रिकार्ड रख दिया जाय। मान्यवर, रिपोर्ट मुझसे कहते हैं कि मैं तेज बोलता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा समय दिया जाए।

एक तो पाँचवें सेक्शन में उल्लिखित है, उस पर मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ, यह विषय सभी व्यक्तियों के लिए है। मान्यवर, इसमें एन0आर0आई0 या विदेशी की जो बात है, इसका क्लेरीफिकेशन दो। एक बात बार–बार आयी है, उनके लिए जन प्रतिनिधियों को इग्नोर किया जाता है इसलिए मैनेजमेन्ट कमेटी में कम से कम तीन विधायकों को रखा

जाय, कोई भी सरकार आये, इसमें तीन विधायक होने चाहिएं। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अध्याय–8 में लिखा है कि इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों और प्राधिकारियों में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे। यह भी स्पष्ट होना चाहिए। पृष्ठ संख्या–21 में है कि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी या प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्य या आशय से किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

मान्यवर, यह तो अलोकतांत्रिक हो जायेगा, इसमें कोई भी न्यायालय में जा सकता है, इसको अलोकतांत्रिक नहीं बनाया जाय। यह प्रजातांत्रिक देश है। मान्यवर, पैरा 42 में अपील के बारे में लिखा है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरुद्ध विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकती है, उसमें संवर्धन कर सकती है अथवा उसको बदल सकती है। मान्यवर, इसमें ऐसा प्राविधान कर दिया जाय कि इसमें न्यायालय में जाने की छूट होनी चाहिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। यह तकनीकी विश्वविद्यालय का विचार तब उत्पन्न हुआ, जब टिहरी और नई टिहरी के बीच विवाद खड़ा हो गया, नई टिहरी विश्वविद्यालय का परिसर माँग रहा था। प्रमुख सचिव, कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय और इसमें मैं भी था। श्री बलबीर सिंह नेगी तथा श्री सुबोध उनियाल जी भी थे, हम मुख्यमंत्री जी के पास गये, हमने कहा कि इसका समाधान होना चाहिए जो चम्बा महाविद्यालय है, उसे नई टिहरी स्थानान्तरित कर दिया जाय। मान्यवर, टिहरी बाँध बन रहा है जो वहाँ प्रशिक्षार्थी आयेंगे, उनको प्रयोगात्मक चीजों का लाभ भी मिलेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं इस बात को लिखित में भी मुख्य सचिव के संज्ञान में ले आया था कि उस समय यह सहमति बनी थी कि एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय और बादशाही थौल परिसर में उसकी स्थापना हो, यह बात मा० मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में थी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी ....

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय मंत्री जी बोलें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम भी इस सदन के सदस्य हैं, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। आपने कहा कि तीन ही विश्वविद्यालय हैं। मान्यवर, चौथा...

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय नहीं महाविद्यालय है।

मान्यवर, मैं आभारी हूँ, हमारे सभी योग्य साथियों ने माननीय पंवार जी ने, मा० पंत जी ने, मा० भट्ट जी ने अपने अच्छे सुझाव दिये और यह भी कहा कि इसे प्रवर समिति को दे दिया जाये। मान्यवर, मैं कहता हूँ कि जो वास्तव में अच्छे काम हैं, उन पर तो हमारे विपक्ष के साथियों को हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। इसे प्रवर समिति को देने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे पास करने में और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसे तैयार किया गया है। हमारे साथियों ने बहुत सी शंकाओं को उठाया है। कहा गया कि कुलपति सरकार के द्वारा नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कुलपति के पद पर राज्य सरकार जिसे नियुक्त करेगी, वह उच्च तकनीकी शिक्षित व्यक्ति होगा। राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा। कुलपति एक प्रति कुलपति की नियुक्ति करेगा जो उसकी अनुपस्थिति में कार्य देखेगा और प्रति कुलपति महाविद्यालयों का वरिष्ठ प्राचार्य होगा। गुणवत्ता की बात आई है। मा० पंत जी ने कहा कि कहीं इंजीनियरों की फौज खड़ी न हो जाये। मान्यवर, हम इनके प्लेसमेंट की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 2 वर्ष के अंतराल में पंतनगर इंजीनियरिंग कॉलेज आई०आई०टी० का मुकाबला करेगा। 65–70 प्रतिशत का प्लेसमेंट हो रहा है। मात्र इंजीनियरिंग पास करने की बात नहीं है, उन्हें जॉब भी मिल रहा है। इससे इंजीनियरों की फौज खड़ी नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, चूँकि आई०आई०टी० में प्रिंसिपल डायरेक्टर होता है इसलिए हमें भी उसके समकक्ष अधिकारी को रखना पड़ा। उनके सुझाव भी निश्चित रूप से समय–समय पर लेते रहेंगे। और कुलपति की समयावधि की बात कही गई तो यह सरकार ने 3 वर्ष के लिए किया है और 3 वर्ष के बाद कुलाधिपति महोदय किसी भी योग्य व्यक्ति को वहाँ नियुक्त कर सकते हैं। जैसा अभी माननीय भट्ट जी ने भी कहा कि इसमें एन०आर०आई० भी निश्चित ही आयेंगे तो हम यह चाहते हैं कि जरूर तकनीकी शिक्षा की शिक्षा लें। हमारे साथियों ने इस बात को भी उठाया कि इसके 4 ही सदस्य हैं, वह पाँच होने चाहिएं तो मेरा यह मानना है कि हमने इसमें, जैसा साथियों ने कहा कि कभी वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यह शिक्षा का इतना बड़ा सेंटर है और इसमें प्रदेश से योग्य से योग्यतम व्यक्तियों को लिया है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि आपने न्यायालय में जाने पर रोक लगाई है तो हमने सिविल कोर्ट में जाने पर रोक लगाई है, वैसे इसमें हाईकोर्ट में तो रिट हो भी सकती है। यह इसलिए भी है क्योंकि वह कार्य परिषद् में जा सकता है और वहाँ का मामला वहीं पर रहेगा तो क्यों अनावश्यक वह कोर्ट में जाये और पैसा खर्च करके मुकदमा क्यों लड़े। तो इस प्रकार से अभी बंगलौर में उच्चशिक्षा व तकनीकी शिक्षा पर एक कान्फ्रेंस में हम गये थे तो वहाँ पर लोगों ने हमारे प्रदेश की इस व्यवस्था को एप्रिशियेट किया और कहा कि एक नया राज्य और छोटा राज्य और वहाँ पर इस तरह की अच्छी व्यवस्थायें हो रही हैं। तो मैं इस क्रांतिकारी कदम की ओर बढ़ने के लिए माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि इसे प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण यह विधेयक है, बार-बार प्रवर समिति की बात ठीक नहीं है। अगर हम आज से इसे शुरु नहीं करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है और अभी इसके न होने से दो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे लखनऊ से सम्बद्ध हैं और प्रति छात्र के हिसाब से लाखों रुपया वहाँ जा रहा है, उस पैसे को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसे जल्दी शुरु कर सकते हैं। हमारे साथी विधायक हरिद्वार ने कहा तो मैं बताना चाहूँगा कि यह यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय नहीं है तो जो भी फैकल्टी वहाँ पर है, उसे एडाप्ट भी कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा पंवार जी से, कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मान्यवर, आपने शर्त लगा दी कि सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो बाई दि वे किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपये का विवाद हो जाता है तो उसको इसके लिए भी रिट करनी पड़ेगी तो मान्यवर, जो छोटा सा संशोधन इसमें करना है वह मंत्री जी क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, वह कार्य समिति में जा सकता है, वहाँ पर अपील कर सकता है, कोर्ट में जाकर क्यों वह समय और पैसा बर्बाद करे, इसे वहीं पर सुलझाया जा सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कार्य समिति नहीं कार्य परिषद्।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जैसा माननीय ऐरी जी ने कहा कि आगामी सत्र है तो यह गलती हुई है, इसमें संशोधन करवा लेंगे और यह कार्य परिषद् है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, हमारे कैबिनेट नोट में लिखा गया था कि आगामी सत्र में इसे लाया जायेगा तो इस आगामी सत्र का आशय इस सत्र से है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी स्थापना कहाँ पर होगी, इसके सम्बन्ध में माननीय किशोर उपाध्याय जी ने कहा, जब इसके बारे में मंत्रि परिषद् में विचार किया जा रहा था तो वे भी मंत्रि परिषद् में शामिल थे, उस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी थे। माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मान्यवर, विषय गंभीर है, मंत्रि परिषद् के एक सदस्य को आश्वासन दिया गया है। इस पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है कि यह देहरादून में बनेगा लेकिन जो आश्वासन दिया गया है, इसके अनुसार इसे कहीं और बनना है, इस बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में ऐसी किसी घोषणा का जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–43 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005
(उत्तरांचल विधयेक संख्या वर्ष 2005)

उत्तरांचल में तकनीकी शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित विधेयक बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (क) यह विधेयक उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 कहलाएगा।

(ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

परिभाषायें

2 जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है, जो इस अधिनियम और उक्त विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;

(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है ;

(ग) "स्वशासी महाविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) की धारा 42 द्वारा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त घोषित महाविद्यालय से है;

(घ) "महाविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है ;

(च) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही हो और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तरांचल में लागू) द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा चलायी और अनुरक्षित की जा रही हो (और इसके अन्तर्गत ऐसे विश्वविद्यालय का कोई संकाय भी है जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहा हो);

(छ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण) प्रदेश, 2001 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ज) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

(झ) "प्रधानाचार्य" का तात्पर्य महाविद्यालय के प्रधान से है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाय और उसके अन्तर्गत जहाँ कोई प्रधानाचार्य न हो, वहाँ प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति और प्रधानाचार्य या कार्यवाहक प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप प्रधानाचार्य भी आता है;

(ट) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम से है;

(ठ) "तकनीकी शिक्षा" का तात्पर्य अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तुशास्त्र, प्रबन्धन, नगर योजना, भेषजी तथा अनुप्रयुक्त कला और शिल्प में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों से है, जिन्हें केन्द्र सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे;

(ड) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय से है;

(ढ) "उत्तरांचल" से तात्पर्य उत्तरांचल राज्य से है;

(त) "संघटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो और जिसे विनियमों के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो;

(थ) "तकनीकी शिक्षा परिषद्" का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है।

अध्याय दो

विश्वविद्यालय

3 (1) देहरादून में उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

(2) कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित होगा।

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

4 (1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यमान महाविद्यालयों से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, धारा 3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा उत्तरांचल में लागू) द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से जिसे आगे इस धारा में पूर्व विश्वविद्यालय कहा गया है, सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी महाविद्यालय या संस्था में, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा छात्र ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् पूर्व विश्वविद्यालय के अधीन ऐसी शिक्षा जारी रखने और पूरा करने का हकदार होगा और उसे ऐसा करने की अनुमति भी दी जायेगी तथा पूर्व विश्वविद्यालय ही ऐसे छात्र की पूर्व विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आयोजन करेगा और उसे उपाधि या कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए खुला होगा

5 विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में विनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय को अनन्य रूप से महिलाओं के लिए घोषित कर सकता है।

6 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य निहित होंगे अर्थात् :– विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्तव्य

(क) तकनीकी शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना ;

(ख) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य पर नियंत्रण रखना परन्तु प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पंतनगर के जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय पंतनगर से सम्बद्ध एवं नियंत्रणाधीन होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वहन किये जायेंगे;

(ग) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें संस्थित करना और प्रदान करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना–

(एक) जिन्होंने किसी महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(दो) जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय में विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्य किया हो;

(ङ) विनियमों में अधिकथित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(छ) विनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां और पारितोषिक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ज) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों द्वारा नियत किए जायं;

(झ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए प्राविधान करना;

(ट) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना–

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर या तत्समान अन्य संगठनों का अनुरक्षण,

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण, और

(तीन) खेल और खेल–कूद क्लब;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ड) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना और यथास्थिति वसीयतकर्ताओं, दानकर्ताओं या अन्तरितियों से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत, दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना;

(ढ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता की शर्तें अधिकथित करना और समय–समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(त) अन्य विश्वविद्यालयों या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, सहकार्य या सहयोग करना;

(थ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी कार्य करना, चाहे ये उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी 7 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

(क कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति–कुलपति;

(घ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी;

(छ) परीक्षा नियंत्रक;

(ज) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति 8 (1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब भी वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(2) मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा;

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से संबंधित ऐसी सूचना, अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे;

(4) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस विधेयक या विनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायं।

9 (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हो: कुलपति

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा,

(ख) अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद्, द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति,

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(4) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायं:

प्रतिबन्ध यह है कि कुलपति की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(5) यदि कुलपति अनुपस्थित रहने, अस्वस्थता या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहाँ प्रति–कुलपति या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ प्राध्यापक/प्राचार्य जिसे कुलाधिपति द्वारा नामित किया जाय, तब तक कुलपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर ले अथवा यदि कुलपति का पद रिक्त हो तो जब तक स्थायी कुलपति की नियुक्ति न हो जाय;

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान–बूझकर इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या स्वयं में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है;

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रेत्तर आदेश न दिया जाय–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिए वह अन्यथा हकदार था,

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

10 (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और–

(क) विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो।

(2) कुलपति कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस विधेयक और विनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो इस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) यदि कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्यतः उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसने विनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो यह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जा सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही, यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से, जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चिय से सूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यवाही परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकती है या उसे प्रत्यावर्तित कर सकती है।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति कोई ऐसा व्यय करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गई हो।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि विनियमों द्वारा निर्धारित की जायं।

प्रतिकुलपति

11 (1) कुलपति, कार्य परिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के आचार्यों में से वरिष्ठतम आचार्य को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें कुलपति उसे सौंपे या प्रत्यायोजित करे।

कुल सचिव

12 (1) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी, जैसी विहित की जायं।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधि-प्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुहर की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिए बाध्य होगा जो

उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जायं या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों में यथाउपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

13 (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा निवेश से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निवेश का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

(6) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो समय–समय पर विहित किये जायं।

परीक्षा नियंत्रक

14 (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा;

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायं या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह किसी महाविद्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो;

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन परीक्षा कार्य से सम्बद्ध कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस संबंध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी;

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा;

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा;

(7) यदि कभी परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

15 इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुल सचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जायं। — अन्य अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और सेवा के निबंधन और शर्तें

अध्याय–4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :– — विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) कार्य परिषद्;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) परीक्षा समिति; और

(च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जायं।

17 (1) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :– — कार्य परिषद् का गठन

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रतिकुलपति (यदि कोई हो);

(ग) निदेशक, आई0आई0टी0, रुड़की;

(घ) कुलपति, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर;

(च) तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव;

(छ) वित्त विभाग में राज्य सरकार के सचिव/प्रमुख सचिव;

(ज) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या उसका नाम निर्देशिती;

(झ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति;

(ट) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो ख्यातिप्राप्त प्रौद्योगिकीविद्;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम में नाम निर्दिष्ट महाविद्यालयों के दो प्राचार्य।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(3) खण्ड (झ), (ट) और (ठ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट होने और सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा में "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी आते हैं।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

18 (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण;

(ग) कुलपति की उपलब्धियों और सेवा के निबंधनों और शर्तों की संस्तुति;

(घ) शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुमोदन;

(च) विनियमों को बनाना, संशोधन या निरसन;

(छ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(ज) विश्वविद्यालय के न्यासाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन;

(झ) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बौद्धिक संपत्ति का अर्जन या अन्तरण;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना;

(ठ) ऐसी समितियों की नियुक्ति जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपेक्षित हों;

(ड) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी परिलब्धियों और सेवा के निबंधन और शर्तों का अवधारण;

(ढ) विश्वविद्यालय के बैंक खातों का संचालन प्राधिकृत करना;

(त) इस अधिनियम या विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों का विनियमन और निर्धारण।

(2) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत किया जाय।

(3) कार्य परिषद् के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जैसा विहित किया जाय।

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद् द्वारा बंधक विक्रय, विनिमय, उपहार या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर संपत्ति का (सिवाय प्रबन्ध के सामान्य अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अंतरण किया जायेगा और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लिया जायेगा।

(5) कार्य परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगी।

(6) कार्य परिषद् विनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी कोई शक्ति, जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।

19 (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं और वह शिक्षा संबंधी समस्त विषयों पर, कार्य परिषद् को सलाह दे सकती है। विद्या परिषद्

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलपति –अध्यक्ष

(ख) प्रतिकुलपति –सदस्य

(ग) विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद् के सदस्य न हों –सदस्य

(घ) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर के कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष –सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

वित्त समिति

20 (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलपति –अध्यक्ष

(ख) वित्त विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव अथवा उसका नाम निर्देशिती –सदस्य

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव –सदस्य

(घ) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य –सदस्य

(च) वित्त अधिकारी –सदस्य

(2) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन के संबद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् का आबद्धकर होगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं।

(4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

21 (1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो विनियमों में यथा उपबंधित रूप से गठित की जायेगी। परीक्षा समिति

(2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:–

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन और उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् को संस्तुति करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की समीक्षा; उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा।

(3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो।

(5) इस अधिनियम और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

22 विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वहीं होंगे, जो विहित किये जायं। अन्य प्राधिकारी

तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद् का गठन

23 (1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु, इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्यापन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यों के सम्बन्ध में और विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद् का गठन करेगी जो "तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद्" कहलायेगी।

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, मुख्यतः-

(i) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कृषि विभागों के कार्यरत प्रमुख सचिव या सचिव।

(ii) पन्तनगर विश्वविद्यालय, कुमायूँ विश्वविद्यालय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति।

(iii) तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रमुख सचिव/सचिव परिषद् के सदस्य सचिव होंगे।

(3) राज्य समन्वय परिषद् कुलाधिपति की सहमति से विश्वविद्यालय को आवश्यक निर्देश दिये जाने के लिए अधिकृत होगी जो कि विश्वविद्यालय के लिए अन्तिम और बाध्यकारी होगी।

(4) परिषद् अपने क्रियाकलापों हेतु ऐसी प्रक्रिया अपना सकती है जो वह उचित समझें।

अध्याय-5

सम्बद्धता

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

24 (1) यह धारा महाविद्यालयों पर लागू होगी।

(2) कार्य परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाय, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उसे वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

(3) किसी महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य विद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा, यथा उपबंधित के सिवाय, किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसके पोषण तथा रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारीवृन्द पर अधीक्षण तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु प्रौद्योगिक महाविद्यालय पंतनगर के जी०बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से सम्बद्ध एवं उनके नियन्त्रणाधीन होने के बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निवर्हन किए जायेंगे।

(5) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा, जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे।

(6) कार्य परिषद्, प्रत्येक महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों के समय–समय पर पाँच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद् को भेजी जायेगी।

(7) कार्य परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(8) कार्य परिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से विनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

(9) उपधारा (2) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है तो, कुलाधिपति, प्रबन्धतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा।

25 कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह

प्रबन्ध तंत्र की सदस्यता के लिए अनर्हता

होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है।

<u>स्पष्टीकरणः–</u> परन्तु "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 17 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

निरीक्षण और जांच 26 (1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जैसा वह निर्देश दे, किसी महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी हैं और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निश्चय करे तो वह उसकी सूचना महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को देगी और प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतंत्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतंत्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा। किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न वकालत करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही न्यायिक समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम सूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दे सकेगी और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र को दी गयी सूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह से सूचित करेगा।

(6) तत्पश्चात् कुलपति, ऐसे समय के अन्दर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उस कार्य परिषद् द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अन्दर राज्य सरकार के समाधान के रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देश से बाध्य होंगे।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांग सकेगी।

27 विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के आयोजन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा। संस्थान

28 किसी महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से विनियमों में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, नहीं लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा। महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

29 यदि किसी महाविद्यालय द्वारा, जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायेगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा। महाविद्यालय को अंशदान और दान

अध्याय–6

विनियम

विनियम कैसे बनाये जायेंगे

30 (1) विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाए जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् समय–समय पर नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई विनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किए गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।

विनियम

31 इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए प्राविधान किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा योजना की स्थापना;

(ग) मानद उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(घ) उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं वापस लेना;

(च) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं और उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें प्रदान करने या प्राप्त करने के सम्बन्ध में ली जाने वाली धनराशि;

(ज) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों तथा विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिए ली जाने वाली फीस;

(झ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ट) परीक्षाओं का संचालन, जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनकी नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ठ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियों और सेवा के निबन्धन और शर्तें;

(ड) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

अध्याय–7

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

32 (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जाएगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे। वार्षिक प्रतिवेदन

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा, जो विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

लेखा और लेखा–परीक्षा

33 (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे राज्य सरकार इसे निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पंद्रह माह से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखा–परीक्षा की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति उस पर लेखा–परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे। ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अधिभार

34 (1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे, तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निर्देश दे सकेगी।

(2) विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या आचरण के कारण उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी।

(4) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाय, तो अधिभार भू–राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाय, वसूल किया जायेगा।

अध्याय–8

विविध

35 (1) इस अधिनियम या विनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकारियों और प्राधिकारियों में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे। प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्त करने की रीति

(2) यदि इस अधिनियम या विनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई प्राविधान किया गया हो, तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हताऐं अवधारित करने की रीति वही होगी, जो विहित की जाय।

36 (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता है। आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

37 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि:– रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी, या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

38 कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी।

कुलाधिपति को संदर्भ

39 यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत विनियम की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश :-

(क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्, या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा।

वाद का वर्जन

40 (1) राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के तात्पर्य या आशय से किसी कार्य के लिए न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को सिद्ध करने की रीति

41 (1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में

ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती, तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

42 इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी विनिश्चय के विरुद्ध विनिर्दिष्ट समय के अन्दर कार्य समिति को अपील करने का अधिकार होगा तथा तत्पश्चात् कार्य परिषद् उस विनिश्चय की, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्टि कर सकती है, उसमें संवर्धन कर सकती है अथवा उसको बदल सकती है। अपील करने का अधिकार

43 (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लाप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे। कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

परन्तु 31 दिसम्बर, 2005 के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–43 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 लागू था। कालान्तर में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया गया। फलतः उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में प्राविधानित प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अधिकार संस्थाओं के प्रबन्धकों के बजाय शासन द्वारा गठित चयन बोर्ड को हस्तान्तरित हो गए थे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86/87 के अधीन पूर्ववर्ती राज्य की 09–11–2000 से पूर्व की विधियां उत्तरांचल में यथावत् लागू हैं और इस प्रकार उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट अधिनियम, 1921 तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 इस राज्य में प्रभावी हैं। पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा उत्तरांचल एक छोटा राज्य है और उसके अर्थोपायों तथा अशासकीय संस्थाओं में बड़ी मात्रा में रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझा गया कि अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्राविधान पुनः 1982 से पूर्व की स्थिति में लाकर बहाल कर दी जाय। अतएव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 को निरसित करने तथा उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट अधिनियम, 1921 में तद्नुसार संशोधन करने की दृष्टि से उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन/निरसन) विधेयक, 2005 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यवर, मुझे आशा है कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के हित में इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान हो जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा संशोधन एवं निरसन विधेयक 2005 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, वास्तव में अशासकीय

विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसका संशोधन लाया गया यह उचित नहीं है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए और फिर इसको दुरुस्त करके लाया जाना चाहिए इसलिए मैं प्रवर समिति बनाये जाने का अनुरोध करता हूँ। मान्यवर, इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 अगस्त 1993 के बाद तदर्थ रूप से कार्यरत सभी प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों का विनियमितिकरण नहीं किया जायेगा। मान्यवर, राज्य बनने के बाद यहाँ के लोगों ने काफी अपेक्षायें की थी कि अब हमें विनियमित किया जायेगा। मान्यवर, जो पहले से यहाँ पर कार्यरत हैं प्रधानाचार्य और अध्यापक हैं। 6 अगस्त 1993 के बाद तदर्थ रूप से कार्यरत हैं उनको विनियमितिकरण किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इनको कर दिया है हम जब सभी चीजों का आंकलन उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं वहाँ के नियमों को यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं तो यहाँ भी लागू होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हो गया है।

श्री अजय भट्ट–

ठीक है कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष की सेवा पर अशासकीय इण्टर कॉलेजों में ग्रेच्यूटी दी जाती है और 60 वर्ष के ऊपर की सेवा में यानी कि 62 वर्ष की सेवा में ग्रेच्यूटी नहीं दी जाती है। किन्तु आपने यहाँ पर 60 वर्ष की सेवा में ग्रेच्यूटी का कोई प्राविधान नहीं रखा है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यहाँ पर भी अभी 62 वर्ष नहीं हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप यू0पी0 का एक्ट देख लें। मैं कोई जिद् नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और हेड भी रही हैं। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप यू0पी0 के एक्ट को देख लें। एक निवेदन और करना चाहता हूँ जो रिटायर हो चुके हैं वर्ष 2004 से पहले उनको लाभ मिलना चाहिए। आज जब सारे नियम हम उत्तर प्रदेश के लागू कर रहे हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मान्यवर, इसके प्रबन्धतंत्र के जो कार्यों का विवरण है वह स्पष्ट नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें प्रधानाचार्य या प्रबन्धक जरूर होना चाहिए क्योंकि यह अशासकीय विद्यालय है। आपने इसमें उल्लिखित किया है कि प्रत्येक मण्डल के लिए एक चयन समिति होगी। आपने लिखा है कि मण्डल का मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक अध्यक्ष और उस मण्डल का वरिष्ठतम मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य होगा।

मान्यवर, तीसरा सदस्य सम्बन्धित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी होगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कमेटी में सम्बन्धित स्कूल का प्रबन्धन व प्रधानाचार्य भी होना चाहिए। मान्यवर, इसका चेयरमैन कौन होगा यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरा निवेदन यह है कि अशासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा होना आवश्यक है। मान्यवर, जब हमने इनको मान्यता दे दी है तो यह भी दीगर बात है कि भविष्य में ये और खुलने वाले हैं और

दूरदराज की शिक्षा व्यवस्था में ये कारगर सिद्ध भी हो रहे हैं। मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है कि अशासकीय विद्यालयों का एक अलग ही निदेशालय बनाया जाय। मान्यवर, यदि इनका अलग निदेशालय हो जाता है तो इनका ट्रांसफर भी होगा। मान्यवर, एक ही स्थान पर रहने से आदमी सुस्त पड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक एक स्थान पर कई साल रहता है। मान्यवर, यदि इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा होती है तो इससे प्रतिस्पर्धा का माहौल होगा। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा होने से परिणाम अच्छे आयेंगे, इसी के साथ मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आज प्रदेश में 227 इण्टर कॉलेज और 54 हाईस्कूल अशासकीय विद्यालयों की संख्या है। इनमें 5025 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3593 पद भरे गये हैं और 1425 पद खाली हैं। मान्यवर, 1992 के बाद नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप यह प्रवृत्ति हो रही है। मान्यवर, इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में तीन विषय विशेषज्ञों की एक टीम होगी जो भिन्न–भिन्न जनपदों के होंगे। मान्यवर, यह हमने इसलिए किया कि ताकि नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता हो। मान्यवर, 6 अगस्त 1993 से पदोन्नतियाँ सीधी–सीधी भर्ती द्वारा नये शिक्षकों को नियमित किया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 06 अगस्त 1993 के बाद के जो प्रभारी अध्यापक हैं वे नियमित होंगे या नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, बाद के नहीं, पहले के।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने कर दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का निरसन करके तो हमने यह किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 1998 तक का उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। ऐसे तो सरकार अनावश्यक मुकदमें में फंस जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह मुकदमें में फंसने की बात नहीं है। मान्यवर 1991 या उसके पश्चात् 6 अगस्त, 1993 तक की जो पदोन्नतियां सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं उनको ही क्रियान्वित किया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज हजारों अध्यापक होंगे जिनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। चूँकि उत्तरांचल राज्य बना है तो इसके बाद के लोगों को क्यों नहीं किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसके बाद नियुक्तियों पर रोक लगी। एक–एक विद्यालय में 5–10 नियुक्तियां की जिसके वेतन का भुगतान प्रबन्ध समिति करता है। मान्यवर, पहले मई था लेकिन निवेदन किया तो 6 अगस्त तारीख आई तो वह सब नियमित हो गये, जो बचे होंगे उनको देखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप जानते हैं कि जो 25–25 साल से नियुक्त हुए तो उसमें प्रधानाचार्य, लेक्चरर हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, वेतन वितरण अधिनियम जिन पर लागू है यह उत्तर प्रदेश में स्पष्ट था। अब प्रबन्ध समिति में गैर सहायता समिति है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अभी आप बता रहे थे तो किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य रिटायर होगा तो जो सीनियर होगा वह प्रधानाचार्य बन जायेगा, इसमें ऐसा कोई प्रधानाचार्य नहीं है जो एप्रूव न हो, यदि सीनियरिटी तोड़ दी तो यह झगड़ा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिसकी सरकार से सैलरी जा रही है वह आ जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, वह तो हैं ही। उत्तर प्रदेश में वरीयता के आधार पर एक या दो लिये जाते हैं। यहाँ हमने जिलेवार किया है।

मान्यवर, जो प्रधानाचार्य रिटायर्ड हो जाता है तो सीनियर्टी से नीचे वाला ऊपर आ जाता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिनका सरकारी गजट से वेतन जा रहा है उनको कर दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जो चयन समिति का गठन किया यह अच्छी बात है। अपर शिक्षा निदेशक अध्यक्ष बनाया और संयुक्त शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया है। क्या प्रधानाचार्य को भी इसमें शामिल करने का विचार होगा?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, समिति इन्स्टीट्यूशन है। मान्यवर, प्रबन्धाधिकार को यह अधिकार होता है, वेतन वितरण और अधिनियम में इन्स्टीट्यूशन आते हैं। इसमें एक एक्सपर्ट को भी रखा गया है उनके हस्ताक्षर से विधिक चयन माना जाता है। अब यह समिति डी0आई0ओ0एस0 के पास जाती है यह पूर्ववत् व्यवस्था थी वहीं वापस कर दी गई थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक निवेदन कर रहा हूँ कि 6 अगस्त, 93 के बाद जिनको तनख्वाह मिल रही है, शासन से वेतन दिया जा रहा है नियमित होंगे या नहीं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, नैशनल स्कूल रानीखेत में श्री शेर सिंह हैं, आप भी उनको अच्छी तरह जानती हैं। मान्यवर, उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह सीनियर मोस्ट होंगे तो वे प्रधानाचार्य होंगे, नहीं हैं तो वह नियमों के तहत नहीं आ रहे होंगे। अगर विभागीय कमी होगी तो ठीक की जाएगी।

श्री अजय भट्ट–

ठीक, मैंने सदन में बोट करा दिया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 1993 तक के लोगों का विनियमितीकरण किया जायेगा। 1993 के बाद से प्रतिबन्ध लग गया था। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे शिक्षक पी०टी०ए० हैं जो अशासकीय प्रबन्धतंत्र में लगे थे, पी०टी०ए० में साढ़े आठ सौ लोगों को लिया। नेता प्रतिपक्ष ने एक जिज्ञासा रखी कि प्रबन्ध समिति में सदस्य कौन होंगे। मान्यवर, प्रबन्धक द्वारा नामित व्यक्ति तीन विषय विशेषज्ञ इस चयन समिति में होंगे।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ......।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 98 तक के कर दिये गये हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वह तो चयन समिति का अधिकार है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बात आई कि जो हमारे मैनेजमेंट के विद्यालय हैं। उनमें 10–10 साल से शिक्षक कार्यरत हैं। उनकी उम्र भी निकल चुकी है अर्थात् वे ओवर ऐज हो गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मानवीय आधार पर इस बात पर भी विचार किया जाये। उनके साथ अन्याय न हो इसका भी ध्यान रखा जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 850 अध्यापकों को हम ले चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–6 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा

(संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्याः वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 को उत्तरांचल राज्य के परिपेक्ष्य में संशोधन करने के लिए तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1982) (यथा उत्तरांचल में लागू) को उत्तरांचल के परिपेक्ष्य में निरसित किये जाने के लिए–

विधेयक

(भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित)

अध्याय–1

1– संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

अध्याय–2

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में संशोधन–

2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 2 (क क क) के बाद एक नई उपधारा (क क क क) जोड़ दी जायेगी–

(क क क क)– "निदेशक" के तात्पर्य "निदेशक विद्यालयी शिक्षा" से है और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत "अपर शिक्षा निदेशक मुख्यालय" भी है।

3– मूल अधिनियम की धारा 2 (ख ख) में संशोधन–

मूल अधिनियम की धारा 2 (ख ख) में शब्द "जिला विद्यालय निरीक्षक" तथा "सम्भागीय बालिका निरीक्षिका" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

4– मूल अधिनियम की धारा 2 (घ घ) में संशोधन–

मूल अधिनियम की धारा 2 (घ घ) में शब्द "सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक" के स्थान पर शब्द "मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक" रख दिये जायेंगे।

5– मूल अधिनियम की धारा 16. छछ के बाद निम्न धारा रख दी जायेगी–

" (16 छछछ)(अ) अल्पकालिक रिक्तियों के प्रति नियुक्तियों का विनियमितीकरण–

(1) ऐसे किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जायेगी, जो–

(क) समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1981 के पैरा–2 के अनुसार प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में 14 मई, 1991 को या उसके पश्चात् किन्तु 6 अगस्त 1993 के पश्चात् नहीं, पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा किसी अल्पकालिक रिक्ति के प्रति नियुक्त किये गये थे, और ऐसी रिक्ति को बाद में मौलिक रिक्ति में परिवर्तित कर दिया गया था,

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों के अनुसार विहित अर्हतायें रखता हो या जिसे ऐसी अर्हता से छूट प्राप्त हो,

(ग) ऐसी नियुक्ति के दिनांक से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्यरत रहा हो,

(घ) धारा (16 छछछ) की उपधारा (ख) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा मौलिक रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो।

(2) (क) मौलिक नियुक्ति के लिए अध्यापकों के नामों की सिफारिश उनकी नियुक्ति के दिनांक से यथा–अवधारित ज्येष्ठता क्रम में की जायेगी।

(ख) यदि दो या अधिक ऐसे अध्यापक एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों तो आयु में अपेक्षाकृत बड़े अध्यापक की सिफारिश पहले की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त प्रत्येक अध्यापक को ऐसी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायेगा।

(4) ऐसा अध्यापक जो उपधारा (1) के अधीन उपयुक्त न पाया जाय और ऐसा अध्यापक जो उस उपधारा के अधीन मौलिक नियुक्ति पाने के लिए पात्र न हो, ऐसे दिनांक को जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे नियुक्ति पर नहीं रह जायेगा।

(5) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए हकदार हो जायेगा, यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक की ऐसी रिक्ति पहले से ही भरी हुई थी या ऐसी रिक्ति के लिए इस अधिनियम के अनुसार पहले से ही चयन कर लिया गया है।"

"(ब) विनियमितीकरण हेतु चयन समिति– प्रत्येक मण्डल के लिए एक चयन समिति होगी जो निम्नलिखित होंगी–

(एक) उस मण्डल का मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक–अध्यक्ष;

(दो) उस मण्डल का वरिष्ठतम मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक–सदस्य;

(तीन) सम्बन्धित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य।"

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का निरसन–

6– निरसन एवं व्यावृत्ति–

(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1982) (यथा उत्तरांचल में लागू) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा निरसित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–6 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अशासकीय शिक्षा (संशोधन एवं निरसन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जैसा कि यह नाम से ही विदित है यह जनहित में, क्षेत्र हित में, पर्यावरण के हित में लाया गया है। मान्यवर, उत्तरांचल में अवस्थित भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के एकीकृत और सतत् विकास के पर्यवेक्षण एवं समन्वयन के लिए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अधिनियम किया गया था। पूर्ववर्ती राज्य द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाती, इससे पूर्व उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86,87 के अधीन पूर्ववर्ती राज्य की उक्त विधि उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू रही। उत्तरांचल द्वारा पूर्ववर्ती राज्य के उक्त अधिनियमित अधिनियम के स्थान पर उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक और विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए भागीरथी नदी जिसका विस्तार देवप्रयाग से गंगोत्री में गौमुख तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नया अधिनियम अधिनियमित किये जाने हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल की संस्तुतियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा टिहरी बांध परियोजना के सन्दर्भ में दिनांक 1 सितम्बर, 2003 को दिये गये निर्णय में प्रदत्त दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल के लिए उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक 2005 का प्रारूप तैयार किया गया है। क्षेत्रीय जनता को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए एक प्राधिकरण का गठन हुआ है और इसमें भागीरथी नदी क्षेत्र में टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में भागीरथी और भिलंगना तथा उनकी जो सहायक नदियां जो नदी में नीचे की ओर देवप्रयाग तक और नदी में ऊपर गौमुख तक तथा उसके बेसिन तक का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है।

मान्यवर, टिहरी बांध के सम्बन्ध में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश थे और उसी के अनुसार भी यह बनना था लेकिन तब तक उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया था और यह भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण बन जाने से देवप्रयाग में गंगोत्री से गौमुख तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए यह प्राधिकरण बनाया जा रहा है और दूसरे रूप में इसे देखा जाय तो दूसरी नदी घाटियों के लिए भी जहाँ इस तरह के प्राधिकरणों की आवश्यकता महसूस की जायेगी तो वहाँ के लिए यह गाइड के रूप में कार्य करेगा। मान्यवर, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य विकास है और इसके अधिनियमित हो जाने से इस क्षेत्र में क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण, शहरी आबादियों का विकास एवं नियंत्रण, पर्यटन विकास से सम्बन्धित क्रियाओं का निष्पादन, एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंट तकनीक के आधार पर

विकास कार्य, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन रोकना, पारिस्थितीय संतुलन को बनाये रखना, वन्यजीवन की रक्षा, कृषि भूमि का विस्तार, जल प्रदूषण और भू-रक्षण की रोकथाम तथा क्षेत्रीय जनसंख्या को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना तथा ईंधन, ईमारती लकड़ी व पशुचारे की उपलब्धता आदि कार्यों को समुचित एवं समग्र रूप से योजनाबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। जैसा अभी पिछले विधेयक पर कण्डारी जी ने कहा तो आपको भी यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस क्षेत्र के भागीरथी विकास प्राधिकरण में 6 एम०एल०ए० और दो जिला पंचायत के अध्यक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह प्राधिकरण बनेगा, के सदस्य नामित होंगे। इसके बनने से निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा और इसी के अनुरूप अन्य जगह की आवश्यकता पड़ने पर इस तरह के प्राधिकरण बनाये जा सकते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश थे, टिहरी बाँध के सम्बन्ध में इसलिए यह आवश्यक भी था।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्ताव पेश करता हूँ कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास एवं प्रबन्ध) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, यह जो भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण का प्रस्ताव यहाँ सदन में लाया गया है तो आज उत्तरांचल की जनता प्राधिकरण के नाम से ही त्रस्त है और जहाँ पर प्राधिकरण का नाम आता है तो जनता में एक स्वाभाविक आक्रोश आ जाता है और अभी तक जो 5 प्राधिकरण यहाँ पर थे, उनमें से 4 प्राधिकरण प्रभावी हैं, नैनीताल में झील विकास प्राधिकरण, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और साडा जिसे दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहते हैं। अभी तक का इसका स्वरूप क्या है, इसकी गतिविधि से जनता त्रस्त हुई है। यह जो प्राधिकरण है, भागीरथी विकास का, यह पहले भी था, अब इसका विस्तार कर दिया गया है तो आज जनता को एक शंका हो रही है और हमारे मन में भी एक शंका आ रही है जैसे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और साडा है।

मान्यवर, एम०डी०डी०ए० और साडा आज एक रूप हो गए हैं। कहीं भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण भी उसी का स्वरूप तो नहीं है। इस तरह की आशंका आज सबके मन में पैदा हो रही है।

मान्यवर, नगर विकास विभाग द्वारा प्राधिकरणों के सम्बन्ध में जो शासनादेश जारी हुए हैं, जैसे भू उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कानून है, डेवलपमेन्ट चार्ज सम्बन्धी शासनादेश है, मानचित्र की स्वीकृति के बिना बिजली और पानी के कनेक्शन न दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश हैं, कहीं ऐसा न हो कि पर्वतीय क्षेत्र में एक पत्थर लगाने के लिए भी लोग मुश्किल में पड़ जाए, इस तरह की आशंका आज हो रही है। मान्यवर, यह जो प्राधिकरण बन रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, अभी यह निश्चित नहीं है। कहीं द्रोणी है, कहीं गोमुख है, कहीं देवप्रयाग है, कोई व्यक्ति मानचित्र पास कराने के लिए

कहाँ–कहाँ जाएगा? मान्यवर, किस तरह से प्राधिकरणों के अधिकारी और कर्मचारी जनता का शोषण कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा। मान्यवर, देहरादून में एक मकान के लिए 35 रुपये स्क्वायर फुट डेवलपमेन्ट चार्ज लिया गया और उसी के बगल में 250 रुपये स्क्वायर फुट लिया गया। मान्यवर, इस तरह से शोषण किया जा रहा है। गरीब जनता को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि इस प्राधिकरण के बन जाने से उनकी दिक्कतें बढ़ जाएं। अभी लोग जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनसे पानी ले रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि कल को जल निगम और जल संस्थान वहाँ से लाईन खींचना चाहे, तो वन अधिनियम की तरह पानी का भी अधिनियम बन जाएगा। वन अधिनियम से तो पहाड़ के लोग त्रस्त हैं ही, एक अधिनियम और बन जाएगा।

मान्यवर, जानवरों के लिए चारे, जलौनी लकड़ी और हक–हकूक की बात है। मान्यवर, 1980 में बना वन अधिनियम उत्तरांचल के लिए एक काला कानून के रूप में लगता है, वहीं इस अधिनियम के बनने से भी ऐसी ही स्थिति न उत्पन्न हो जाय। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्राधिकरण के मुख्यालय के बारे में मैंने कहा अभी यह निश्चित नहीं है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर बनेगा। जिस तरह यह तय नहीं है कि तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, बादशाही थौल में बनेगा, देहरादून में बनेगा या उत्तरकाशी और नई टिहरी के बीच में बनेगा, उसी तरह यह भी निश्चित नहीं है कि प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर होगा, इसलिए मेरा कहना है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो इस पर विचार करे और अपना निर्णय दे। मैं समझता हूँ कि अभी इसका सही स्वरूप सामने आएगा। मान्यवर, इस विधेयक में प्राधिकरण की शक्तियों में उल्लिखित है कि "प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना महायोजना में उल्लिखित कोई भी प्राथमिक या अन्य कार्य या किसी विकास योजना का आरम्भ नहीं किया जाएगा।" मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी दुकान बनाना चाहता है। तो उसे 200 प्रतिशत सर्किल रेट का कन्वर्जन चार्ज देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है तो उसे इस प्राधिकरण की वजह से और अधिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अध्याय तीन में उल्लिखित है कि प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जिसमें राज्य के विभाग या प्राधिकारी भी सम्मिलित होंगे तथा लोक या निजी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यों को न तो किया जायेगा, न ही कोई कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यह बात आशंका पैदा कर रही है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसमें आगे लिखा है कि जब तक कि ऐसे विकास हेतु प्राधिकरण से लिखित रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति प्राप्त न कर ली गई है।

मान्यवर, इसके अध्याय पाँच में उल्लिखित है कि किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है, प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी। मान्यवर, यह तो बिल्कुल सुरसा की तरह हो गया। जो पूरा समुद्र का पानी पीने को मुँह खोले है, यानी कि अधिकारी बैठक करते है, तय करते हैं, अब हमारा क्षेत्र फला जगह तक हो गया, अगले दिन वहाँ बोर्ड लग जाता है कि विकास प्राधिकरण के अधिकारी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं। मान्यवर, अध्याय 6 में उल्लिखित है कि नदी घाटी

में कोई वृहद निर्माण या विकास कार्य जिससे महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन होता हो, नहीं किया जायेगा। मान्यवर, इससे अधिकारी मनमानी करने लगेंगे जहाँ उनकी मर्जी होगी, वहाँ नक्शा पास कर देंगे, जहाँ मर्जी नहीं होगी, वहाँ आपत्ति लगा देंगे। इसी प्रकार मान्यवर, अध्याय 6 में उल्लिखित है कि मवेशी आश्रय के रूप में प्रयोग किये जाने वाले अस्थाई ढांचे या फूस के मकान के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, पहाड़ों के फूस के मकान कहाँ होते हैं। पनचक्की स्थापना का जिक्र भी इसमें किया गया है। यहाँ पनचक्की कहाँ है। मान्यवर, जो भवन निर्माण कार्य होंगे, उसके लिए भी अनुमति लेनी होगी। गाँव का आदमी 25–30 कि0मी0 दूर से पैदल चलकर कार्यालय आया, अगर वहाँ पर अधिकारी नहीं मिलेगा तो उसकी यह दौड़ व्यर्थ हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर भी विचार की आवश्यकता है। मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सोच बहुत अच्छी है पर खामियाँ बहुत हैं। माननीय नेता सदन को भागीरथी विकास प्राधिकरण नदी घाटी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। वे काफी बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी राम प्रकाश गुप्त जी और उनके साथ जो सहयोग रहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किया। टिहरी बाँध परियोजना के सम्बन्ध में दिनांक पहली सितम्बर, 2003 को दिये गये निर्णय के अनुसार नदी घाटी में पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के लिए क्षेत्रीय जनता के पुनर्स्थापन, क्षेत्र की वनस्पतियों, जीव जन्तुओं के संरक्षण, जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन आदि के आदेश दिये गये हैं। मान्यवर, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी परिपालन करना है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे और इस समय उत्तरांचल में हैं। यदि आपको ऐसा करना है तो सम्पूर्ण उत्तरांचल की जितनी नदी घाटियां हैं, उनको विकसित करने के लिए वह इस एक्ट में जोड़ा जाता तो बहुत अच्छा होता। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि उत्तरांचल की जितनी भी नदी घाटियां हैं, इसका एक एक्ट बनायें। मान्यवर, आज मसूरी–देहरादून प्राधिकरण हमारे लिए सिर दर्द बना हुआ है, कहीं इससे टिहरी के विस्थापित लोग पीड़ित न हो जायं। मान्यवर, इसमें 20 हजार के अर्थ दण्ड का प्राविधान है, यह बहुत अधिक है।

*श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, आपकी तनख्वाह भी तो अधिक है। (हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जब सदन में माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहा होता है, तो किसी माननीय सदस्य को बीच में टीका–टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. ऐसा संसदीय ज्ञान होना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सेंस आफ ह्यूमर पर तो लोक सभा में एक किताब भी लिखी गयी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह प्राधिकरण हमारे हक–हकूक को छीन रहा है। मान्यवर, हम रेत, बजरी, पत्थर अपने मकान बनाने के लिए लाना चाहें, तो नहीं ला सकते हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जब हम अपने मकान के लिए नक्शा बनाते हैं और फिर उसको पास करना होता है तो इसमें यह सुविधा दी जानी चाहिए कि इस नक्शे को किसी प्राधिकरण के पास न ले जायें।

मान्यवर, प्राधिकरण बनेगा, वह हमको परेशान करेगा, जनता का शोषण होगा। मान्यवर, इसमें है कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो 20 हजार रुपये का अर्थ दण्ड होगा। मान्यवर, गरीब जनता कहाँ से 20 हजार लायेगी और मान्यवर, फिर लिख दिया कि 6 माह तक के कारावास या एक हजार रुपये तक अर्थदण्ड या दोनों दण्ड का भागी होगा। मान्यवर, आप विकास करें मगर दण्ड फण्ड न डालें। इसमें आगे यह भी कहा है कि प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। मतलब चित–पट दोनों ही आपके। मान्यवर, इतना शुल्क लगा दिया, कल को गाय–भैंस पर भी शुल्क लगेगा। हमारे लिए पांव रखने की जगह नहीं होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेण्ट दिया, क्या उसका पालन न करें? मान्यवर, यह जो अधिनियम चल रहा है, वह उत्तर प्रदेश में श्री राम प्रकाश गुप्त के शासनकाल में पारित हुआ और वही यहाँ चल रहा है, उसके आधार पर बनाया गया और उसमें गर्वाचोव और श्री राजीव गाँधी जी के दस्तखत हुए। उन सबको स्वीकार करते हुए हम गलत कल्पना करेंगे कि यह हो जायेगा, गाय नहीं रहेगी, गाय के सींग नहीं रहेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न जब हम उस क्षेत्र में जायेंगे तो वहाँ की जनता, हमसे करेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, अभी आपने कहा कि ऐसे प्राधिकरण घाटी सभी नदियों में बनना चाहिए और दूसरी तरफ आप गाय–भैंस को याद कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा उत्तरांचल की सभी नदियों की जो घाटियां हैं, उनके सुधार के लिए, विकास के लिए, गन्दगी न हो, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह जो अर्थ दण्ड लगा रहे हैं, इस पर आपत्ति है। एक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, एक्ट बनाना चाहिए, मगर हमारी जनता पर टैक्स न थोपें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने क्या किया, क्या नहीं किया, यह न कहें। हमको आज यहाँ उत्तरांचल की जनता के हित में निर्णय लेना होगा।

मान्यवर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह जी ने जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और आप यदि किसी प्रकार टैक्स नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का दण्ड नहीं देते हैं। अगर यह संशोधन कर दें तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ध्यान आकर्षित किया, इसमें लिखा है, इस विधेयक का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया गया है कि भविष्य में जब कभी आवश्यक होगा, राज्य सरकार दूसरी नदियों, घाटियों के लिए भी ऐसे अन्य प्राधिकरणों का गठन कर सकती है या ऐसी नदी घाटियों को विद्यमान घाटी प्राधिकरण के अधीन ला सकेगी। अब मुख्यमंत्री जी ने तो बता ही दिया आपको कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है, यह मेरे पास निर्णय रखा है जिसमें उन्होंने लिखा, इसमें लिखा है कि "द डिपार्टमेन्ट आप पावर विल इन्श्योर द सैटिंग अप आफ द भागीरथी बेसिन मैनेजमेंट एक्ट एथोरेटी आफ स्टोटेरी बेसेस थ्रो लेजिस्लेटिक एक्शन बिफोर 31–03–91" इसका भी उत्तर देना। किसी के प्रबन्धन से कोई कष्ट जनता के बीच में हो रहा है, उसको मिल कर निराकरण करेंगे। व्यवस्था में दण्ड देने का प्राविधान किया जाता, वह लगे या न लगे, अलग प्रश्न है। यह प्राविधानित होता, कोई न कोई दण्डनीय प्रक्रिया प्राविधानित की जाती है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कोई दण्ड न लगे कोई उप कर न लगें। हमारी जनता के हक–हकूक बरकरार रहें। हम आपसे यह चाहते हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, हमें उत्तर प्रदेश से अलग हुए चार साल हो गये हैं, हमारी जान अब तो उत्तर प्रदेश से छुड़ा दीजिए, आज वही लेखा जोखा हमारे सामने पढ़ा जाता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष सक्षम हैं, हमारी जान उत्तर प्रदेश से छुड़ा दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप तो उत्तरांचल से पंजाब तक सीमित हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–34, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या: वर्ष 2005)

उत्तरांचल राज्य की भागीरथी नदी घाटी और टिहरी बांध के ऊपरी और निचली ओर तथा इसके जलागम और प्रभावी क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में, नदी घाटी के स्थायी विकास और समुचित प्रबन्ध हेतु

विधेयक

(भारतीय गणराज्य के पचपनवें वर्ष में एतद्द्वारा विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

अध्याय–I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार

1. (1) यह अधिनियम 'उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध), 2005 कहा जायेगा।

(2) प्रथमतः यह उत्तरांचल के टिहरी और उत्तरकाशी जिलों की भागीरथी नदी घाटी पर लागू होगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार यदि उपयुक्त और उचित समझे, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध ऐसी अन्य नदी घाटियों पर भी लागू कर सकेगी।

(3) यह, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी तिथि से, जो नियत किया जाय, अधिसूचना द्वारा लागू होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में–

(क) "प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा '3' के अधीन स्थापित नदी घाटी विकास प्राधिकरण से है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य धारा '3' के अधीन स्थापित नदी घाटी विकास (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005 से है;

(ग) "भागीरथी नदी घाटी" का तात्पर्य उत्तरांचल के टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में भागीरथी, भिलंगना तथा उनकी सहायक नदियाँ जो नदी में नीचे की ओर देवप्रयाग तक तथा नदी में ऊपर की ओर गौमुख तक एवं उनकी द्रोणी (बेसिन) और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आस-पास के ऐसे अन्य क्षेत्र से है;

(घ) "द्रोणी (बेसिन)" का तात्पर्य घाटी के संपूर्ण जलागम क्षेत्र से है;

(ङ) "जलागम क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जिसकी दूरी नदियों के मध्य से 100 मीटर, जिसे 200 मीटर तक बढ़ाया जा सकेगा, नदी में ऊपर और नीचे की ओर उस लम्बाई तक जैसा अवधारण कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जाय;

(च) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित नदी घाटी क्षेत्र से है;

(छ) "विकास अभिकरण (एजेंसी)" का तात्पर्य नदी घाटी के विकास के कार्य में संलग्न किसी शासकीय विभाग या संस्था या अन्य अभिकरण से है;

(ज) "कार्यकारी समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन गठित समिति से है;

(झ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(ट) "सदस्य" का तात्पर्य प्राधिकरण का सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, से है;

(ठ) "सेक्टर" का तात्पर्य विकास कार्यों के प्रयोजनार्थ लिये गए भौगोलिक और क्रियाशील क्षेत्रों से है और इनमें सम्मिलित हैं-

(i) "भौगोलिक क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें नगरपालिका निकाय व जिला पंचायत के क्षेत्र समाविष्ट हों;

(ii) "कार्यशील क्षेत्र" का तात्पर्य विकास की मद और जिसमें कृषि, सड़क, सेतु, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, जलागम, संचार, आवास निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, नौकायन, मछली पालन/पकड़ना और उनसे सम्बन्धित विषय शामिल हैं, से है;

(ड) "नदी घाटी" में, नदियों और उनकी सहायक नदियाँ तथा ऊपरी एवं निचली द्रोणी और "बांध अथवा जलाशय" से प्रभावित क्षेत्र एवं जलागम क्षेत्र शामिल है।

(ढ) "शब्द तथा अभिव्यक्ति" जो इस अधिनियम में प्रयोग किये गये हैं, परन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जैसे-उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में दिये गये हैं।

अध्याय–II

नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना

प्राधिकरण और कार्यपालिका समिति की स्थापना और गठन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति

3. (1) राज्य सरकार अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिये अधिसूचना द्वारा भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के नाम से स्थापित किया जायेगा, जो कि एक निगमित निकाय होगा।

(2) जब कभी भी आवश्यक होगा, राज्य सरकार दूसरी नदी घाटियों के लिए ऐसे अन्य प्राधिकरणों का गठन भी कर सकेगी या ऐसी नदी घाटियों को विद्यमान नदी घाटी प्राधिकरण के अधीन ला सकेगी।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगा, अर्थात्:–

पदेन अध्यक्ष	(क) राज्य का मुख्यमंत्री।
उपाध्यक्ष	(ख) नदी घाटी क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति।
पदेन सदस्य	(ग) राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम छः सदस्य जो नदी घाटी क्षेत्र के विधायक हों।
पदेन सदस्य	(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित जिला पंचायत अध्यक्ष जिसमें नदी घाटी का क्षेत्र आता हो।
सदस्य	(ङ) भारत सरकार के जल संसाधन, वन और पर्यावरण मंत्रालय से विशेष आमंत्रित सदस्य जो उपसचिव/निदेशक पद से अनिम्न हों।
सदस्य	(च) योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि जो निदेशक पद से अनिम्न हो।
	(छ) राज्य के निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव या सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत जो अपर सचिव से अनिम्न हों:–
पदेन सदस्य	(i) वित्त विभाग
पदेन सदस्य	(ii) नियोजन विभाग
पदेन सदस्य	(iii) लोक निर्माण, सिंचाई और विद्युत विभाग
पदेन सदस्य	(iv) विधि विभाग
पदेन सदस्य	(v) पर्यटन विभाग
पदेन सदस्य	(vi) पर्यावरण, वन, ग्रामीण विकास
पदेन सदस्य	(ज) मण्डल के मण्डलायुक्त
पदेन सदस्य सचिव	(झ) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(ञ) राज्य सरकार अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम छः सदस्य जो मृदा संरक्षण, भू–विज्ञान, पर्यावरण, विधि, समाजशास्त्री तथा प्रबन्धकीय क्षेत्रों के तकनीकी सलाहकार/संस्थान से होंगे। सदस्य

(4) राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सचिव स्तर से अनिम्न का हो, को भी राज्य सरकार, सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्ति कर सकेगी।

(5) प्राधिकरण अपने सदस्यों की एक कार्यपालिका समिति का गठन कर सकेगी जिसमें धारा 3 की उपधारा (3) के प्रस्तर (छ) में से वर्णित दो सदस्य, सदस्यों की संख्या छः से अधिक न होगी, जिसकी अध्यक्षता, उपाध्यक्ष करेंगे, जोकि प्राधिकरण के निर्णयों, विभिन्न घोषणा–पत्रों को यथोचित और यथासमय लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे और प्राधिकरण के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेंगे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस कार्यपालिका समिति का सचिव होगा।

(6) प्राधिकरण की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी यद्यपि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति से, जब भी आवश्यक हो, बैठक की जा सकेगी।

(7) कार्यपालिका समिति की बैठक, कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में होगी यद्यपि उपाध्यक्ष ऐसी बैठक कार्यपालिका समिति के सदस्यों की अपेक्षानुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये कार्यपालिका समिति की बैठक आहूत कर सकेंगे।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारणों से अवैध न होगी:–

(क) प्राधिकरण की संरचना में कोई रिक्ति या त्रुटि है ; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि है ; या

(ग) मामले को प्रभावित न करने वाली प्राधिकरण की प्रक्रिया में हुई कोई अनियमितता।

(9) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सभी या कोई एक सदस्य को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार पदच्युत कर सकेगी या ऐसा सदस्य जो अपने पद पर नहीं रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र, यदि सदस्य है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है तो प्राधिकरण के अध्यक्ष को दे सकेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य

4— (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस अधिनियम या उसके अधीन जारी विनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) पदेन सदस्य सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, उसकी सहायता हेतु प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

प्राधिकरण के कर्मचारी

5— (1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा विहित किया जाय, प्राधिकरण अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु जैसा आवश्यक और समीचीन समझा जाय, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, किन्तु ऐसी नियुक्ति करने में भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों का पालन किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा–शर्तें, जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, होंगी।

तकनीकी सलाहकार/संस्था

6— (1) कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु प्राधिकरण, पर्यावरण प्रबन्ध, भू–विज्ञान, पारिस्थितिकी योजना, एकीकृत ऊर्जा, नियोजन, सामाजिक विज्ञान, वन–पारिस्थितिकी और विधि तथा अन्य क्षेत्रों से तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों तथा उनकी नियुक्ति सम्बन्धी शर्तें व मानदेय कार्यपालिका समिति द्वारा अवधारित की जायेंगी।

बैठक

7— (1) प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलायी जाएगी और प्राधिकरण का कार्य बैठक में कार्यसूची के अनुसार निस्तारित किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष किसी कार्य को सदस्यों के मध्य कार्यसूची परिचालन के माध्यम से देने के निर्देश न दे दें परन्तु बैठक के समय अध्यक्ष किसी अन्य मामले को कार्यसूची में सम्मिलित करने का निर्देश दे सकेंगे।

(2) प्राधिकरण की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी यद्यपि अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति के निर्देशानुसार किसी भी समय बैठक बुला सकेंगे।

(3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनों की अनुपस्थिति में सदस्यों की सहमति से निर्वाचित सदस्य करेगा।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित चार सदस्यों तथा खण्ड (ङ) से (ञ) में उल्लिखित तीन सदस्यों

सहित सात सदस्यों से अन्यून कोई कार्य निस्तारित नहीं किया जा सकेगा, परन्तु गणपूर्ति के प्रभाव में आगामी बैठक को स्थगित करने हेतु गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) बैठक में उठाये गए सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा किया जाएगा और समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का होगा।

(6) प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष, सामान्यतया मार्च माह में आयोजित की जाएगी, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा और प्राधिकरण के वार्षिक बजट पर चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

8– (1) प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे:– प्राधिकरण के कार्य

(क) द्रोणी के समग्र और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु विकास योजनाओं के निर्माण और अनुपालन का निरीक्षण करना। विकास योजना में जल संसाधन, भू–प्रयोग और कृषि का विकास, क्षेत्र विकास और सम्बन्धित विषय शामिल होंगे;

(ख) द्रोणी में क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी के पुनरुद्धार सहित, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने हेतु प्रभावी और यथासमय कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(ग) घाटी में वृक्षारोपण करना और ऐसे पौधों की प्रजातियां लगाना जिनसे स्थानीय निवासियों को पर्याप्त चारा प्राप्त हो तथा ऐसी प्रजातियां लगाना जो नदी घाटी में मृदा–अपरदन को रोकने में लाभदायक हों, साथ ही स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवनोपयोगी वातावरण उपलब्ध कराना;

(घ) घाटी में वनस्पति उद्यानों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना जिससे उस क्षेत्र की वनस्पतियां और जन्तु संरक्षित और सुरक्षित रहें;

(ङ) जल–गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना और रख–रखाव करना तथा विभिन्न ग्रामीण पुनर्वास के केन्द्रों पर सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध करना;

(च) जलागम क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन कोष्ठ/आपात समूहों व आपदा कोष की स्थापना और रख–रखाव करना;

(छ) नदी घाटी में समुचित स्थानों पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना और रख–रखाव करना;

प्राधिकरण की शक्तियां

9— (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बने विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों, जैसी आवश्यक और अनुषांगिक हो, अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसी शक्तियों में निम्न शक्तियां सम्मिलित होंगीः—

(क) विकास अधिकरण (एजेन्सी) द्वारा चलाई जा रही विकास योजना के बारे में सूचना प्राप्त करना;

(ख) प्राधिकरण की महायोजना में उल्लिखित किसी विकास की योजना को अनुमोदित या निरस्त करना तथा ऐसी महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नदी घाटी के जलागम क्षेत्र में अन्य अभिकरणों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों का धारा 11 की उपधारा (3) से (5) के अनुसार विनियमन करना;

(ग) प्राधिकरण द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिए निर्धारित नीतियों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित अन्य विकास एजेंसियों को निर्देश देना;

(घ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य एजेन्सी से सहायता लेना;

(ङ) अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु अपने सदस्यों की उप समितियां गठित करना;

(च) प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कार्य का प्रत्यायोजन करना।

(3) प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना महायोजना में उल्लिखित कोई भी प्राथमिक या अन्य कार्य या किसी विकास योजना को आरम्भ नहीं किया जाएगा।

(4) महायोजना में कोई भी परिवर्तन, प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जाएगा;

(5) प्राधिकरण को उसके कार्यों और नीतियों को लागू करने में राज्य की परिषदों सहित सभी सम्बन्धित विभाग, अपने प्रमुखों के माध्यम से, उसके साथ समन्वय करेंगे और प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति द्वारा अपनी शर्तों और इच्छित तथा भुगतान के आधार पर सरकार के किसी विभाग की सेवाओं की मांग करना वैध होगा।

(6) प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसे वह यथासमय कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक एवं उचित समझे, कार्यपालिका समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी।

अध्याय–III

विकास के लिए महायोजना और क्षेत्रीय योजना

10– (1) प्राधिकरण पूर्व में किये गये भौगोलिक क्षेत्र विकास योजना निर्धारण करने के पश्चात् यथाशीघ्र नदी घाटी के समग्र स्थायी विकास हेतु एक महायोजना की तैयारी करेगा या करवाएगा। महायोजना की तैयारी

(2) महायोजना होगी–

(क) द्रोणी (बेसिन) की वहन क्षमता परिनिश्चित करना;

(ख) ऐसे विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) को परिनिश्चित करना जिसमें विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जानी हैं और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के तरीकों और उन चरणों का भी उल्लेख करना जिनमें ऐसी विकास योजनाएं चलाई जाएंगी;

(ग) द्रोणी के विकास हेतु वैकल्पिक योजनाओं सहित विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना;

(घ) विभिन्न उपयोगों एवं प्रयोजनों हेतु भूमि का सीमांकन करना;

(ङ) उस मूलभूत पद्धति, जिसकी सीमा में विकास योजनाएं तैयार की जायेंगी, के मूल स्वरूप का कार्य करना।

(3) महायोजना नदी घाटी के सतत् विकास हेतु जैसा आवश्यक रूप से अवधारित किया जाय, ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था करना।

11– (1) धारा–10 के अधीन महायोजना की तैयारी के उपरांत यथाशीघ्र, विकास एजेंसियां, महायोजना के अनुसार कार्यशील क्षेत्रवार विकास हेतु योजना तैयार करने के लिए अग्रसर रहेंगी। नदी घाटी क्षेत्र में विकास के विनियम हेतु क्षेत्रीय योजना

(2) राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित सन्नियमों की पुष्टि के उपरान्त उपधारा (1) के अधीन सेक्टर हेतु योजना तैयार की जायेगी। (सेक्टोरल प्लान) तैयार करना

(3) प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् उस क्षेत्र में जिसके लिए ऐसे प्राधिकरण का गठन हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था जिसमें राज्य के विभाग या प्राधिकारी भी सम्मिलित होंगे तथा लोक या निजी क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यों को न तो किया जायेगा और न ही करवाया

जायेगा या जारी रखा जायेगा, जब तक कि ऐसे विकास हेतु प्राधिकरण से लिखित रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति न प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) ऐसे किसी क्षेत्र में किसी भी योजना के प्रभावी होने के पश्चात् भू-विकास सम्बन्धी कार्यों की न तो जिम्मेदारी ली जायेगी तथा न ही किये जायेंगे या जारी रखे जायेंगे, जब तक कि ऐसे विकास कार्य, लागू योजना के अनुरूप न हों।

(5) उपधारा (1) व (2) में किसी अन्य बात के होते हुए भी, निगमित निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी विभाग या व्यक्ति द्वारा उन क्षेत्रों के भूमि के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे:-

(क) जब ऐसा कोई विभाग या स्थानीय प्राधिकारी किसी भूमि के विकास का आशय रखता है तो वह कार्यपालिका समिति को ऐसे विकास के आशय से पूर्ण विवरण, जिसमें ऐसी योजना व उसके अभिलेख सहित, लिखित सूचना देकर, ऐसे विकास कार्य की जिम्मेदारी लिये जाने से न्यूनतम 90 दिवसों से पूर्व दी जायेगी;

(ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के मामले में यदि कार्यपालिका समिति को कोई आपत्ति है तो वह खण्ड (क) के अधीन विभाग के द्वारा दिये गये आशय की प्राप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर सूचना देगा तथा यदि कार्यपालिका समिति से कोई आपत्ति उक्त समयावधि में प्राप्त नहीं होती है तो विभाग प्रस्तावित विकास करने हेतु स्वतन्त्र होगा;

(ग) जहाँ कार्यपालिका समिति द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य या अन्य आधार पर कोई आपत्ति व्यक्त की जाती है कि इस आधार पर, ऐसा विकास कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गयी या प्रस्तावित महायोजना या क्षेत्रीय योजना के अनुरूप नहीं है, तो ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो-

(i) या तो कार्यपालिका समिति द्वारा व्यक्त की गयी आपत्ति के क्रम में विकास के प्रस्तावों पर आवश्यक उपान्तरण करेगा, या

(ii) खण्ड (घ) के अन्तर्गत कार्यपालिका समिति द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के साथ विकास के प्रस्ताव को प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय होने हेतु प्रस्तुत करेगा;

(घ) प्राधिकरण, विकास के प्रस्तावों व कार्यपालिका समिति की आपत्ति की प्राप्तियों पर, एक साथ या तो प्रस्तावों पर अनुमोदन देगा या उपान्तरण के साथ या उपान्तरण के बिना विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे उपान्तरण किये जाने हेतु जैसा कि वह विचार कर उचित समझे, निर्देश देगा तथा प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय IV
वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

प्राधिकरण की निधि

12– (1) प्राधिकरण के पास अपनी निधि होगी और वह अपनी निधि और प्राप्तियों तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन जो इसमें जमा होगा, का लेखा–जोखा रखेगा और उसी से समस्त भुगतान करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु किए गए व्यय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

(4) भागीरथी नदी घाटी के रख–रखाव और विकास हेतु किसी अन्य प्राधिकरण, विभाग, निगम या सरकार के पास स्थित सारा धन, इस प्राधिकरण की निधि में जमा कर दिया जाएगा। आगे यह प्रावधान होगा कि राज्य सरकार, टिहरी बांध या अन्य संस्था या निगम जो उसी घाटी में विद्युत का उत्पादन कर रही हो या करेगी या ऐसे प्रदेश के अन्य नदी घाटियों में कार्यरत अन्य निगम जो उसी तरह के कार्यक्षेत्र में लगे हों, से विद्युत विभाग का प्राप्त या प्राप्य धन का 20 प्रतिशत या उसके समतुल्य धन का भुगतान प्राधिकरण को करेगी।

खाता खोलना, बजट और वार्षिक सामान्य बैठक

13– (1) प्राधिकरण की निधि, प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति के निर्णयानुसार, किसी राष्ट्रीकृत बैंक या अन्य लब्ध बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, में खाता खोलकर जमा की जाएगी और उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी या इस हेतु प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, यथावश्यक स्थलों पर यथावश्यक संख्या में प्राधिकरण के खाते खोल सकता है।

(3) प्राधिकरण यथानिर्धारित रूप में और यथासमय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 15 फरवरी से पूर्व इसकी एक प्रति, प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

14–(1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण के लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का लेखा–जोखा रखेगा और प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक विवरण तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) प्राधिकरण के वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा, अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेंट या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समान पदधारक व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

(3) प्राधिकरण के सम्परीक्षित लेखा को प्रतिवर्ष या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी पूर्व तिथि को प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

15– प्राधिकरण, वर्ष के दौरान सम्पन्न, अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार को तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और तिथि से पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय V

प्राधिकरण की अन्य शक्तियां

प्रवेश की शक्ति

16– प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग या कार्य–निष्पादन हेतु कोई भी विधिसम्मत कार्य या सर्वेक्षण, खोज और पूर्वेक्षण, प्रारम्भिक या आनुषांगिक रूप से कर सकता है।

निर्देश जारी करने की शक्ति

17– राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, प्राधिकरण को, समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन में आवश्यक और समीचीन निर्देश जारी कर सकती हैं और ऐसे निर्देशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।

विनियम बनाने की शक्ति

18–(1) प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्न विषयों में विनियम बना सकेगा:–

(क) प्राधिकरण या इसकी समितियों के कार्य–संचालन की प्रक्रिया;

(ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा–शर्तें, कार्य और दायित्व;

(ग) प्राधिकरण की समितियों की संरचना, शक्तियां, कर्तव्य और कार्य;

(घ) तकनीकी विशेषज्ञों की शक्तियां और कार्य;

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रावधान बनाने या बनाए जा सकते हैं।

19— प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन सभी या कोई कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से, या सामान्य अथवा विशेष रूप से प्रदत्त अधिकार के अनुक्रम में किसी भी स्रोत से ऋण के रूप में, बंध पत्र (बांड), डिबेंचर जारी कर, धन उधार ले सकेगा। प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियाँ

20— प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय, टिहरी जिले की नदी घाटी में यथोचित स्थान पर खोला जायेगा और आवश्यकतानुसार बाद में अन्य स्थान या स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय खोल सकेगा। प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय की स्थापना

अध्याय VI

कतिपय गतिविधियों का संरक्षण और प्रतिषेध

21— (1) नदी घाटी में कोई वृहद् निर्माण या विकास कार्य जिससे महायोजना (मास्टर प्लान) या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन होता हो, नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई व्यक्ति या निकाय इस धारा की उपधारा (1) से भिन्न कोई विकास की अपेक्षा रखता हो तो वह प्राधिकरण को सम्पूर्ण योजना के साथ लिखित रूप से सूचित करेगा तथा यदि प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन के 60 दिवसों के अन्दर कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो अनापत्ति दी गयी, मानी जायेगी। नदी घाटी क्षेत्र में वृहद् विकास और निर्माण कार्यों, खनन गतिविधियों हेतु अनुमति लेने की अपेक्षा

(2) नदी घाटी के जलागम क्षेत्र तथा जलाशय या बांध के निकट, लोक–हित के कार्यों यथा–सेतुओं के निर्माण, बाढ़ की रोकथाम, मृदा अपरदन का नियंत्रण, परियोजनाओं के निर्माण आदि या अनुषांगिक कार्यों के अतिरिक्त किसी निर्माण या विकास की अनुमति नहीं होगी, जिससे महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन होता हो।

(3) बिना प्राधिकरण की अनुमति से, नदी घाटी के जलभरण क्षेत्र में कोई वाणिज्यक खनन गतिविधि नहीं की जायेगी परन्तु

नदी घाटी जलभरण क्षेत्र में स्थित नदी के किनारों या बांध के किनारों में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं होगी, जिससे भू–क्षरण हो सकता हो।

स्पष्टीकरण:–

(अ) इस धारा में, वृहद विकास या निर्माण गतिविधि, महायोजना या क्षेत्रीय योजना में निहित क्षेत्र में वह गतिविधि, जिसमें 3 फीट या अधिक गहराई तक मिट्टी की खुदाई की आवश्यकता हो या दो मंजिल में 75 वर्ग मीटर तक कुर्सीक्षेत्र से अधिक किया गया निर्माण हो, से अभिप्रेत है।

परन्तु, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी:–

(i) मवेशी आश्रय के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अस्थायी ढांचा या फूस का मकान (छप्पर); या

(ii) छोटी पनचक्की की स्थापना; या

(iii) पहले से विद्यमान मकानों की धारा 21 की उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तों और उसके स्पष्टीकरण के अध्यधीन विस्तार; या

(iv) विद्यमान मकानों, कृषि योग्य खेतों की सुरक्षा या सड़कों और पगडंडियों के रख–रखाव हेतु पुश्तों या सीमा दीवाल का निर्माण; या

(v) क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय किया गया आपातकालीन निर्माण:

परन्तु यह और कि कार्यपालिका समिति या उसके द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत अधिकारी यह देखेगा कि उपर्युक्त निर्माण कार्य से पारिस्थितिकीय सन्तुलन प्रभावित न हो।

(ब) स्थानीय निवासी अपने घरेलू उपयोग हेतु नदी घाटी से उपखनिजों को बिना प्राधिकरण की अनुमति से ले सकेंगे, यदि ऐसा उत्खनन इस धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत न आता हो परन्तु इसमें अन्य तत्समय प्रचलित अधिनियमों या नियमों का उन्हें पालन करना होगा।

अध्यारोही प्रभाव

22–(1) इस अधिनियम के लागू होने के उपरान्त, नदी घाटी क्षेत्र पर लागू किसी अन्य अधिनियम में निहित प्रावधान या सरकार द्वारा बनाए गए नियम या विनियम, जो इस अधिनियम से असंगत है, लागू नहीं होंगे।

(2) किसी अन्य अधिनियम, विधि, रीति या संविदा में कुछ असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान, प्रभावी होंगे।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त ये प्रावधान, किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे, उन्हें अल्पीकृत नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय VII

अपराध और दंड आदि

23– (1) कोई व्यक्ति या निदेशक, जो अपराध के समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कार्यों या कम्पनी के व्यवसाय संचालन के प्रति उत्तरदायी था या जो धारा 10 और 11 में उल्लिखित महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन कर भूमि पर बड़ा विकास कार्य करवाता है या करता है या इस अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन करता है, वह 20 हजार रुपये तक के अर्थदंड का भागी होगा और अपराध जारी रहने की स्थिति में अधिक अर्थदंड, जो अपराध जारी रहने तक प्रतिदिन एक हजार रुपये तक के अर्थदंड अथवा किये गये निर्माण की निर्धारित दर से तीन गुना राशि, जो भी अधिक हो, का भागी होगा परन्तु यह और कि यदि कोई वस्तु अपराधी से जब्त की जाती है तो प्राधिकरण के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। अपराध

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने में बाधा डालता है या ऐसे व्यक्ति को प्रवेश के उपरान्त उत्पीड़ित करता है, वह 6 माह तक के कारावास या 1 हजार रुपये तक अर्थदंड या दोनों दंड का भागी होगा।

(3) जो कोई भी–

(क) जो भी जमीन में गड़े किसी खंभे, स्तंभ (पोस्ट) या खूंटे (स्टेक) या किसी सूचना या अन्य सामग्री, जो प्राधिकरण के निर्देश पर लगाई गई हो, को नष्ट करता है, उखाड़ता है, तोड़ता है या उनकी आकृति बिगाड़ता है; या

(ख) प्राधिकरण के किसी कार्य, संपत्ति को हानि पहुंचाता है; या

(ग) प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्राधिकरण या इस अधिनियम में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा वांछित सूचना देने में विफल रहता है; या

(घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किसी विषय में झूठी सूचना देता है या किसी प्रकार नदी घाटी को प्रदूषित करता है या अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन करता है, वह एक महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के अर्थदंड या दोनों का भागी होगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा में निदेशक फर्म का आशय फर्म की भागीदारी से है।

न्यायालय की अधिकारिता 24— प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराधों का संज्ञान 25— प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अभियोजन की मंजूरी 26— प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो, की पूर्व–अनुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा।

वसूल किए गए अर्थदंड का भुगतान प्राधिकरण को किया जाना 27— इस अधिनियम के अधीन अभियोजन सम्बन्धी सभी वसूल किए गए अर्थदंड प्राधिकरण को भुगतान कर, उसकी निधि में जमा कर दिये जायेंगे।

अपराधों का शमन 28—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, प्राधिकरण या इसके द्वारा इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों पर या शमन–फीस के भुगतान की शर्त पर शमनीय हो सकेगा।

(2) जब अपराध का शमन हो चुका हो और अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे उन्मोचित कर दिया जायेगा और शमनीय अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय VIII

अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबन्ध

इस अधिनियम के तहत् रचित आदेशों की अंतिमता 29— (1) प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निश्चित विषय से सम्बन्धित कोई पारित आदेश या लिया गया निर्णय, इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण के अध्यधीन, अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी आदेश या निर्णय पर किसी विधिक न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

पुनरीक्षण 30— (1) कोई भी व्यक्ति या निकाय जो प्राधिकरण के आदेश से व्यथित हो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष पुनरीक्षण का प्रस्ताव कर सकेगा या उस पर सीधा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि उसे अपने प्रस्तुतिकरण का उचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार को इसकी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक आवेदन, आवेदनकर्ता को सम्बन्धित आवेदन सम्बन्धी सम्प्रेषित आदेश, निर्णय या निर्देश के दो माह के अन्दर, दिया जाना होगा तथा ऐसे प्रार्थना–पत्र का निस्तारण जहां तक सम्भव हो सके तीन माह में कर दिया जायेगा।

31– (1) किसी अन्य विधि के होते हुए और संसद द्वारा खनिज विकास सम्बन्धी विधि द्वारा किसी प्रतिबन्ध के होते हुए भी प्राधिकरण, नदी घाटी में खनिज अधिकारों हेतु उपकर लगा सकेगा। उपकर और शुल्क लगाना

(2) इस धारा के अधीन लगाया गया कोई उपकर, राज्य सरकार की पुष्टि के अध्यधीन होगा और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी तिथि से अधिरोपित किया जा सकेगा जो नियत की जाय।

(3) इस अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित गतिविधियों की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने हेतु या अन्य गतिविधियों के लिये प्राधिकरण विनिर्धारित शुल्क ले सकेगा।

32– प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। सदस्य और अन्य अधिकारी लोक सेवक होगा

33– प्राधिकरण या किसी सदस्य या किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुपालन में की गई या की जाने वाली सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावपूर्ण कार्यवाही का संरक्षण

34– उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी अधिनियम, 1999 (1999 का उ0प्र0 अधिनियम सं0 14) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ऐसे निरसन के होते हुए, निरसित अधिनियम के अधीन, किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई कोई बात, की गई कोई कार्यवाही, जारी अधिसूचना, पारित आदेश, लिया गया निर्णय, जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के तत्समान प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकरण या अधिकारी द्वारा, जारी किए गए, पारित या किये गए माने जाएंगे और तदनुसार प्रभावी होंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संशोधित, निरस्त या अतिष्ठित नहीं कर दिए जाते है। निरसित अधिनियम या अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के लिये गठित समतुल्य प्राधिकरण या परिषद् जिसमें यह अधिनियम लागू होता हो, के अधीन कोई अर्जित सम्पत्ति या प्राप्त धन, इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण में अन्तरित समझा जाएगा। निरसन और व्यावृत्तियां

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–34, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 (निरसन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, अविभाजित उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार कार्यक्रम को लागू करने तथा विद्युत व्यवसाय की पुर्नसंरचना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम (उ०प्र० अधिनियम संख्या–24, सन् 1999) पारित किया गया था जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिपेक्ष्य में उत्तरांचल में लागू था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, 2000 की धारा–87 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन करते हुए उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 लागू किया गया था। चूँकि अब भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या–36, 2003) पारित किया गया है जो 10 जून 2003 से प्रभावी हो गया है तथा विद्युत व्यवसाय के सम्बन्ध में समस्त विधिक प्राविधान इस अधिनियम में वर्णित हैं मान्यवर, यह मैनेडेटरी है।

जब–जब भारत सरकार विद्युत अधिनियम लायेगी, तो राज्य सरकारों को उनका अनुपालन करना होगा। तो इसके लिए कोई प्रश्न नहीं उठता हमें इसका अनुपालन करना है। इसलिए ऐसी दशा में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 को बनाये रखना समीचीन नहीं है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–185 में यद्यपि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 को प्रभावी रखा गया है परन्तु इस धारा की उप धारा–3 में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी विपरीत, विरोधाभासी स्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधान ही मान्य होंगे। साथ ही

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की पुर्नसंरचना की व्यवस्था की गई थी जबकि उत्तरांचल में प्रारम्भ से विद्युत परिषद् गठित नहीं है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 को निरसित किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार का उक्त अधिनियम वर्तमान में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–1 से 185 के अन्तर्गत निरस्त हो गया है। भारत सरकार का विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 का वर्तमान में विद्युत अधिनियम 2003 में राज्य विद्युत नियामक आयोग को अधिकतम तीन सदस्यीय बनाये रखने की व्यवस्था है अर्थात् एक सदस्यीय आयोग वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत बना सकती है एवं 3 सदस्यीय आयोग भी बनाया जा सकता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हर विधेयक को प्रवर समिति को देना शायद ठीक नही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो संसदीय परम्परा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि विद्युत विभाग की स्थिति बहुत खराब है। 1977 से अब तक विद्युत विभाग में एप्वाइंटमेंट नहीं हुए हैं। इसलिए विद्युत विभाग को आज बूढ़े विभाग के रूप में जाना जाता है। मान्यवर, जे0ई0 नहीं हैं, लाईन मैन नहीं हैं, पेट्रोल मैन नहीं हैं, लाईन कुली नहीं हैं। मान्यवर, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि 1977 में जो व्यक्ति 30 साल का था वह आज रिटायर हो गया है और उसके बाद एप्वाइंटमेंट ही नहीं हुए हैं। और जो हुए भी हैं तो मृतक आश्रित के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है और इसमें महिलाएं अधिक हैं। वे पोलों में चढ़ नहीं सकती, बेचारी दूर–दराज जा नहीं सकती। मजबूरी में उनको चपरासी, दफ्तरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या क्लर्क के रूप में जैसे उनकी एजूकेशन हो मान्यवर, उसी के अनुसार कार्यालयों में रखा जाता है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, महिलाओं को बेचारी कहने पर मुझे आपत्ति है। वकील साहब तक मैं खबर पहुँचा दूँगी। अब वे जज साहब हो गयी हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, वो आपकी क्लास ले लेंगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं बेचारी शब्द को वापस लेता हूँ। मैं, रानी लक्ष्मी बाई शब्द जोड़ना चाहता हूँ। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है इसमें नियुक्तियाँ होना बहुत जरुरी है,

जब नियुक्तियाँ होंगी तब यह विभाग ठीक से चलेगा। एक छोटा सा तार भी टूटता है या पोल से जम्फर टूटता है तो उसे ठीक करने में एक-एक महीना, 15-15 दिन लग जाते हैं। यह आप भी जानते हैं, यह पर्वतीय क्षेत्रों की विडम्बना है। और लोग वहां पहुंचते ही नहीं हैं। दूसरी परेशानी जे0ई0 नहीं हैं, इसमें एस0एस0ओ0 या मीटर रीडर को प्रमोट करके जे0ई0 बना दिया है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं पुराने आदमी होंगे। लेकिन मान्यवर, वहां पर कोई टैक्निकल आदमी भी तो होना चाहिए जो यह जान सके कि पावर क्या है, करंट क्या है, ऋण क्या है, धन क्या है। तो मान्यवर, आने वाले दिनों में जे0ई0 अवश्य दिये जाने चाहिए। मान्यवर, एस0डी0ओ0 की बात है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 एस0डी0ओ0 की आवश्यकता है लेकिन एक ही एस0डी0ओ0 वहां खैरना से रामनगर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र तक को देख रहा है, जब कभी जरूरत पड़ती है सल्ट में तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ढूंढना पड़ता है तो मान्यवर, यह कमी भी दूर करनी चाहिए।

मान्यवर, हम बिजली की चोरी को रोकना चाहते हैं लेकिन पहले विभागीय चोरी को रोकना आवश्यक है विभाग को फ्री बिजली दे देनी चाहिए ताकि चोरी न करें या फिर 100-200 रुपये टोकन के रूप में ले लें। अभी हल्द्वानी में जब विद्युत कर्मियों के घरों में बिजली के मीटर लगाये जा रहे थे तो वहां पर लोगों ने उनका जबरदस्त घेराव कर दिया और मीटर नहीं लगाने दिये, उन्हें 2 बल्ब या 4 बल्ब तो दिये जा सकते हैं लेकिन उनको उसमें हीटर भी लगाना है और काम भी करने हैं तो इस दिशा में सरकार को ठोस प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, एक सजेशन और दे रहा हूँ, सजेशन मानना या न मानना तो सरकार का काम है, वह सजेशन यह है कि आप विद्युत, वितरण व्यवस्था को गांव वालों को दे दें, इसमें यह होगा कि गांव के लोग अपना लाईनमैन रखेंगे जो कि 2-3 गांवों का होगा, वो देखेगा कोई घटना हो तो तत्काल पहुँच जायेगा। और जैसे जो हैवी काम हैं ट्रांसफार्मर बदलना या बड़ी लाइनों का फाल्ट है तो उसके लिए सरकार अनुदान दे, अगर लाइनों का डिस्टरबेंस होगा या जम्फर की प्रॉब्लम हो तो गांव का लाईनमैन होगा वह तुरन्त वहां पहुंच जायेगा और फाल्ट ठीक हो जायेगा।

मान्यवर, अगर सरकार एक महीने के भीतर कर्मचारियों की नियुक्ति कर देती है तो मैं संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लेता हूँ, और इसे सर्वसम्मति से पारित कराने में सहयोग करूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, ए0ई0, जे0ई0 और डाटा इंट्री आपरेटर में भर्ती की जा रही है, मीटर लगाने की भी प्रक्रिया गतिमान है। जैसा कि आपने कहा कि लाइनमैन न होने से समस्यायें आ रही हैं, तो सबकी व्यवस्था कम्प्यूटराइज्ड ढंग से की जा रही है।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, जे0ई0 और ए0ई0 की नियुक्ति की जा रही है वह तो एक तरफ दूसरी तरफ मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि जो यह एसडीओज् हैं या जेईज् हैं कहीं-कहीं पर उनकी पोस्टिंग को 10-10 साल से अधिक हो गया है। मान्यवर, अभी जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में सभी विधायक भी थे वहां पर सारे विभागों की बात होती रही लेकिन

विद्युत विभाग की बात पर जिलाधिकारी ने भी हाथ खड़े कर दिये और कहा कि किसी का ट्रांसफर करता हूँ तो आजकल गर्मियों के दिन हैं सबसे पहले रात में मेरी ही बिजली कट जायेगी। मान्यवर, इनको एक ही जगह पर 10–10 साल हो गये हैं शहरों में उन्होंने बड़ी–बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं, ट्रांसफर उनके होते नहीं हैं कोई तो नियम होगा कि उनका ट्रांसफर हो सके उनका स्थानान्तरण किये जाने हेतु कोई तो समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। 2 साल 3 साल या 5 साल में हो लेकिन कोई समय सीमा होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं अपने काशीपुर क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ 10–10 साल से जे0ई0 पड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नयी भर्तियाँ करने के साथ ही इस पुराने स्टाफ को भी थोड़ा हिला–डुला दीजिए, जिससे इनकी कार्य कुशलता में तेजी आ सके। इन लोगों के पास उत्पीड़न करने के अलावा और कोई काम नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपने विद्युत वितरण का सुझाव दिया था, यह कार्य ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों, एन0जी0ओ0 फ्रेन्चाइजी की व्यवस्था नये एक्ट में है। भारत सरकार इसमें नीति बना रही है। जब ये नीति बन जाएगी तो आपके सुझाव पर मा0 भट्ट जी विचार होगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं ही नहीं वहां की सारी जनता उनसे पीड़ित है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

अगर ऐसे किसी जे0ई0 की जानकारी आपके संज्ञान में हो तो बता दीजिए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यदि कहीं पर 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा हो और वह जल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं लेकिन यदि उसकी जगह पर 50 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो इससे विद्युत पावर तो बढ़ जाती है और यदि पहला ट्रांसफार्मर 3 महीने चला हो और नया ट्रांसफार्मर एक महीने में ही फुंक जाता है। यदि 50 के0वी0ए0 की जगह पर 63 के0वी0ए0 की ट्रांसफार्मर लगवाया जाना है तो यदि पहला ट्रांसफार्मर 2 महीने चला होता है तो यह दूसरा बड़ा ट्रांसफार्मर एक हफ्ते में ही जल जाता है। मान्यवर, मैं यह निश्चित रूप से कह रहा हूँ। इन ट्रांसफार्मरों के अन्दर न जाने कौन सी तार लग रही है। यदि 100 के0वी0 वाले ट्रांसफार्मर को देखें तो उसके अन्दर 50 के0वी0 का तार भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसी प्रकार 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर में 25 के0वी0ए0 वाली तार भी लगी है या नहीं इसका भी कोई पता नहीं।

श्री मालचन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मैं आज प्रश्नकाल के दौरान ऊर्जा के प्रश्न पर ही बोलना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण नहीं बोल सका। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, मेरे क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर बिजली के पोल तो लगे हुए हैं लेकिन

उनके तार टूट गए हैं। आज कल वहां पर 5–5 फुट तक बर्फ गिरी है, मेरा निवेदन है कि यहां पर विद्युत विभाग की ओर से गांव को जोड़ा जा रहा है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन एवं बर्फ गिरने से, हवा आदि से जंगलों में पेड़ों के गिरने आदि का खतरा होता है। जंगलों से विद्युत लाइनें जा रही हैं। भविष्य में यही समस्या बनी रहेगी इसलिए सौर ऊर्जा से उन गांवों को लाभ मिले। विद्युत विक्रय एन0ओ0सी0 मिल जाए जिन गांवों में भविष्य में बिजली नहीं पहुँच सकती। मान्यवर, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन गांवों में भारत सरकार अथवा उत्तरांचल सरकार की ओर से सौर ऊर्जा दी जाए। मैं समझता हूँ कि दूर–दराज के गांव जहां पर बिजली नहीं पहुँच सकती, वहां के लिए यह जरूरी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मुझे दो निवेदन करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह विभाग है और आप विद्युत क्षेत्र में सुधार करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज उत्तरांचल की जनता पीड़ित है। उत्तरांचल के ग्रामीण इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। साथ ही महीने में केवल 10–15 दिन ही बिजली रहती है। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ आप इसकी रिपोर्ट मंगा कर देख सकते हैं। बिजली न होने और लो वोल्टेज के कारण छात्र–छात्राएं लालटेन में पढ़ने को विवश हैं। मान्यवर, बिजली के बिलों के बारे में कहना चाहता हूँ, जिनको 500 रुपये का बिल चुकाना है उनको 15000 रुपये का बिल मिल रहा है। मान्यवर, विद्युत बिल सही नहीं है। जो आपके इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं उनमें खामियाँ हैं। शासन के अधिकारियों द्वारा यह बात कही गई थी जो यह मीटर खरीदें जा रहे हैं वह सही नहीं हैं। किन्तु फिर भी खरीदे गये । मान्यवर, विद्युत विभाग द्वारा जब बिल भेजा जाता है वह भी अधिकांशतः त्रुटिपूर्ण होते हैं। जब इन्हें ठीक कराने के लिए दूर–दराज से कोई आता है तो कभी–कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल तो 500 का आया है और उसे संशोधित कराने के लिए आने–जाने में 500 से अधिक का खर्च आ जाता है। मान्यवर, विद्युत बिलों के भुगतान हेतु कैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कैम्प गाँव के मध्य में समय–समय पर लगें तो क्षेत्र की जनता को बिल भुगतान में सुविधा होगी।

मान्यवर, जो ट्रांसफार्मर लगाये गये वे अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। आज ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग द्वारा लगाये गये, और कुछ ही दिन में यूं समझें तीसरे दिन में वो खराब हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर अच्छी कम्पनी के होने चाहिए। जनता बिजली के अभाव में बहुत परेशान है। मान्यवर, बिजली रहे या न रहे विद्युत का बिल अवश्य आता है। ग्रामीण इलाकों में बहुत कम घण्टे बिजली आती है। हरिद्वार जनपद के कई गाँवों में शाम पाँच से रात के दो बजे तक बिजली नहीं आती है। कम से कम वहाँ रात में विद्युत की आपूर्ति अवश्य होनी चाहिए। बिजली न आने से उन क्षेत्रों में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ जाती हैं। मान्यवर, आपने देहरादून में पल्टन बाजार में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी और हमारे जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बिजली की दिन में 2–3 घण्टे की आपूर्ति नहीं है। आपने पल्टन बाजार को चमका दिया उससे कुछ नहीं होने वाला। मान्यवर, सेलाकुई सहस्त्रधारा पर जो क्षेत्र है उन पर आप नजर डालें वहाँ विद्युत आपूर्ति बहुत ही कम है। वहाँ अंधेरा रहता है।

गन्ना मंत्री (श्री साधूराम)–

मान्यवर, आपने जिन ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र किया, सैलाकुई में कब गये?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, वहाँ मेरा घर है।

श्री साधूराम–

मान्यवर, आपके घर कहाँ–कहाँ हैं। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मेरा घर बागेश्वर में है, चम्पावत है। कभी आप सैलाकुई की तरफ गये भी हैं।

(हँसी)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, 20 तारीख को मैं आपके घर में आऊँगा।

श्री साधूराम–

मान्यवर, आपका घर कोई बता रहा था लक्सर में भी है।

(हँसी)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, विद्युत वितरण की प्रणाली में सुधार होना चाहिए। आप हँस रहे हैं। उन ग्रामीणों ने कौन सा अपराध कर दिया कि वहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण दें तो इसका अवश्य उल्लेख करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की 'तोक' विद्युत योजना है, इसके अन्तर्गत सर्वे के लिए पैसा दे दिया है, लेकिन अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यह क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हैं?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या रहती है। दो सब स्टेशन प्रस्तावित थे। लोक सभा चुनाव के दौरान माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी द्वारा एक सब स्टेशन का शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक उस पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में लाईन मैन नहीं है, जो ट्रांसफार्मर फुँक जाते हैं तो छः माह तक ये ठीक नहीं हो पाते हैं। मान्यवर, बिल के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में मीटर रीडिंग सही नहीं देते हैं, जिसके कारण बिल ज्यादा आते हैं। मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि इस समस्या का निदान किया जाय और मेरे क्षेत्र में लाईन मैन की नियुक्ति की जाय।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक का जो 14 किलोमीटर पैदल मार्ग है वहाँ पर जो विद्युत पोल लगे हुए थे, पिछले वर्ष ये पोल निकाले गये और

आज तक उनके स्थान पर दूसरे पोल नहीं लगे हैं। मान्यवर, यहाँ पर यात्रियों का सीजन काल में देर रात तक आना–जाना रहता है। इन्हें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके स्तर से शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हो। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र अगस्त्यमुनि में एक महाविद्यालय है यहाँ पर क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। मान्यवर, यहाँ पर भी लो वोल्टेज की समस्या है, बच्चे लेंप आदि का सहारा लेकर पढ़ाई करते हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी शीघ्रातिशीघ्र बिजली की समुचित व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में दशजूला गाँव है, यहाँ पर 30 से 35 परिवार हैं, यहाँ पर जो लाईन मैन है, वह विकलांग है, वह पोल पर नहीं चढ़ सकता है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी कोई समुचित व्यवस्था की जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कुछ प्रश्न उठाये गये उनका उत्तर भी दे दूँ। मान्यवर, उरेडा के माध्यम से अपेक्षा की गई थी कि सौर ऊर्जा मिले। इससे व्यक्तिगत परिवारों और सौर ऊर्जा संयंत्र वितरण की व्यवस्था है, परन्तु इसमें नीतिगत निर्णय पूरे गाँव को लेना होता है ताकि उस ग्रीड से विद्युत मिल सके। मान्यवर, इसके अतिरिक्त माननीय ऐरी जी ने जिज्ञासा व्यक्त की कि तोकों ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार से धन मिला तो यह सही है, धन मिला और जो मेरे पास सूचना है उसमें पूरे उत्तरांचल में विभिन्न जनपदों में 642 गाँव व 756 तोकों में कार्य हो रहा है। मान्यवर, मैंने पिथौरागढ़ के बारे में स्पेशियली पूछा, पर हो सकता है उस गाँव में न हो रहा हो पर पिथौरागढ़ में हो रहा है। मान्यवर, विद्युत बिलों की शिकायत के बारे में कहा तो उसके लिए कैम्प लगाते हैं और उन्हें सुना जा रहा है। हो सकता है सुदूर क्षेत्रों में यह व्यवस्था न हो, लेकिन कैम्प लगाकर सुनने की व्यवस्था की जा रही है, आगे मीटर की व्यवस्था ठीक हो जायेगी। मान्यवर, कैम्प लगाने के निर्देश हैं, कैम्प लगते हैं, आपके गाँव में पहुँचा या नहीं पर कैम्प लग रहे हैं। कैम्प लगाया है, कार्यालय बनाया है जहाँ टाइमिंग भी लिखी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, कैम्प लगाने के निर्देश दे दिये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके गाँव में पहुँचा या नहीं, पर कैम्प लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005

(उत्तरांचल विधेयक संख्याः सन् 2005)

भारत के गणराज्य के 54वें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 का निरसन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम– 1– यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

मूल अधिनियम, सं० 24 वर्ष 1999 का निरसन 2– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (निरसन) विधेयक, 2005 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सत्रकाल के दौरान सदन से बाहर जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिये जाने के वक्तव्य पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज के समाचार पत्र में एक समाचार पढ़कर आश्चर्य हुआ कि सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिये जाने से सम्बन्धित छपा है। मान्यवर, इस तरह का कोई शासनादेश हुआ है तो यह सदन जानकारी चाहता है। चूँकि जब सदन चल रहा हो तो किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय सदन से बाहर घोषणा किया जाना यह सदन के विरुद्ध है। मान्यवर, अगर ऐसा कोई शासनादेश हुआ है तो पहले सदन को अवगत कराना चाहिए था, उसके बाद उसकी घोषणा होनी चाहिए थी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, सारे अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई और हम लोगों ने भी पास कर दिया है। मान्यवर, नेता सदन यहाँ बैठे हैं आज विनियोग विधेयक भी पास हो गया है। माननीय नेता सदन से सदस्यों की अपेक्षा रही है कि हम लोगों ने बार–बार अनुरोध किया है कि विधायक निधि की धनराशि बहुत कम है। माननीय नेता सदन ने कई बार अपने उदार व्यक्तित्व का परिचय भी दिया है। नेता सदन यह घोषणा करें कि विधायक निधि को 75 लाख से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ करने की कृपा कर दें। (मेजें थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री प्रकाश पंत जी से कहना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों की सूचना को आधार नहीं माना जाना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण माँग रहा हूँ यह घोषणा बाहर हुई है यह उचित नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज मैं जल्दी में थी इसलिए मुझसे चूक हो गई मैं पढ़ नहीं पायी। इसे देख लेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, काशी सिंह ऐरी जी ने जो बात रखी। मान्यवर, इसे बढ़ा दिया जाय जिससे कि विधायक अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, हमारे पास जो विधायक निधि है वह कम है इसमें हमको खड़ंजे, सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र की नालियाँ बनानी होती हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इसे डेढ़ करोड़ कर दिया जाय। मान्यवर, प्रदेश की जनता जो दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की हालत में रहते हैं, उन तक सरकार के विकास की तस्वीर

पहुँच सके और उनकी छोटी–2 मांगे पूरी केवल इस विधायक निधि से ही हो पाती है इसलिए मैं आपसे मांग करता हूँ कि गरीब वर्ग के विकास को ध्यान में रखते हुए विधायक निधि 1.50 करोड़ कर दी जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, इसका असर सामान्य जनता के ऊपर पड़ता है इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। डेढ़ करोड़ तो नहीं हो सकता। बढ़ाने का काम अगले बजट में होगा। क्योंकि डेढ़ करोड़ कह कर आपने मुसीबत में डाल दिया। (सभी सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) हम एक करोड़ सिद्धान्तः स्वीकार करते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा ही काफी है। एक करोड़ की घोषणा इसी वित्तीय वर्ष में कर दें। मान्यवर, दलीय नेताओं की बैठक में भी यह विषय उठा था कि माननीय विधायकों की विधायक निधि का सारा पैसा खर्च हो गया है। मान्यवर, सुनामी दुर्घटना से हम भी बहुत आहत हैं। इस सम्बन्ध में हमने तय किया था कि हम सुनामी पीड़ितों के सहायतार्थ 10–10 लाख रुपये अपनी विधायक निधि से देंगे। लेकिन मान्यवर, जब विधायक निधि में पैसा ही नहीं बचा है तो उसे कैसे दिया जायेगा। यह तकनीकी कठिनाई है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, 75 लाख के प्रस्ताव हम भेज चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक सैद्धान्तिक बात हुई थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, कन्टीजेन्सी फंड में कितना पैसा है इसे देखना पड़ेगा। अगर इसमें सम्भव हुआ, आकस्मिक निधि की स्थिति को देखते हुए हम इस साल इसे एक करोड़ कर देंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों की तरफ से माननीय नेता सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

सर्व श्री मदन कौशिक, श्री नारायण पाल, श्री बलबीर सिंह नेगी एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 26,27,28,29 तथा मद संख्या 30 पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा० नारायण सिंह जन्तवाल, कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री प्रकाश पंत, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री बिशन सिंह चुफाल तथा श्री नारायण पाल जी की कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों के पुनर्गठन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना को नियम–51 के अन्तर्गत तथा पुलिस कर्मियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में पूर्व की भाँति यात्रा करने के लिये बस पास की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकल्पधारी कार्मिकों/फार्मासिस्टों को उत्तरांचल के लिए स्वतः कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

[भारत सरकार के आदेश संख्या 27/9/2001–एस0आर0 (एस), दिनांक 11–09–2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 में विनिर्दिष्ट 13 जिलों में से जिनके नियुक्ति प्राधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी हैं अथवा मंडल स्तरीय अधिकारी हैं अथवा जो हिल सब कैडर के विकल्पधारी हैं अथवा जिनकी नियुक्ति हिल सब कैडर में हुई है अथवा उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र के भाग में विशेष परियोजना अथवा उपक्रम में नियुक्त हुये हैं, उन सभी अधिकारी/कर्मचारी को 9 नवम्बर, 2000 और उसके बाद उत्तरांचल राज्य की सेवा हेतु अन्तिम रूप से आवंटित कर दिया गया है।

चूंकि फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला स्तरीय पद है तथा इनकी सेवा नियमावली के अनुसार इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी जनपद स्तर के अधिकारी हैं और जनपद स्तरीय पदों पर कार्यरत कार्मिकों से उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत विकल्प नहीं मांगे गये थे। अतः उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24–12–2004 के द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त कार्मिको को उत्तरांचल में कार्यभार ग्रहण कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एकतरफा अवमुक्त किये गये कार्मिकों को उत्तर प्रदेश हेतु वापिस कर दिया गया है।

केवल राज्य स्तरीय पदों का टी0एफ0ए0एल0 उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है, जिनके अन्तिम आवंटन की अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की जानी है। इन पदों के सापेक्ष राज्य स्तरीय कार्मिकों, जिन्होंने सामान्य संवर्ग से

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल राज्य में कार्य करने का अपना विकल्प दिया है, उनकी सूची भी उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है। इन कार्मिकों की अन्तिम आवंटन की अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी की जानी है।]

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) के पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् भी नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[संयुक्त अवर अभियन्ता (आपातकालीन सीधी भर्ती) प्रतियोगितात्मक परीक्षा–2002 के माध्यम से उत्तरांचल लोकसेवा आयोग द्वारा शासन के विभिन्न विभागों लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, शहरी विकास विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ताओं के सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के कुल 848 रिक्त पदों पर परीक्षा आयोजित करने के पश्चात् 834 चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां दिनांक 19 जून 2004 शासन को प्रेषित की गयी।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के पश्चात् सभी विभागों को नियुक्तियां प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी। आयोग द्वारा संस्तुत किये गये 834 कनिष्ठ अभियन्ताओं में से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सिविल अभियंत्रण के 378 पदों पर तथा विद्युत अभियंत्रण के 33 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जानी थीं। दिनांक 16–01–2005 तक सिविल अभियंत्रण के लिए चयनित 357 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिसमें से 344 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। 07 पदों को माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित कतिपय रिट याचिकाओं के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों के अन्तर्गत रोका गया है। चयनित 04 अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग को आयोग द्वारा वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण इनकी संस्तुतियाँ आयोग द्वारा औपबन्धिक रखी गयी है जिनका औपबन्धन समाप्त हो जाने के पश्चात् नियुक्तियाँ प्रदान की जायेंगी तथा 10 अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं। विद्युत अभियंत्रण में चयनित 33 अभ्यर्थियों में से 32 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा 01 अभ्यर्थी की संस्तुति आयोग द्वारा औपबन्धिक रखी गयी है।

ग्रामीण अभियंत्रण विकास के अन्तर्गत सिविल/यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण के 147 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक 142 अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। कृषि विभाग के अन्तर्गत चयनित 18 अभ्यर्थियों में से 16 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं शेष दो पदों को विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों के अन्तर्गत रिक्त रखा गया है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस प्रकार लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग तथा कृषि विभाग में चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकांश अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्तियां प्रदान नहीं की गयी हैं उसका कारण अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ औपबन्धिक होने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में अन्तरिम आदेश दिया जाना है। लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अवशेष 10 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 18 बजकर 27 मिनट पर गुरुवार दि0 20 जनवरी, 2005 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित)

महेश चन्द्र

देहरादून
दिनांक: 19 जनवरी, 2005

सचिव विधान सभा
उत्तरांचल।

756

पी0एस0यू0(आर0ई0) 20/वि0स0–505–14–12–2005–200 प्रतियां (कम्प्यूटर–ऑफसेट)